खण्ड-296, अंक-1
बुधवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1894
(5 अप्रैल, 1972 ई0)

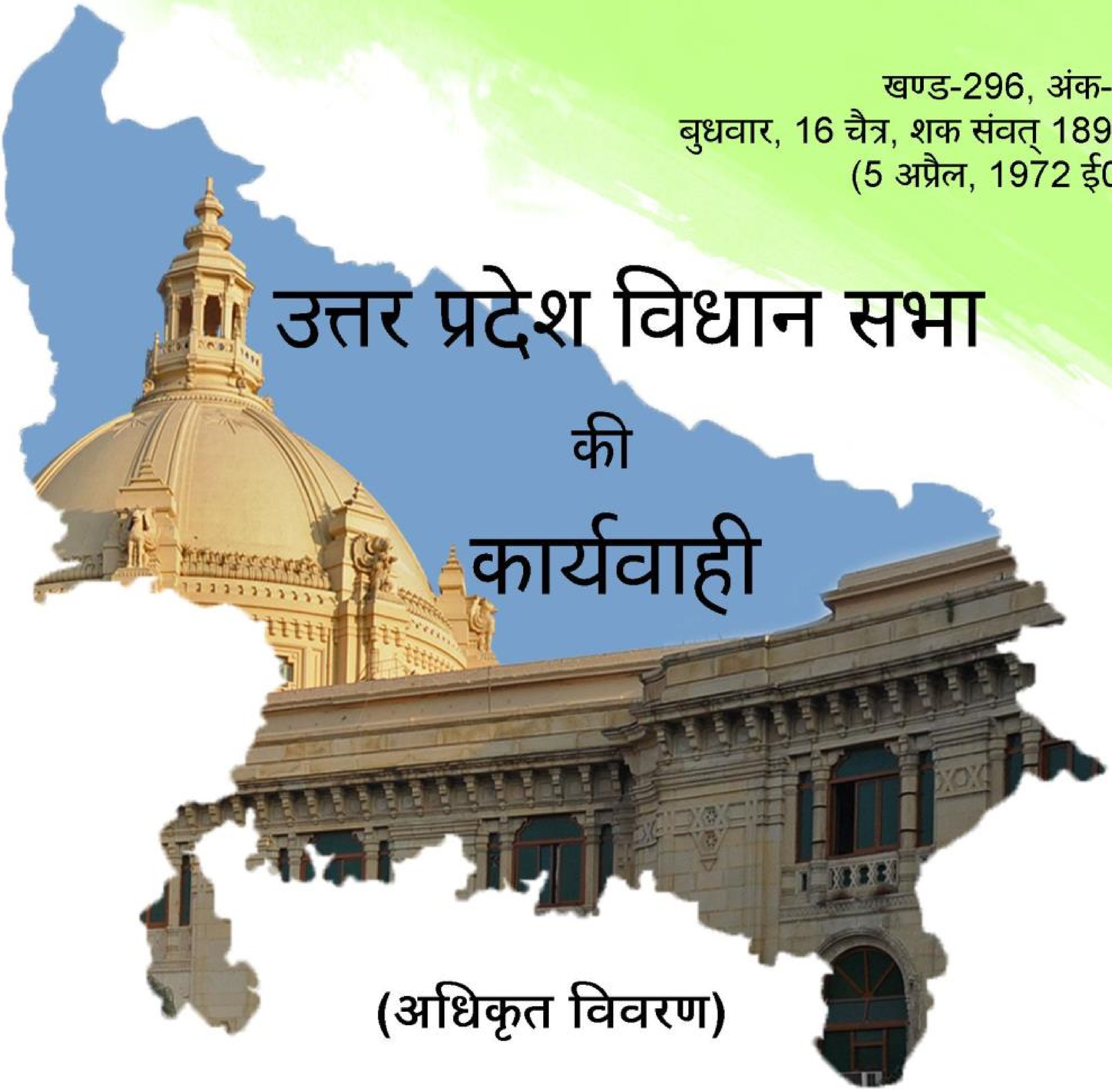

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1—5
प्रश्नोत्तर	5—37
उद्योग राज्य मंत्री, श्री देवकी नन्दन विभव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	37—38
बलिया जिले में शहरी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुधार अधिनियम, 1956 के अनुसार कृषि क्षेत्रों के परिच्छेदन के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन (जारी)	38
मेरठ मेडिकल कालेज की डिग्री को इंडियन मेडिकल कौंसिल की मान्यता न मिलने से छात्रों में असंतोष के सम्बन्ध में वक्तव्य	39—41
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुरःस्थापित किया गया)	41
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	41—46
1972–73 के आय-व्यय पर सामान्य विवाद (जारी)	46—88
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	88—91
बलिया जिले में शहरी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1956 के अनुसार कृषि क्षेत्रों के परिच्छेदन के संबंध में वक्तव्य का स्थगन ..	91—93
1972–73 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	94
नत्थियां	95—101

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 5 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य--(358)

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रमणिकान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुरराम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री]
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रतापनारायण द्विवेदी
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगेलू सिंह, श्री

भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
मही लाल, श्री
माखन लाल, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायणसिंह, श्री
शान्ति चरण पिंडारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचन, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)

हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री ।

नोट:—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य तथा सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 5 अप्रैल, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम हाता, जिला देवरिया में अग्निकाण्ड पीड़ितों को दी गयी सहायता

*1—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत ग्राम हाता में गत 23 मार्च, 1972 को 12 बजे दिन में भीषण अग्निकांड की घटना से 55 घर जल कर राख हो गये तथा लगभग 5 लाख रुपये की क्षति हुई है ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से कितनी सहायता किस दिन की गई ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

प्रश्नांकित ग्राम में 23 मार्च, 1972 को लगभग 11 बजे दिन में यकायक आग लग गई जिससे 54 मकान क्षतिग्रस्त हुए। क्षति का प्रारम्भिक अनुमान लगभग 2 लाख रुपये आंका गया है। प्रभावित व्यक्तियों को 2,860 रुपये, दिनांक 26 मार्च, 1972 को सहायतार्थ वितरित किए गए ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उप मंत्री सिंचाई, श्री वीर बहादुर सिंह जब 26 तारीख अर्थात् 26 मार्च को घटना स्थल पर गये थे तो उस समय तक कोई भी सहायता नहीं दी गई थी ? 5 लाख रु० से अधिक का नुक्सान होगया है । क्या यह नियम है कि क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये सहायता देने का प्राविधान है ? अगर है तो कितना ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मान्यवर, 26 तारीख को ही 2,860 रु0 सहायता के रूप में बजट दिया गया और बाकी जो रुपये की जरूरत होगी वह भी दिया जायगा। अभी 3 तारीख को रुपया हर एक जिले में पहुंचा दिया गया है और रुपये की कमी नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, इन लोगों की गरीबी को देखते हुये कि इनके मकान छप्पर और खपरैल के थे 25 या 50 रु० की सहायता दी गई है। इससे उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता है। इससे वे अपने मकान नहीं बनवा सकते हैं। अतः और कितनी सहायता उनको सरकार देने जा रही है ?

श्री काजी जलील अब्बासी—

कपड़े वगैरह भी गैर-सरकारी तरीके से जमा किये गये हैं। 2 लाख रुपयों की क्षति का सरकार भी अनुमान कर रही है। मान्यवर, इस प्रकार की सहायता में सरकार पूरी क्षति की पूर्ति तो नहीं कर सकती है। न तो इसमें उस प्रकार से सहायता दी जा सकती है जिस प्रकार से नेचुरल कैलमिटी जैसे बाढ़ आदि में की जाती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी इस आग के कारणों की जांच करवायेंगे ? सरकारी नीति है कि 100 रु० तक एक व्यक्ति को सहायता दी जा सकती है। क्या कम से कम 100 रु० की सहायता उन लोगों को भी दी जायगी ?

श्री काजी जलील अब्बासी—

यह तो मालूम हो गया है कि एक आदमी अपने छप्पर के मकान में खाना बना रहा था जिससे उसके छत्पर में आग लग गई और वह बढ़ते बढ़ते चारों ओर फैल गई। जहां तक कि 100 रु० की सहायता का प्रश्न है वह तो नेचुरल कैलेमिटी में दिया जाता है इस प्रकार की घटना में नहीं। वह तो इत्तिफाक के तौर पर आदमी की गल्ती से आग लग गई थी।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो 55 मकान जिनमें आग लग जाने से नुक्सान हो गया है उनमें से कितने फूस और खपरैल के थे और कितने पक्के मकान थे ? जो पुख्ता थे ?

श्री काजी जलील अब्बासी—

उनमें से 4 मकान तो पक्के थे जिनमें कुछ थोड़ा नुक्सान हुआ और बाकी 50 मकान छप्पर व खपरैल के थे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नियम के अन्तर्गत 100 रु० की सहायता की जा सकती है ? इस प्रकार की सहायता लोगों को मिल भी चुकी है। अब जिनके मकान जल गये हैं उनकी भी यह 100 रु० की सहायता न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बता दिया गया कि प्राकृतिक विपदाओं, जैसे बाढ़ आदि से पीड़ित व्यक्तियों को इस प्रकार की सहायता दी जाती है।

श्री बांके लाल—

जिन व्यक्तियों के मकान छप्पर के थे वे इतने गरीब हैं कि अपने मकान नहीं बनवा सकते हैं, उनको यह सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी यह घटना 23 मार्च की हो है। कार्य तो हो ही रहा है।

श्री काजी जलील अब्बासी--

मान्यवर, 23 मार्च की यह घटना है। 24 तारीख को बी० डी० ओ०, 25 तारीख को कानूनगो वहां पर पहुंच गये। 26 तारीख को वहां के तहसीलदार की मृत्यु हो गई फिर भी उस दिन वहां पर रुपया बांट दिया गया। 27 तारीख को एस० डी० ओ० और कलेक्टर घटना स्थल पर पहुंच गये। काम चल रहा है।

श्री बांके लाल--

आग लगने के कितने दिन के बाद जांच आरम्भ करवाई गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

23 मार्च को आग लगी और 26 तारीख को 2,860 रु० का वितरण कर दिया गया।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस तरह की दैवी आपत्तियों के लिये स्थाई रूप से जिला अधिकारी के पास कोई धनराशि नहीं रहती है, जिसके कारण तात्कालिक सहायता पहुंचाना कठिन हो जाता है। यदि हां, तो क्या भविष्य में शासन ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिला अधिकारी के पास दैवी आपत्तियों में सहायता के लिये धनराशि रहे ?

श्री काजी जलील अब्बासी--

हमेशा कलेक्टर और कमिश्नर के पास दैवी प्रकोप के लिये रुपया अलग से रहता है। इसी 3 अप्रैल को रुपया इस कार्य के लिये भेजा गया है।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

चार मकान पुख्ता जल गये और बाकी खपरैल और फूस के थे। खपरैल या पुख्ता मकान वाले वैसा ही मकान बनाना चाहेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह निर्माण के सम्बन्ध में किसी ऋण के देने की योजना भी सरकार बना रही है ? यदि हां, तो कितना धन देगी ?

श्री काजी जलील अब्बासी--

ऋण के लिये गुंजायश है क्योंकि तकावी का रुपया मौजूद है। जो चाहेंगे उनको दिया जावेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

यह जो रुपया अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, उसमें कितने फीसदी सफर खर्च में लेने वाले या देने वाले का व्यय हो जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न का जवाब आपकी जानकारी में हो तो बतला सकते हैं। यह निश्चित प्रश्न नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस रुपया के देने के सम्बन्ध में लगभग आधा रुपया सफर खर्च और पूजा में व्यय हो जाता है ?

श्री काजी जलील अब्बासी--

यह रुपया 26 तारीख को उसी जगह बांटा गया है जहां आग लगी थी।

वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 2 का एक हिस्सा छपा नहीं था। वह साइक्लोस्टाइल करके दे दिया है। मैं संशोधन करके बतला रहा हूं कि इसमें पहला हिस्सा श्री राम गोपाल संड का था और दूसरा भाग श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य का था। अब माननीय मंत्री जवाब देंगे।

**2—श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग के कर्मचारी लखीमपुर खीरी में 25-3-72 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं? क्या उन कर्मचारियों का कोई शिष्ट मंडल राज्य वन मंत्री से 28-3-72 को सायंकाल उनके कक्ष में मिला था? यदि हां, तो कर्मचारियों ने क्या मांगें प्रस्तुत कीं और मंत्री ने उनकी कौन-कौन सी मांगें मान लीं?

**2—क—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वन लिपिक वर्गीय संघ ने 7 अप्रैल, 1972 से प्रदेश के समस्त विभाग के लिपिकों की हड़ताल का नोटिस दिया है? यदि हां, तो क्यों?

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

दिनांक 28-3-72 को वन लिपिक वर्गीय संघ, लखनऊ के अध्यक्ष, महामंत्री तथा संयुक्त मंत्री, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल से मिले और उन्होंने अपनी समस्याओं के संबंध उन्हें अवगत कराया और यह बताया कि लखीमपुर स्थित वन विभाग के कार्यालयों के कर्मचारियों ने 25-3-72 से हड़ताल प्रारम्भ कर दी थी और प्रार्थना की कि वह लखीमपुर जाकर उनकी समस्या का विवेचन करें। अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल 29-3-72 को लखीमपुर पहुंचे और 30 मार्च को तमाम दिन दोनों पक्षों की सुनवाई की और अंत में उन्होंने अपना निर्णय दिया जिससे दोनों पक्ष उनके निर्णय से सहमत थे। उनके फैसले के अनुसार हड़ताल तुरन्त समाप्त कर दी गयी और सभी कर्मचारी काम पर आ गये। यद्यपि 31-3-72 छुट्टी का दिन था तथापि अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल के कहने से कर्मचारियों ने उस दिन भी काम करने का वायदा किया। इसके अलावा कर्मचारीगण अतिरिक्त समय में काम करके रुके हुए काम को पूरा करने के लिए भी सहमत हो गये थे।

मुख्य अरण्यपाल को वन लिपिक संघ ने अपने पत्र दिनांक 26-3-72 में सम्पूर्ण प्रदेश में वन कर्मचारियों की हड़ताल का नोटिस दिया था लेकिन उपर वर्णित परिस्थिति में 7-4-72 से हड़ताल करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी ने यह बताया कि अतिरिक्त अरण्यपाल 29 तारीख को लखीमपुर खीरी गये और 30 तारीख को बातचीत किया। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन कर्मचारियों ने कौन-कौन सी मांगें रखीं और कौन-कौन सी अतिरिक्त अरण्यपाल ने स्वीकार कर ली?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

उनकी मांगे पूरी कर दी गयीं, उनमें कोई मतभेद नहीं रह गया, उनमें सुलह हो गयी और हड़ताल वापस हो गई।

श्री कृष्णस्वरुप वैश्य—

उनकी मांगें क्या थीं और कौन-कौन सी स्वीकार की गयीं, क्या माननीय मंत्री जी इसे बतायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर दोनों पक्षों में सुलह हो गयी तो व्यौरे का सवाल नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो कर्मचारियों ने हड़ताल की नोटिस दी थी, क्या उसे विधिवत् लिखित रूप से वापस ले ली ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां ।

हापुड़, जिला मेरठ की विद्युत् सप्लाई

** 3--श्री मोहन लाल कपूर तथा, श्री लक्षमण स्वरूप (जिला मेरठ)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ नगर जिला मेरठ में गत कई दिनों से प्रति दिन आठ-आठ घन्टे विद्युत शक्ति बन्द रहती है और क्या इसके कारण वहां के दस कोल्ड स्टोरेज व अन्य उद्योग बन्द पड़े हैं तथा जिसके फलस्वरूप 5 लाख टन आलू जिसका मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये है खराब होने वाला है ? यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मेरठ जिले को बिजली मुख्यत: यमुना नहर पर बने पावर हाउस से मिलती है। 10 मार्च, 1972 से यमुना नहर को आवश्यक कार्य हेतु (सिविल वर्क्स) सिंचाई विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया था जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में करीब 4 से 5 घन्टे प्रति दिन का नियन्त्रण लगाना पड़ा था ।

प्रतिदिन रोस्टरिंग का समय छोड़ कर शेष समय बिजली प्रदान की जाती रही । अत: कोल्ड स्टोरेज में जो तापक्रम रहता था उसमें कुछ घन्टों की सप्लाई न होने से कोई नुकसान नहीं होता है । इस बात का ध्यान हमेशा रक्खा है कि जल्द से जल्द बिजली आ जावे और तापक्रम नुकसान की ओर न जा सके ।

यमुना नहर का कार्य 29 मार्च, 1972 को पूरा हो गया है और 30-3-72 से इस क्षेत्र की विद्युत् व्यवस्था सामान्य हो गयी है ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, विद्युत मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि मेरठ क्षेत्र को मुख्यत: बिजली जो यमुना नहर पर पावर हाउस बना है, उससे प्राप्त होती है। पर यमुना नहर की जगह वहां गंगा नदी से भी बिजली मिलती है । तो जब यमुना नहर की सफाई हो रही थी, तो गंगा नदी से बिजली क्यों नहीं दी गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर यमुना नहर से ही दी जाती तो सारे समय बिजली बन्द हो जाती । उसमें केवल 4/5 घण्टे नहीं मिल सकी । बाकी समय मिलती रही । यमुना नहर की सफाई होने के कारण ढालीपुर और ढकरानी पावर हाउस बंद रहे । इसीलिये यह समस्या पैदा हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

प्रश्न कर्ता ने कहा है कि कोल्ड स्टोरेज में ५ लाख टन आलू की हानि हुई । तो क्या श्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि कितनी हानि हुई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझको ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हानि हुई है। कोल्ड स्टोरेज का डेपुटेशन भी मुझसे मिला था। उन्होंने बताया कि हानि की सम्भावना है, हानि नहीं हुई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब बिजली का एक ही ग्रिड है तो किस कारण यमुना नहर की सफाई के बावजूद भी निरन्तर बिजली क्यों नहीं दी गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

केवल 4/5 घंटे बिजली नहीं मिल सकी। बाकी समय जो बाहर की बिजली थी, उससे इसकी पूर्ति की गयी।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर बिजली बंद होने का कारण नहर की सफाई नहीं बल्कि विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या विद्युत मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर यमुना नहर की सफाई की वजह से बिजली बंद रही लेकिन लखनऊ को छोड़कर सारे उत्तर प्रदेश में चार-चार, पांच-पांच घण्टे करेन्ट फेल हो जाता है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितनी बिजली की मांग बढ़ रही है, उतना उत्पादन नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब आदि में भी यही स्थिति पैदा हो गयी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा बिजली पैदा करने के लिये हमको 400 मेगावाट बिजली मिले। कमी इस कारण भी हो जाती है कि गर्मी आने पर हाइडिल का पानी कम हो जाता है। पिछले वर्ष बारिश अच्छी होने के कारण इस वर्ष शायद पानी की कमी न पड़े। लेकिन इसका कारण यही है कि मांग अधिक है और बिजली की कमी है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह सही है कि जमुना कैनाल की सफाई होने के कारण उसके आस पास के क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिली, लेकिन देहातों में नलकूपों आदि के लिये 3 घंटे भी बिजली नहीं मिली ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे इसकी सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई उदाहरण बतायेंगे तो जांच करवा लूंगा।

श्री मोहनलाल कपूर—

मेरी सूचना यह है कि कल दिन तक 8–8 घंटे बिजली बन्द रही है और इसका कारण यह नहीं है कि जमुना नहर की सफाई हो रही है, उसका कारण यह है कि एस० डी० ओ० और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स लोग उनको परेशान कर रहे हैं। तो क्या इसकी आप जांच करायेंगे कि अब तक यह बिजली बन्द क्यों रही और यदि रही है तो क्या अधिकारियों के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अगर कल भी बिजली बन्द रही है तो मैं अवश्य जांच करवा लूंगा। मैं आज ही इसके लिये मालूम करूंगा जाकर बिजली क्यों बन्द रही है।

प्रदेश से खाण्डसारी चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

**4--श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश से बाहर खांडसारी पर केन्द्र द्वारा पाबन्दी लग जाने के कारण काश्तकारों और व्यवसाय में काम करने वालों की हालत पर बुरा असर पड़ रहा है सरकार ने खांडसारी को बाहर भेजने के लिये अब तक प्रान्त में और जिला मुजफ्फरनगर में कितने-कितने परमिट इशू किये हैं और किस-किस को ?

खाद्य मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

भारत सरकार ने प्रदेश से खांडसारी चीनी के निर्यात पर 2-3-72 से ही प्रतिबन्ध लगाया है। खांडसारी का निर्यात हो या न हो, यदि होने दिया जाये तो किस सीमा तक यह विषय शासन के विचाराधीन है। अभी आवश्यक आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। शासन इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेगा।

जहां तक गन्ना उत्पादकों और खांडसारी उद्योग में काम करने वालों की हालत पर बुरा असर पड़ने का प्रश्न है यह ठीक नहीं है क्योंकि अब पेराई के लिये गन्ना नाम मात्र के लिये ही उपलब्ध है। चालू पेराई सीजन समाप्ति पर है। जो कुछ खन्डसारी चीनी गन्ने से बनती थी करीब करीब बन चुकी है। खांडसारी के उन व्यापारियों में अवश्य खलबली मची है जो खांडसारी के भाव चढ़ते जाने की आशा में महंगी होती हुई खान्डसारी का बड़े-बड़े स्टाक एकत्र किये हैं।

चूंकि खांडसारी के निर्यात से सम्बन्धित कोई निश्चित नीति शासन ने अभी तक नहीं अपनाया है अतः मुजफ्फरनगर या प्रदेश के किसी भाग के खांडसारी व्यवसाइयों को निर्यात परमिट दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले सत्र में विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि खांडसारी के आने जाने पर कोई रोक नहीं लगेगी, तो क्या उसको देखते हुये सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि खांडसारी के आने-जाने पर रोक न लगायी जाय? यदि लिखा तो कब?

श्री बेनी सिंह--

यह तो याद नहीं है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया। लेकिन पहले तो आपको मालूम है कि कोई रोक थी ही नहीं।

श्री धर्मवीर सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने खांडसारी के संबंध में कोई पालिसी जानबूझ कर इस लिये नहीं तय की कि वे मिल मालिकों के दबाव में थे?

श्री बेनी सिंह--

मैंने स्वयं कहा है कि उसके स्टाक का हमें पता नहीं है, कितना निर्यात करना चाहिये और कितना नहीं करना चाहिए, यह पता नहीं है। इस लिए यह सारे आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। इसका सीधा सम्बन्ध सरकार से है नहीं। इस कारण उनके आंकड़े मिलते नहीं हैं। अतः सारे आंकड़े इकट्ठ करके हम विचार कर सकेंगे कि कितनी शक्कर है, कितनी खांडसारी है, कितना निर्यात कर और कितना अपने लिए रोक लें।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि इस बात का निर्णय कि खांडसारी पर से पाबन्दी हटा दी जाए, वह कब तक ले लेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

यह प्रतिबन्ध केन्द्र सरकार ने लगाया है, उन्हीं का यह मामला है। हम उस पर आंकड़े इकट्ठा करके कोई नीति निर्धारित करेंगे, तभी इसका कोई जवाब दे सकेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार उन परिस्थितियों का जिक्र करने की कृपा करेगी कि जिनकी वजह से यह प्रतिबन्ध सरकार ने लगाया है ? और क्या राज्य सरकार यह विचार करने जा रही है कि निर्यात होना चाहिए या नहीं ? क्या राज्य सरकार इस बात के विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखेगी कि सन् 70 में चौधरी चरण सिंह के समय में जब खाण्डसारी और गुड़ के निर्यात को छूट दे दी गई थी उस समय खाण्डसारी और चीनी के भावों में केवल 30 रुपये का अन्तर था और अब जब प्रतिबन्ध लगा हुआ है 100 रुपये का यह अन्तर है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

हमारी यह नीति है और शुरू से हमने इसे बरता है कि खाण्डसारी और गुड़ के निर्यात पर कोई रोक न लगाई जाय और बहुत दिनों तक नहीं लगाई है। अब भारत सरकार को हमने यह कहा है कि इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगनी चाहिये। फिर भी उन्होंने निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। हम इसको देख रहे हैं---खाण्डसारी का कितना स्टाक है और यह प्रतिबन्ध जो लगाया गया है यह कहां तक मुनासिब और कहां तक नामुनासिब है। शीघ्र ही इस पर निर्णय कर लिया जाएगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

शासन के इस ऐलान के बाद भी कि खाण्डसारी के निर्यात पर कोई रोक नहीं रहेगी, सरकार ने कोई पाबन्दी नहीं की इसके मूल्यों पर, इसलिए कि मिलों को अधिक से अधिक मिलता रहे और इससे यह इंडस्ट्री चौपट होती रहे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैंने निवेदन किया खांडसारी और गुड़ पर हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। हमारा यह निर्णय था, इसके बावजूद दबाव पड़ा। फिर भी हमारे नीति के कारण गन्ने की जो मिनिमम कीमत रखी गई, उससे ज्यादा रखी गई। उससे ज्यादा उनको मिल सका है। खांडसारी और गुड़ वाले अधिक गन्ना ले सकें, किसानों को हानि न हो, इस विचार से गुड़ और खाण्डसारी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। शक्कर पर केन्द्रीय सरकार का प्रतिबन्ध है, उसके विरुद्ध हम लिख चुके हैं और इसकी जांच पड़ताल हो रही है। ज्योंही हो जाती है, त्योंही उनको लिखेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

उत्तर प्रदेश की सरकार की तो इच्छा कभी थी नहीं कि उसके निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय और वह कोशिश भी कर रही है कि निर्यात पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय, किस तारीख से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया है और क्या उस तारीख से किन्हीं परमिटों के आधार पर प्रदेश से खांडसारी का निर्यात किया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह कारण स्पष्ट है कि गन्ने की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाने से चीनी की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती। खांडसारी और गुड़ क निर्यात पर प्रतिबन्ध इस कारण स उन्होंन लगाया कि चीनी

की कीमत बहुत अधिक बढ़ जायगी जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। इस कारण से उन्होंने इस पर प्रतिबन्ध लगाने की चेष्टा की।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया कि किन कारणों से भारत की सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया। मैंने यह पूछा था .....

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा था, व्यौरे की जानकारी थी। उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने यह पूछा कि किस तारीख को यह प्रतिबन्ध लगाया है और क्या उसमें किन्हीं परमिटों के आधार पर कुछ खांडसारी का निर्यात भी हुआ है अथवा बिलकुल निर्यात नहीं हुआ ?

श्री बेनीसिंह—

2-3-72 से इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा है। अभी तक किसी परमिट पर निर्यात नहीं हुआ है।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि उनको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में खांडसारी का मूल्य 250 रुपये प्रति क्विन्टल, राजस्थान में 315 रुपये दिल्ली में 290 रुपये है, जो अन्तर इस निर्यात की नीति से कीमतों में पड़ा है उसकी वजह से हमारे प्रदेश के खांडसारी के व्यापारी और किसानों को हानि पहुंच रही है, इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकर यह निर्णय लेगी कि जो उत्पादक हैं केवल उनको निर्यात करने के लिये बाहर से परमिट दिये जायं दूसरे प्रदेशों के ?

श्री बेनीसिंह—

श्रीमन् इन सब चीजों पर गौर किया जायगा तब कोई नीति निर्धारित होगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के निमय 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

कटहर नाला, जिला बलिया में रेगुलेटर के कारण भराव

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा कटहर नाला में रेगुलेटर लगाने से नाले का भराव हो गया है और पानी के निकास में गतिरोध पैदा हो गया है जिससे सुरहाताल में पानी का निकास नहीं हो रहा है और वर्ष 1971 में हजारों एकड़ भूमि बिना बोये रह गयी है जिससे दर्जनों गांव प्रभावित है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के स्थायी हल के लिये विभागीय विशेषज्ञों और जन प्रतिनिधियों की एक समिति का निर्माण करेगी और समिति की संस्तुतियों को अमल में लायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

बलिया जनपद के कटहर नाले में विजईपुर के पास रेगुलेटर बनाने से किसी भी प्रकार से नाले में भराव नहीं हुआ है तथा पानी की निकासी में भी कोई प्रतिरोध पदा नहीं हुआ है। वर्ष 1971 में माह जुलाई से सितम्बर तक गंगा नदी का बाढ़ स्तर 63 दिन तक 189-0

फिट के लेविल से ऊंचा रहा और इसलिये सुरहाताल का पानी कटहर नाले द्वारा गंगा नदी में ढाल न मिलने के कारण समय से नहीं निकल सका। इस ऊंचे जल स्तर के कारण सुरहा ताल के इर्द गिर्द 48 ग्रामों में 18000 एकड़ भूमि जलमग्न रही। विभाग द्वारा प्रयास करके इस क्षेत्र का पानी निकाला गया और इस समय केवल 600 एकड़ जमींन पानी के खड़े रहने के कारण नहीं बोई जा सकी। इस समस्या के निराकरण के लिये किसी उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्या यह सत्य है कि बलिया जब आप बरसात के दिनों में गये थे, मैं भी उस प्रतिनिधि मंडल में था जो आपसे मिला था, तो आपने आश्वासन दिया था कि अगर यह फायदे का नहीं हो रहा है, तो हम समिति का निर्माण करेंगे, क्या यह सही है ? फ्लड में गये थे, हनुमान गंज तक हजारों किसानों ने घेरा था, और दिखाया था कि हजारों एकड़ जमीन पानी म थी, आपने आश्वासन दिया था कि समस्या के हल के लिए जो भी हो सकेगा, करेंगे। तो क्या कारण है कि समिति का निर्माण नहीं हो रहा है ? माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें। सिचाई विभाग को तो कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर गये थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछता हूं कि बरसात के दिनों में जब बलिया गये थे, मेरे साथ अन्य किसान आपसे मिले थे और कठिनाई के बारे में जिक्र किया था। (व्यवधान) कटहर नाला वाला जो सुरहा ताल का पानी निकालने का आपने आश्वासन दिया था। फिर फरवरी में जब आप गये थे तो हजारों किसानों ने आपको घेरा उस समय फिर आपने आश्वासन दिया कि इस समस्या का आप निराकरण करेंगे लेकिन सिचाई मंत्री उत्तर दे रहें हैं कि समिति के स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो आप अपने आश्वासन को पूरा करेंगे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जो आश्वासन दिया गया है उसका पालन अवश्य किया जायगा। जहां तक मेरी सूचना है अभी हाल में कोई इंजीनियर साहब मुझ से मिले थे। उनसे मैंने पूछा था कि सुरहा ताल का पानी निकालने की क्या व्यवस्था हो रही है ? उन्होंने कहा कि वह व्यवस्था कर रहे हैं और सुरहा ताल का पानी निकाल देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इस प्रान्त में अनेक ऐसे जिले है जिनमें पानी का भराव हो जाता है और हजारों एकड़ जमीन बिना बोये रह जाती है लेकिन कातश्कार उसका लगान देता है तो क्या सरकार ऐसे आदेश देने को तैयार है कि हर जिले में संबंधित अधिकारी इस पांनी को निकालने की व्यवस्था करेंगे और जब तक पानी निकल न जाय और फसल उस जमीन पर बोई न जाय तब तक लगान काश्तकार से न लिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

लगान न लिया जाय ऐसे किसी आदेश की जानकारी मुझे नहीं है। बाकी अगर जमीन बोई नहीं गयी है और पानी भरा हुआ है तो उसका लगान वसूल नहीं किया जाना चाहिये। जब फसल नहीं हुई अथवा बाढ़ के कारण फसल बरबाद हो जाती है तो हम लगान सस्पेंड कर ही देते हैं। मुझें ठीक पता नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या किया।

जहां तक पानी निकालने का सम्बन्ध है इसके आदेश भेजे जा चुके है। कमिश्नर के यहां मीटिंग की थी, फंड भी एलाट किया था। तमाम डिवीजनन्स क कमिश्नर्स बुलाय गये थे तथा सिचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग क हड आफ दि डिपार्टमेंट बुलाय गय थे और

निर्णय लिया गया, जिसमें एक निर्णय यह था कि ड्रेनेज का कार्य बहुत तेजी से करना चाहिये। उसके लिये भारत सरकार से जो रुपया मिलता है उस रुपये का उपयोग किया जाना चाहिये और जहां-जहां पानी भरा हुआ है भूमि पर उसको निकालने के लिये ड्रनेज की स्कीम चालू की जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

900 बीघा क्षेत्र बिना बोये ही रह गया और जो रेगुलेटर लगाया गया, पंपिंग सेट लगाया गया तो उससे 150 एकड़ की सिंचाई होती है और 900 बीघा जमीन बिना बोये रह गयी यह क्या उचित है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है इस समय लेकिन शम्भूनाथ जी को शायद मालूम होगा कि एक जमाना था जब बलिया म एक एकड़ जमीन के लिये पानी नहीं था उस जमाने में सुरहा की बड़ी मांग थी कि उससे पंपिंग कैनाल बनाई जाय और 15 वर्ष पहले यह पंपिंग कैनाल बनायी गयी और सुरहा ताल पर बनाई गयी इस खयाल से कि जो पानी उसमें भरा हुआ है उससे सिंचाई हो सके। अगर 150 एकड़ जमीन की उससे सिंचाई होती है तो कम नहीं होती है। वैसे जो जमीन डूबी हुई है उससे पानी निकालने के सम्बन्ध में इन्तजाम करना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

रेगुलेटर से कटहर नाले पर मिट्टी का जमाव हो गया और 5 हजार किसानों को लगा कर मिट्टी काटने की व्यवस्था करनी पड़ी और हमारे यहां के अधिकारियों की देख रेख में यह कटाई का काम हुआ। माननीय मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से भी इसकी सफाई कराना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना सही है अथवा मंत्री जी का कहना सही है। सिंचाई मंत्री का कहना है कि जमाव नहीं हुआ है और मुख्य मंत्री जी का कहना है कि कार्यवाही हो रही है। क्या मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे।

श्री बीरबहादुर सिंह---

मान्यवर, जहां तक प्रश्न के उत्तर का सवाल है वह सही दिया गया है। उसमें कटाव की वजह से ही पानी की रुकावट हुई है और जिस स्तर से गंगा का पानी निकल रहा था उसका स्तर ऊंचा हो गया था।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, अभी भी माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं मैं इसकी सूचना आपको दे रहा हूं और बाद में लिखकर भी दे दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि भारत सरकार की सहायता से हर जिले में जल प्रवाह को समाप्त करने के लिये एक स्कीम बना दी गई है, उस स्कीम के तहत क्या बाराबंकी जिले की स्कीम बन कर सरकार के पास आ गई है, यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उसकी मंजूरी दे दी गई है और यदि नहीं तो किस निश्चित तारीख तक उस स्कीम को मंजूरी मिल जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो दूसरा ही सवाल हो गया।

श्री बीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

ब्रांच नहर इलाहाबाद पर पुलों का निर्माण

*2—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद ब्रांच नहर पर ग्राम पूरे जोगई मजरे कडरों तथा कस्बा लतीफपुर माइनर पर ग्राम सिवाला मजरे लवाना तथा ग्राम ऊंचागांव पम्प नहर मानिकपुर पर पुलों के निर्माण हेतु जनता तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा अरसे से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 95 पर)

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद ब्रांच नहर पर कडरों तथा लतीफपुर माइनर पर सिवाला मजरे लवाना जो तीन फिट चौड़े पुल बने हुये हैं, उनको चौड़ा करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, इस माइनर के इस स्थान से दोनों ओर बड़े-बड़े पुल बने हुये है इस लिये किसी पुल के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री जयराम यादव—

मान्यवर, इलाहाबाद ब्रांच नहर पर कडरों और लतीफपुर माइनर पर ग्राम सिवाला मजरे लवाना दो हिस्सों में बंट गया है जिससे खेतों में खाद वगैरह डालने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि जो पुल बना हुआ है वह चौड़ा नहीं है। अतः इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उस तीन फुट चौड़े पुल को और चौड़ा कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, कडरों पर जो माइनर है वहां पर एक पुल बना हुआ है और उसके बाद एक मील 25 गज पर भी एक पुल बना है इसलिये वहां पर दूसरे पुल की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य भी निश्चित रूप से कह रहे हैं कि वहां पर पुल बना हुआ है किन्तु वह चौड़ा नहीं है उसके चौड़ा करने की मांग वे कर रहे हैं। तो माननीय सदस्य के इस सुझाव को मान लेने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, आर्थिक कठिनाई है।

श्री जयराम यादव—

मान्यवर, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने जबाव में लिखा है कि मानिकपुर पंप नहर में एक पुल बनाने की कार्यवाही बिचाराधीन है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह कब से विचाराधीन है और किस दिन तक वह पूरी हो जायगी ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

कार्यवाही हो रही है और जल्दी बना दिया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बलिया जिले में गायघाट के सामने गंगा का कटान

*1--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में गायघाट के सामने गंगा की कटान को रोकने सम्बन्धी कार्यों, वस्तुओं तथा निर्माण हेतु ठेके दिये गये थे ? यदि हां, तो किसको किसको किस दर से ? और क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यों पर जो धनराशि व्यय की गई उसकी दर किन्हीं-किन्ही कार्यों के लिए एग्रीमेन्ट की दर से भी अधिक दर से भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बीरबहादुर सिंह--

प्रश्न का प्रथम भाग--जी हां, कुछ भंडार की पूर्ति दूसरे खंडों से भी की गई थी।

प्रश्न का दूसरा भाग--ठेकेदार वार विस्तृत विवरण संलग्न† तालिकाओं में दिया हुआ है।

प्रश्न का तीसरा भाग--जी नहीं ।

प्रश्न का चौथा भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरों को वर्क आर्डर एक महीने में एक निश्चित सीमा तक ही देने का आदेश है ? यदि हां, तो वह कितनी है और क्या यह सही है कि इंस इजीनियर ने उस आदेश का पालन नहीं किया है और जुलाई नें 91 हजार का और अगस्त में 26 हजार का दिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामलखन)--

वर्क आर्डर तो कार्य की आवश्यकता को देख कर दिये जाते हैं और जितनी की सीमा निर्धारित है अगर उससे अधिक का वर्क आर्डर से कराना है तो सक्षम अधिकारी से उसकी स्वीकृति ले ली जाती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाय घाट पर जो कार्य हुआ है वह एक वर्क आर्डर के आधार पर किया गया, तो उसमें कुछ टेंडर भी लिये गये ? यदि हां, तो कितने रुपये का कुल कार्य हुआ ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

ज्यादा काम टेंडर से हुआ और कुछ ही काम वर्क आर्डर से हुआ। जो कार्य टेंडर से हुआ वह था 12,73,233 रुपये का और वर्क आर्डर से जो हुआ वह था 2,71,733 रुपये का।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गाय घाट पर गंगा के कटाव को रोकने की कितने रुपये की स्कीम है और कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी जो इस पर खर्चा किया गया वह 16,00,662 रुपया खर्च हुआ। फिर स्कीम बनायी जा रही है, जैसी स्कीम होगी उतना कार्य होगा ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे, कि हम इस संबंध में शिकायतें दे रहे हैं वहां जो गड़बड़ियां हुई हैं, तो उसकी जांच उचित स्तरीय ढंग से करायेंगे ?

श्री रामलखन—

यदि गड़बड़ियां माननीय सदस्य बतलायेंगे तो उसकी अवश्य जांच करायेंगे ।

नैनीताल जिला सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक

*2—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सिंचाई सलाहकार समिति, नैनीताल की बैठक दिनांक 23 जनवरी, 1971 को समिति द्वारा जिन नाजायज कब्जों को हटाये जाने विषयक पर अपनी संस्तुति की गई थी और जिला अधिकारी ने जो आदेश दिये थे उसका अभी तक पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

दिनांक 23–1–71 को जिला सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक की संस्तुति पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा दिये गये आदेशानुसार नाजायज कब्जों को हटाने के लिये जो मामले विभाग को दृष्टिगत हुए उन्हें हटाने के लिये बराबर पुलिस अधिकारियों एवं जिलाधिकारी नैनीताल से विभाग सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं। कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण नाजायज कब्जों को अब तक नहीं हटाया जा सका है ।

शासन ने भी जिला मैजिस्ट्रेट नैनीताल को यह आदेश दे दिये हैं कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक पुलिस सहायता तुरन्त प्रदान की जाये जिससे कि इन नाजायज कब्जों को शीघ्र खाली कराया जा सके ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सा महीना और कौन सा साल है जब जब जिला अधिकारियों से इस संबंध में सिंचाई विभाग ने संपर्क स्थापित किया है ?

श्री रामलखन—

यह तो प्रस्ताव पास होने के बाद जब जब आवश्यकता होती है उस समय पुलिस की सहायता मांग ली जाती है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कितने एकड़ जमीन है जिस पर नाजायज कब्जे हुए हैं और कब से कब तक हुए हैं ?

श्री रामलखन—

यह तो नहर की पटरियां हैं, उसके किनारे जो थोड़ी सी जमीन है उस पर लोगों ने अपनी छोटी-छोटी दूकानें बना ली हैं हलद्वानी में कोई विशेष जमीन नहीं है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

कुछ मामले कोर्ट में गये हैं, उन को छोड़ कर जब से जिला मैजिस्ट्रेटों ने कार्यवाही की तो कितने कब्जे इस तरह से खाली करा दिये गये हैं ?

श्री रामलखन—

कोशिश यही की जा रही है कि सभी नाजायज कबजे हटा दिये जायं । जो कोर्ट के आदेश से रुके हुये ह उसमें बिलम्ब लगेगा, वह हमारे अधिकार में नहीं है ।

डाक-पत्थर देहरादून के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोप

*3—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि डाक-पत्थर देहरादून में कार्यरत एक अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध यह आरोप पिछले दो-तीन वर्षों से लगाये जा रहे हैं कि उन्होंने अपने कमरे में महात्मा गांधी की तस्वीर को उलटा कर लटकाया है तथा सरकारी खर्च पर अपने रिश्तेदारों से बम्बई वार्ता फोन पर की जिसका टेलीफोन बिल नं० डी—के—पी 36, सन् 1970 मु० 64 रु० का है तथा यह फोन मेस० कालिंग इंडिया लि० बम्बई को 454130 न० (बम्बई) पर किया गया था इसी प्रकार अपने एक रिश्तेदार को दिनांक 7 नवम्बर, 1970 तो तार रसीद नं० 2798 पो० आ० डाक-पत्थर द्वारा बदायूं भेज कर बुलाकर बिना अन्य किसी को बुलाये नौकरी पर रख लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

शिकायत दिसम्बर, 1970 में आई थी जो जांच करने पर निराधार पायी गयी।

अधिशासी अभियन्ता ने 21—9—70 को मेसर्स क्रीतेगस इन्डिया लिमिटेड बम्बई को अपने कार्यालय से फोन किया था। इस निजी काल को गलती से सरकारी मान लिया गया। बिल की कुल धनराशि 64 रु० थी जिसमें उल्लिखित काल का मूल्य 40 रु० था। एक ट्रेसर के रिक्त पद के लिये रोजगार दफ्तर के माध्यम से तीन बार अभ्यर्थी बुलाये गये थे जिसमें से एक की नियुक्ति भी की गयी परन्तु अभ्यर्थी न तो निश्चित तारीख पर उपस्थित हुआ और न उसने कोई सूचना ही दी। इसी बीच एक एक्स इम्पलाई का प्रार्थना पत्र बदायूं से पहुंचा जिसे प्रश्नगत तार देकर साक्षात्कार के लिये 10—11—70 को बुलाया गया। 10—11—70 को रोजगार दफ्तर से किसी के न आने के कारण एवं अभ्यर्थी के पास उचित योग्यतायें होने के कारण अभ्यर्थी की नियुक्ति कर ली गयी। यह अभ्यर्थी अधिशासी अभियन्ता का रिश्तेदार नहीं है।

श्री नित्या नन्द स्वामी—

श्रीमन् मैं मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि शिकायत दिसम्बर में आई थी जो निराधार पाई गई। एक ही शिकायत है। मंत्री जी ने एक बात स्वीकार कर ली है कि प्राइवेट टेलीफून बिल को सरकारी खाते में डाल दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी के चित्र को उल्टा लटकाया गया उसको स्वीकार नहीं किया है। ऐसी बात वहां पर हुई है कि वहां के अधिशासी अभियन्ता ने नमाज के समय महात्मा गांधी के चित्र को उलट दिया है तत्त-पश्चात् नमाज पढ़ी है। यह बात प्रत्येक मनुष्य को मालूम है तो क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इसकी दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री रामलखन—

श्रीमन्, जांच से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ऐसी शिकायतें नहीं मिली है क्योंकि अधिकारी के कमरे में महात्मा जी का चित्र उत्तर दिशा की ओर लगा हुआ है और नमाज पश्चिम में पढ़ी जाती है इसलिये ऐसा करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती कि उसको उल्टा किया जाता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सब से पहले किसने जांच की और जांच के दौरान जांच अधिकारी ने किस किस से पूंछताछ की और वह किस नतीजे पर पहुंचा? यह सब कागजात क्या मंत्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीरबहादुर सिंह—

मान्यवर इसकी जांच एस०ई० ने की। फोटो उत्तर दिशा में लगा हुआ है इसलिये उलटने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच कर्ता ने किन-किन लोगों से पूंछताछ की और शिकायत करने वालों को मौका दिया या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अधिकारी ने बम्बई फोन किस तारीख को किया और पैसा कब जमा किया ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब मालूम हुआ तो पैसा जमा कर दिया ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या मंत्री जी सफाई दे रहे हैं क्या यह इंजीनियर के एजेंट हो गये हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस तारीख को फोन किया ?

श्री राम लखन--

21-9-70 को फोन हुआ था और 11-11-70 को भुगतान किया गया जैसा कि बताया गया है कि गलती से आफीसियल लिख दिया गया । जब आरोप आया तो अधिशासी अभियन्ता ने पेमेंट कर दिया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मंत्री गण जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं उसके संबंध में मुझे एक निवेदन करना है कि सदन के सामने सत्य आना चाहिये और मंत्री जी सब के मंत्री हैं और उन्हें केवल अपने विभाग को ही डिफेंड नहीं करना है । मुझे विश्वास है कि आप ऐसे आदेश देंगे कि जो नीचे वाला आदमी है उसने ठीक काम किया था या नहीं, इसको देखा जाय । उसको डिफेंड करना है इसको अपने सामने न रखे । इस बात को ध्यान में रखते हुए पूछना चाहता हूं कि यह जो काल उन्होंने पहले सरकारी एकाउन्ट में डाल दी और बाद को उसका पेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी सरकार ने उनको क्या सजा दी ?

दूसरी बात यह है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने अगर लिस्ट नहीं भेजी थी तो फिर दुबारा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को क्यों नहीं लिखा गया ? क्या यह सही नहीं है कि जानबूझ कर लिस्ट नहीं मंगायी गयी और अपने ही रिश्तेदार का एप्वाइंमेंट कर दिया ?

श्री रामलखन--

जहां तक टेलीफोन चार्जेज की बात है । उसने इसके पहले भी 8 बार बम्बई को टेलीफोन किया और आठो बार उसका पेमेन्ट किया । जैसा कि मैंने निवेदन किया यह गलती से सरकारी काल दर्ज हो गयी थी, बाद को भूल मालूम होने पर उसका पेमेन्ट कर दिया गया । जिस आफीसर ने पहले काल का पेमेन्ट किया हो उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि एक बार के लिये वह बेईमानी करेगा ।

जहां तक रोजगार दफ्तर से उम्मीदवार मंगाने की बात है कि इस बार भी रोजगार दफ्तर से उम्मीदवारों को मंगाया गया था लेकिन वहां से नहीं आये, आखिरकार जो कैन्डीडेट उपलब्ध था, उसको ही नियुक्त कर दिया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैं पूरक प्रश्न न करता, अगर मुझे सही उत्तर दे दिया जाता लेकिन मुझे दुःख है कि महात्मा गांधी का इस प्रकार से तिरस्कार किया जाता है और इस प्रकार से उसको दबाया जाता है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि महात्मा गांधी के चित्र को उल्टा लटकाया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे इस संबंध में किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे। महात्मा गांधी के चित्र को उल्टा लटकाया गया और सारे दफ्तर के लोगों ने इसका विरोध किया और सारी डाक-पत्थर कालोनी में उसकी चर्चा रही। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूं, कोई बुतपरस्त नहीं हूं, इसलिये मैंने चित्र को उल्टा कर दिया है। क्या मुख्य मंत्री जी इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे, मैं उसका सबूत दूंगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ऐसा है तो जांच करा लूंगा। अच्छा हो कि माननीय नित्यानन्द जी मुझे लिख कर दे दें कि क्या घटना घटी थी।

मनेरी माली जल विद्युत् योजना उत्तरकाशी का कार्य

*4--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मनेरी माली प्रायोजना उत्तर काशी के कार्य आरम्भ होने में जो विलम्ब हुआ है, उसके सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग ने कोई रिपोर्ट गत वर्ष भेजी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही किया ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

जी नहीं, परन्तु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता यमुना ने एक पत्र 17 नवम्बर, 1971 को शासन को भेजा था। यह पत्र मनेरी माली जल विद्युत योजना के मुख्य कार्यों के संबंध में मेसर्स हिन्दुस्तान कान्सस्ट्रक्शन कम्पनी के अनुबन्ध में परफारमेंन्स बान्ड की शर्त के संशोधन करने के विषय में था। इस विषय में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना कब प्रारम्भ हुई थी, इसको कितने में बनने का अनुमान था तथा कितने दिनों में बन जाने का अनुमान था ?

श्री बीरबहादुर सिंह--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

यही तो महत्व की बात थी फाइनेंस विभाग और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में फाइल इधर से उधर फिर रही है, कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया जा रहा है और मिनिस्टर साहब उसकी बात को छिपा रहे हैं ?

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हिन्दुस्तान कान्सट्रक्शन कंपनी से जो समझौता हो गया था उसके किस अनुबंध के संबंध में सरकार पुनर्विचार कर रही है ?

श्री राम लखन--

जो टेंडर 1-4-71 को निकाला गया था, उसी के संबंध में निर्णय करना है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा अनुबन्ध है जिसके संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जिस पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राम लखन--

यह तो मालूम नहीं कि कौन सा अनुबन्ध है लेकिन 1-4-71 को जो टेंडर इनवाइट किये गये थे, उसके बारे में ही समझौते की वार्ता चल रही है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो पत्र आया है और यह जो परफार्मेन्स बान्ड है उस को वह सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

मालूम होता है कि मंत्री जी के पास सूचना नहीं है जिससे वह सफाई के साथ पूरा उत्तर दे सकें । इसलिये आप कृपा करके इस प्रश्न को स्थगित कर दें ताकि आगे ठीक से उत्तर आ सके ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

यह इतना महत्व का प्रश्न है । यह योजना कब की प्रारम्भ हुई है और कब की खटाई में पड़ी हुई है । इसका कारण यह है कि इंजीनियर्स लिखते हैं कि अमुक-अमुक चीजें होना चाहिये लेकिन सारी योजना यहां के एडमिनिस्ट्रेशन और वित्त विभाग के बीच में फुटबाल बनी हुई है, इस तरह से पचासों लाख रुपया व्यय हो जायगा और दोनों विभागों के बीच में कुछ निर्णय नहीं होगा । इस समय भी सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिये कह रही है कि सूचना नहीं है, क्यों सूचना चाहिये, क्यों यह पहले से एकत्र नहीं की गई ? मैं नेगी जी की बात का समर्थन करता हूं कि आप इसको स्थगित कर दें और मंत्री जी से कहें कि वह पूरी तैयारी के साथ फिर से आयें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह प्रश्न जिसकी सूचना मांगी है...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

जो सम्भावित प्रश्न हो सकते थे उन पर क्यों वह तैयार होकर नहीं आये और जो पूछा गया उसका उत्तर वह क्यों नहीं दे रहे हैं । यदि कोई ऐसी चीज पूछी जाती हो जो प्रश्न से सम्बन्धित हो तो वह जान कर उसे क्यों छिपा रहे हैं ?

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

मूल प्रश्न का भी उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री बांकेलाल--

आप अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके उनको ठीक करें ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

आप इसको स्थगित कर दें और वह तैयारी कर के किसी और दिन आयें ।

श्री रामलखन--

जो प्रश्न किया गया था उससे सम्बन्धित सूचना दे दी गई है । नया सवाल पूछना है तो उसकी सूचना एकत्र करके दी जायगी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

वह अनुबन्ध की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

यह योजना कब आरम्भ हुई इसका उत्तर तो दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष---

उत्तर में है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता यमुना ने एक पत्र 17 नवम्बर, 1971 को शासन को भेजा था। यह पत्र मनेरी माली परियोजना के मुख्य कार्यों के सम्बन्ध में "मेसर्स हिन्दुस्तान कांस्ट्रक्शन कम्पनी ने अनुबन्ध की परफार्मेंस बांड की शर्तों" . .यह पत्र आपके पास है · · · · · · · ·

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

वह पत्र के अनुबन्ध सदन के पटल पर रखाये जायं।

श्री राम लखन---

वह तो नहीं है लेकिन टेंडर की शर्तों में परफार्मेंस बांड की बात थी लेकिन चीफ इंजीनियर के पत्र के बाद उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत बान्ड भी देना होगा। इसलिये चीफ इंजीनियर ने कहा कि परफार्मेंस बांड की शर्तों को संशोधित कर दिया जाय ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मेरी श्रीमन्, आपसे बार-बार यही प्रार्थना है कि हम वह पत्र और एग्रीमेंट देखना चाहते हैं जिसके बारे में शासन विचार कर रहा है। आप हमें यह कहने के लिये क्षमा करें कि जो उन्होंने कहा है उसमें वही शर्तें हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जो सूचना मांगेंगे हम उसको मंगा देंगे।

नैनीताल जिले के नन्धौर नदी बाढ़ नियन्त्रण योजना एवं कटना नाला से खतरा

*5---श्री डूंगरसिंह विष्ट--- (जिला नैनीताल)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के चोरगुलरिया-लखन मंडी ग्राम समूहों की कितने एकड़ काश्त वाली भूमि नन्धौर नदी की बाढ़ में बहकर रेतीली हो चुकी है ? क्या अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई खंड, नैनीताल तथा अधिशासी अभियन्ता, तराई सिंचाई खंड, नैनीताल ने नन्धौर नदी से बाढ़ नियन्त्रण के लिये कोई योजना शासन के पास भेजी है ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्न का प्रथम भाग---

जिला नैनीताल के चोर गुलरिया लखनमंडी भावर क्षेत्र के गांवों की लगभग 75 एकड़ भूमि नन्धौर नदी की बाढ़ से गत वर्षों में कट कर रेतीली हो चुकी है।

प्रश्न का द्वितीय भाग---

जी नहीं, अभी सर्वेक्षण कार्य ही पूरा हो सका है।

प्रश्न का तृतीय भाग---

प्रश्न नहीं उठता---

*6—श्री डूंगरसिंह विष्ट—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में हल्द्वानी के निकट गोला नदी से कटना नाला निकलने पर गोलापार के कितने ग्रामों की भूमि बह जाने का जो खतरा उत्पन्न हो गया है, क्या अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई खंड, नैनीताल तथा अधिशासी अभियन्ता, तराई सिंचाई खंड, नैनीताल ने कटना नाले को गोला नदी की ओर मोड़ने के लिये कोई योजना शासन के पास भेजी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीरबहादुर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां, जिला नैनीताल में हल्द्वानी के निकट गोलापार भावर के 6 ग्रामों की भूमि को गोला नदी के नये नाले से बाढ़ नें आंशिक कटान का खतरा हो गया है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

जी नहीं, बचाव हेतु योजना के बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य ही अभी पूरा हो सका है।

प्रश्न का तृतीय भाग—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

मन्त्री जी ने कहा कि नन्धौर नदी की बाढ़ से 75 एकड़ भूमि बह गई है लेकिन उससे तिगुनी जमीन बही है और बाढ़ ग्रस्त हुई है तो क्या मन्त्री जी जल्दी से उस का सर्वे करा के वर्षा ऋतु की बाढ़ से पहले बाढ़ नियन्त्रण की कार्यवाही पूरी करेंगे?

श्री वीरबहादुर सिंह—

इसका सर्वे करा लिया गया है, एस्टीमेंट्स बन रहे हैं। कार्यवाही हो रही है।

चारबाग डिपो रोडवेज के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*7—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चारबाग डिपो (लखनऊ रीजन) में कितने ए० टी० आई०, ड्राइवर्स, कन्डक्टर तथा बुकिंग क्लर्क 5 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं? नियमानुसार उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है?

श्री बलराम सिंह यादव—

लखनऊ रीजन की चारबाग डिपो में 1 ए० टी० आई० 91 ड्राइवर, 74 कन्डक्टर, तथा 28 बुकिंग क्लर्क 5 वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं। बुकिंग क्लर्क के काउन्टर तथा अन्य प्रश्नगत कर्मचारियों के चलने तथा चेकिंग के मार्ग समय-समय पर बदले जाते रहे हैं।

देवरिया जिले के पिपरासी बन्धे की मरम्मत

*8—कुंवर चन्द्रप्रतापनारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिपरासी बन्धा जिला देवरिया के टूट जाने से पडरौना तहसील में पिछले वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? यदि हां, तो इस घटना से बचने के लिये इस वर्ष उक्त बांध बरसात से पहले बन जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां, पिपरासी ग्राम के निकट बिहार बांध के टूट जाने के फलस्वरूप देवरिया जिले की पडरौना तहसील में पिछले वर्ष बाढ़ आई थी।

प्रश्न का दूसरा व तीसरा भाग—

उपर्युक्त बांध बिहार प्रदेश में है और उन्हीं के द्वारा इसका रख-रखाव किया जाता है। बिहार सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से उक्त टूटे भाग को ठीक कराने के लिये बराबर अनुरोध किया जाता रहा। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बिहार सरकार मिट्टी का रिंग बांध बना कर पिपरासी की खांदी बन्द करा रही है। जिसमें लगभग आधा कार्य किया जा चुका है और आशा है कि उक्त खांदी वर्षा से पहले बन्द हो जायगी।

गोरखपुर जिले की सरकारी पक्की सड़क

*9—श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि जिला गोरखपुर की सरकारी पक्की सड़क वर्डघाट, सिकरीगंज, बड़हलगंज का वह भाग जो सिकरीगंज गोला भुमिला तक पीच नहीं है उसे पीच कराया जायगा? यदि हां, तो कब तक?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री महमूद अली खां)—

जी नहीं।

परिवहन विभागीय कानपुर सेंट्रल वर्कशाप से गायब सामान

*10—श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को पता है कि कानपुर सेंट्रल वर्कशाप से सन् 1968 से 71 की अवधि में क्राउन व्हील, गैयर बाक्स व बस आदि लाखों रुपये की मालियत का सामान गायब हुआ? यदि हां, तो गायब हुये सामान का वर्ष वार विवरण व मालियत क्या है? उसकी जिम्मेदारी किन-किन पर आती है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय रोडवेज कुमायूं रीजन नैनीताल के कन्डक्टरों की पदोन्नति

*11—श्री इन्द्र लाल—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय रोडवेज, कुमायूं रीजन, नैनीताल के अन्तर्गत माह अगस्त, सन् 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक कितने कन्डक्टरों की पदोन्नति किस आधार से ए०टी० आई० के पद पर किस अधिकार द्वारा की गई?

श्री बलराम सिंह यादव—

कथित अवधि में कुमायूं रीजन में केवल एक कन्डक्टर की ए० टी० आई०के पद पर पदोन्नति, प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, कुमायूं रीजन, नैनीताल द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर की गई।

अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग तक रोडवेज बस चलाने सम्बन्धी ज्ञापन

*12—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 मार्च, 1971 को उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 16 जनवरी, 1971 का ज्ञापन अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग रोडवेज पर बस चलाने हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई और कब तक उक्त बस सर्विस चलाने की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग तक रोडवेज बस चलाने हेतु सदस्य महोदय का दिनांक 16 जनवरी, 1971 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त तिथि का एक ज्ञापन अलमोड़ा से गोपेश्वर (चमोली) मार्ग पर रोडवेज बस सेवा चलाने हेतु प्राप्त हुआ था जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गोरखपुर जिले के नलकूप चालकों की परीक्षा

*13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड, गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं० 43, दिनांक 21 अगस्त, 1971 के आधार पर नलकूप चालकों की हुई परीक्षा में की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई लिखित शिकायती-पत्र गोरखपुर के विधायकों आदि की ओर से प्रेषित माह जनवरी, 1972 ई० में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र में कुल कितने आरोप थे और जांच के आधार पर कितने की सत्यता प्रमाणित हो पाई है ?

श्री राम लखन—

जी हां।

उक्त पत्र में चार आरोपों का उल्लेख था। जांच करने के उपरान्त किसी भी आरोप की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकी।

[5 अप्रैल, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[5 वें बुधवार के लिये स्थागित]

रोडवेज की बसों का कन्डेमनेशन माईलेज

*2—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज की बसों का कन्डेमनेशन माइलेज पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में एक ही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। रोडवेज की मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों का कन्डेमनेशन माइलेज 4.80 लाख किलोमीटर निर्धारित है, और पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली टाटा और ले-लैंड मेक की गाड़ियों का कन्डेमनेशन माइलेज क्रमशः 3 लाख और 4 लाख किलोमीटर निर्धारित है।

*3—श्री कल्याण सिंह—

[5वे बुधवार के लिये स्थगित]

सिंचाई विभाग, जिला रायबरेली की उपमंत्री द्वारा जांच

*4—श्री सुखपाल पांडे (जिला बस्ती), तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राय बरेली जिले के सिंचाई विभाग में नवम्बर सन् 1971 में सिंचाई उपमंत्री ने स्वयं जांच करके कुछ गड़बड़ियों को पकड़ा ? यदि हां, तो कितने रुपये का मामला है और कौन-कौन से कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री राम लखन—

जी हां। पूर्ण जांच के बाद ही यह विदित होगा कि यह कितने रुपये का मामला है तथा कौन-कौन कर्मचारी इसके लिये उत्तरदायी हैं। जांच पर्यन्त सहायक अभियन्ता तथा दो अधिदर्शकों को निलम्बित कर दिया गया है।

बाढ़ नियंत्रण हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन

*5—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बाढ़ नियंत्रण आदि के लिये 1969–70 तथा 1970–71 तथा 71–72 कितना-कितना धन दिया है और उसमें से कितना धन खर्च हुआ है और कितना धन बाकी है ? बाकी धन न खर्च होने का क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

इसका ब्योरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 96–97 पर)

*6—श्री नित्यानन्द स्वामी [निरस्त]।

*7—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत् एवं यांत्रिक शाखा के ओवरसियर अधीक्षकों को सहायक अभियन्ताओं से ज्येष्ट घोषित किया जाना

*8—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1971 में उनके विभाग की विद्युत् एवं यांत्रिक शाखा के ओवरसियरों/अधीक्षकों को किस आधार पर सहायक अभियन्ताओं से ज्येष्ठ घोषित किया है तथा उनकी शैक्षिक और तकनीकी योग्यता क्या है ?

श्री महमूद अली खां—

अक्तूबर, 1971 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में किसी विद्युत् एवं यांत्रिक ओवरसियर। अधीक्षक को सहायक अभियन्ताओं से ज्येष्ठ घोषित नहीं किया गया।

*9—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री बतायेंगे कि उक्त ओवरसियरों/अधीक्षकों को सहायक अभियन्ताओं के पदों पर स्थायी करन से पूव उन्हें ओवरसियरों/अधीक्षकों के पदों पर कभी स्थायी किया गया था यदि हां, तो उनके स्थायीकरण के आदेशों की तथा उनकी योग्यता के प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेंगे ?

श्री महमूद अली खां--

उक्त उत्तर के कारण यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सिंचाई की दर

*10--श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद), श्री महावीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

क्या उत्तर प्रदेश में अत्यधिक बढ़े हुए सिंचाई कर की दर को घटाने की बात सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिया जायगा ?

श्री राम लखन--

प्रथम भाग.....जी नहीं ।

द्वितीय भाग.....प्रश्न नहीं उठता ।

*11--श्री सर्वसुख सिंह, श्री महावीर सिंह चौहान--

[6ठें मंगलवार में प्र0 सं0 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

जालौन जिले में बस मालिकों के विरुद्ध शिकायतें

*12--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या यातायात मंत्री बतायेंगे कि सन् 1970 व 1971 में कोटका व कालपी जिला जालौन की बस मालिकों के खिलाफ कई लिखित शिकायतें आर० टी० ओ० झांसी को भूतपूर्व विधायक तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कई आरोपों में जनहित में लगाये गये ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं व क्या कार्यवाही कब-कब की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, वर्ष 1970 व 1971 कोटका-कालपी मार्ग पर चलने वाली बस मालिकों के विरुद्ध कुछ लिखित शिकायतें प्राप्त हुयी थीं ।

मुख्य आरोप निम्नवत् थे--

(1) कालपी-कोटका मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसें सैदनगर से होकर नहीं जातीं । इसकी विभागीय जांच करायी गयी और आरोप सही नहीं पाया गया ।

(2) सर्वश्री विजय दीक्षित , गिर्जा शंकर दीक्षित के विषय में यह कहा गया कि ओवरलोडिंग करते हैं तथा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार बसें नहीं चलाते हैं तथा यात्री कर की चोरी करते हैं । शिकायती-पत्रों में अधिक विवरण न होने के कारण जांच करना संभव न हो सका ।

(3) श्री लखपत राम शर्मा भूतपूर्व विधायक ने एक बस संख्या यू० एस० एफ० 8502 की अनियमितताओं के बारे में शिकायत की थी जिसके ऊपर भी जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही हुई ।

*13-14--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

*15--श्री अनन्तराम जायसवाल, चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

बिजनौर जिले की रावली घाट पर गंगा नदी का पुल

*16—श्री राम पाल सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जिला बिजनौर के चार विधायकों ने 21 जुलाई सन् 1971 को मुख्य मंत्री को जिला बिजनौर में रावली घाट पर गंगा नदी के पुल निर्माण सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था जिसकी प्राप्ति 21 अगस्त सन् 1971 को की गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुल निर्माण हेतु क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सीमित संसाधनों के कारण प्रस्तावित पुल का निर्माण संभव नहीं है।

आगरा नहर के रजबहा टरमिनल से पानी न मिलना

*17—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नहर के रजवहा टरमिनल से 1971 अक्तूबर में पलेवा के लिये पानी न मिलने के कारण हजारों एकड़ भूमि बंजर रह जाने से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी जांच सरकार करायेगी ? क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें किसानों तथा विधायकों की मिली है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा का असिंचित क्षेत्र

*18—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील फतेहाबाद जिला आगरा में जो दो तिहाई भूमि असिंचित है उसके सिंचित बनाने की क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या इस विशेष परिस्थिति तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए उपरोक्त तहसील को सिंचाई कार्यक्रम के उस प्रदेशीय कार्यक्रम में शामिल करने की कृपा करेंगे जिसमें पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बुलन्दशहर तथा मेरठ जिलों के मार्गों को पक्का किया जाना

*19—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में जिला बुलन्दशहर में पालीखानपुर–भढ़को–गैसूपुर मार्ग को जो कि एक अतिकृषि क्षेत्र में से गुजरता है पक्का करवाने पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

*20—क्या सा० नि० मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में जिला बुलन्दशहर में बुगरासी–जलालपुर भतसाना (जिला मेरठ) मार्ग को पक्का निर्माण कराने पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत सड़कों का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है।

*21--22--श्री लालसा--

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

*23--श्री शमीम आलम, श्री मुमताज मोहम्मद खां--

[4 थे बुधवार में प्र० सं० 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*24--श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री सच्चिदानन्द--

[5 वें बुधवार के लिय स्थगित]

*25--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[5 वें बुधवार के लिय स्थगित]

*26--श्री अनन्त राम जायसवाल--

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

कानपुर जिले में पक्की सड़कों का निर्माण

*27--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत डेरापुर से सिठमरा होते हुए कहिंजरी तक पक्की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में शासन को गत वर्ष आवेदन-पत्र मिले थे और क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता कानपुर ने इस सड़क के निर्माण के लिये शासन को रिपोर्ट भेजी थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और इस सड़क के निर्माण का कार्य कब से शुरू किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में धनाभाव के कारण कथित सड़क का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है।

*28--श्री भानु प्रताप सिंह--

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

ब्लाक ककवन व ब्लाक बिल्हौर, जिला कानपुर का नलकूप

*29--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कानपुर की तहसील बिल्हौर के ब्लाक बिल्हौर से संबंधित गांव बीबीपुर में एक सरकारी नलकूप लगाना स्वीकार कर नलकूप लगाने का कार्य शुरू कर देने के बाद भी वहां नलकूप नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम लखन--

जी हां, जिला कानपुर की तहसील बिल्हौर के ग्राम बीबीपुर में राजकीय नलकूप लगाने की तैयारी में गड्ढा खोदा गया था। परन्तु इसी बीच में इस ग्राम के निकटवर्ती ग्राम गढ़ (गैदीपुर) में 800 फुट गहराई तक बोरिंग करने पर भी उपयुक्त स्ट्रेटा प्राप्त न हो पाया। अतएव ग्राम बीबीपुर में नलकूप बनाने का कार्य स्थगित कर देना पड़ा।

*30—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन से संबंधित गांवों में अब तक कितने सरकारी नलकूप लग सके हैं ?

श्री रामलखन—

जिला कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर में अब तक 26 राजकीय नलकूप लगे हैं। ये नलकूप कार्य कर रहे हैं।

ब्लाक ककवन के क्षेत्र में निचली गंगा नहर व उसकी शाखाओं द्वारा सिंचाई होती है अतः इस क्षेत्र में कोई भी राजकीय नलकूप नहीं बनाया गया है।

टिहरी डैम से प्रभावित ग्रामीण

*31—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी डैम बनाने से जिन ग्रामीण लोगों की जमीन तथा ग्राम जलमग्न हो रहे हैं उन लोगों को सरकार कहां बसाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री राम लखन—

उक्त ग्रामीणों को बसाने के लिये भूमि के चयन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

टिहरी गढ़वाल की सिंचित भूमि का प्रतिशत

*32—श्री इन्द्रमणि —

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है और क्या यह प्रतिशत बहुत कम है ? यदि हां तो सरकार क्या इस वित्तीय वर्ष से यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस कमी को दूर करने के लिये कौन-कौन सी नई नहरों का निर्माण करने की योजना बना रही है ?

श्री राम लखन—

वर्ष 1968–69 के अन्त तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिला टिहरी गढ़वाल में कुल बोये गये क्षेत्रफल का 16.7 प्रतिशत रकबा सिंचित है जो कि बोये गये क्षेत्रफल को देखते हुये वास्तव में कम है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में निम्न अतिरिक्त क्षेत्रफल को सिंचाई की सुविधा दी जावेगी।

1—राजकीय साधनों से	..	..	801 हेक्टर
2—लघु सिंचाई साधनों से	..	..	3276 हेक्टर
		कुल ..	4077 हेक्टर

इस तरह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल (10653+4077) = 14730 हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाई की सुविधाओं से लाभाविन्त हो जावेगा जो कि कुल बोये गये क्षेत्रफल का

23.1 प्रतिशत होता है। इस प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अन्य पंचवर्षीय योजनाओं के मुकाबले काफी ज्यादा वृद्धि इस ओर हुई है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न परियोजनायें जिला टेहरी के लिये स्वीकृत हैं:—

1—25.50 मील नहरों का निर्माण (लागत 20.64 लाख रुपये)

इस परियोजना के अन्तर्गत निम्न नहरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है:—

1—चाका, 2—कोटगांव, 3—थाली कठूर, 4—जखाना।

निम्न जो नहरों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है :—

1—कोठियाड़ा 2—तिसराड़ा ।

इस परियोजना के अन्तर्गत शेष भैथान गांव नहर का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

2—पर्वतीय जिलों में 40 मील लम्बी नहरों के निर्माण की परियोजना

1—जिला, टेहरी के लिये लागत 6.24 लाख रुपये

उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत जिला टेहरी में 10 मील लम्बी नहरों का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना में सम्मिलित नहरों के निर्माण की स्थिति निम्न है :—

1—यलैथा, 2—पडियार गांव, 3—बीर, 4—पिलखी नहरें निर्माणाधीन है तथा ,पूर्ण होने वाली हैं।

1—डांग, 2—बासर नहर का विस्तार का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष से किया जायेगा।

3—चौरास पम्पिग परियोजना लागत 3.28 लाख रुपये

यह योजना निर्माणाधीन है तथा अगले वित्तीय वर्ष में, पूर्ण हो जायेगी।

*33—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला परामर्श दात्री समिति बलिया द्वारा सड़कों के निर्माणार्थ संस्तुति

*34—श्री निर्भय नारायण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित जिला परामर्श दात्री समिति बलिया द्वारा सड़कों के निर्माण की संस्तुति प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

प्रस्तावित मार्गों में से बांसडीह रोड सहतवार वाया छाता मार्ग (11 कि० मी०) का निर्माण वर्ष 1971–72 के आय-व्ययक में सम्मिलित है। शेष मार्गों के बनाने की अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई योजना नहीं है।

इटावा जिले में अछल्दा–विधूना सड़क

*35––श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अछल्दा-विधूना जिला इटावा की अछल्दा-विधूना सड़क के निर्माण हेतु कितना रुपया बजट में स्वीकृत हुआ था ?

श्री महमूद अली खां––

अछल्दा-विधूना मार्ग का पुर्ननिर्माण 14,00,000 रुपये की अनुमानित लागत पर शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ।

*36––श्री गजेन्द्र सिंह––

अभी तक निर्माण कार्य में कितना रुपया व्यय किया जा चुका है तथा यह कार्य कितने दिनों में पूरा होना है ?

श्री महमूद अली खां––

फरवरी, 1972 तक इस मार्ग के पुनर्निर्माण पर 3,06,000 रुपये व्यय हो चुके हैं । इस मार्ग पर कार्य जून, 1973 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

प्रदेश में रोड रोलरों की संख्या

*37––श्री कृष्ण स्वरुप वैश्य, श्री राम गोपाल संड––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कुल कितने रोड रोलर है एवं क्या यह सही है कि रोड रोलरों की कमी के कारण सड़कों के निर्माण में बिलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने रोड रोलरों को शीघ्र मंगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री महमूद अली खां––

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1970–71 में 118 रोड रोलरों के लगभग 87 लाख की लागत से क्रय करने की स्वीकृति दी गयी थी । स्टील की कमी के कारण कम्पनियों द्वारा कुल रोलरों को देने में असमर्थ होने पर भारत सरकार के माध्यम से रोलरों को प्राप्त करने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है और उन्हें 254 अतिरिक्त रोड रोलरों की मांग भी भेजी गयी है । साधारण किस्म के रोलरों की कमी के कारण अन्य जो भी उपयोगी रोलर उपलब्ध हों उनको क्रय करने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है ।

*38––श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री राम गोपाल संड––

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

प्रतापगढ़ जिले में नलकूप लगाये जाने की संस्तुति

*39––श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 मई, 1969 को केन्द्रीय विद्युत् एवं सिंचाई मंत्री डा0 के0 एल0 राव ने श्री दिनेश सिंह तत्कालीन वाणिज्य मंत्री, राजा अजीत प्रताप सिंह तथा उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तर प्रदेश श्री वासुदेव सिंह के साथ प्रतापगढ़ जिले का विद्युत् एवं सिंचाई के क्रम में व्यापक निरीक्षण करके यह संस्तुति की थी कि प्रतापगढ़ जनपद में 300 नलकूप लगाये जायं, यदि हां, तो अब तक कितने लगे और भविष्य में कितने लगने हैं ?

श्री रामलखन--

जी हां, 29-3-72 तक प्रतापगढ़ जनपद में 28 नलकूप बन चुके हैं। सन् 1972-73 में लगने वाले नलकूपों का आवंटन अभी नहीं हुआ है।

बस चालकों को परमिट दिये जाने का निर्णय

*40--श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार द्वारा हाल ही में बस चालकों को नये बस परमिट उदारतापूर्ण देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से और उस पर अमल कब से किया जायगा?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। यह निर्णय जनहित में किया गया है। इस निर्णय को अमल में लाने के लिये एक अध्यादेश दिनांक 16-3-72 को जारी किया गया तथा तद् विषयक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है और सम्बन्धित प्राधिकरणों को निदेश दिये जा चुके हैं।

*41--श्रीमती मसाली देवी--

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

भानपुर रीजन के फर्रुखाबाद डिपो के 5 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होना

*42--श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भानपुर रीजन के फर्रुखाबाद डिपो में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं 5 साल से अधिक हो गई हैं तथा उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है? अगर नहीं तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

फर्रुखाबाद डिपो में 5 वर्ष से अधिक कार्य कर रहे 159 कर्मचारी हैं। इनमें से 134 चतुर्थ श्रेणी के हैं जिनका स्थानान्तरण साधारणतः नहीं किया जाता है। शेष 25 कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से नहीं किया गया।

राबर्ट्सगंज में बेलन नदी पर बांध निर्माण

*43--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज में बेलन नदी पर बंजरिया नामक स्थान पर बांध निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता एवं उक्त क्षेत्र की जनता ने अगस्त से दिसम्बर, 1971 के बीच कोई लिखित आवेदन-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामलखन--

बेलन नदी पर बंजरिया ग्राम के पास एक रेगुलेटर का निर्माण किया जा रहा है। रेगुलेटर के दोनों किनारों पर गाइड बांध बनाया जा रहा है।

प्रश्नकर्ता एवं क्षेत्र की जनता से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। इन आवेदन-पत्रों पर जांच करायी गयी। उनकी मांग उचित नहीं पाई गई। परन्तु क्षेत्रीय जनता के निरंतर विरोध के कारण निर्माण कार्य बन्द कर पुनः सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है जिसका फल शीघ्र प्राप्त हो जायगा।

*44—श्री महराम सिंह—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

*45—श्री इन्द्रलाल—

[निरस्त]

बहराइच जिले के एल० आर० पी० सड़क पर नानपारा वार्ड पास का निर्माण कार्य

*46—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सा० नि० मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में एल० आर० पी० सड़क पर बनाए जाने वाले प्रस्तावित नानपारा वार्ड पास का निर्माण कार्य मंसूख कर दिया गया है ? यदि हां, तो लगभग आठ वर्ष से बेकार पड़ी भूमि सम्बन्धित किसानों को कब तक वापस कर दी जायेगी ? और क्या लगान की धनराशि भी किसानों को वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। परन्तु इसके निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से पुनः प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

देहरादून क्षेत्र में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री

1—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून क्षेत्र के हरिद्वार डिपो एवं देहरादून-देहली डिपो से सम्बन्धित ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट एवं ए० टी० आई० कर्मचारियों ने वाहनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के कितने केस 1 अप्रैल, 1971 से 15-2-72 तक पकड़े ? उनमें से कितने तय हो गए तथा कितने अनिर्णीत स्थिति में पड़े हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

देहरादून क्षेत्र के हरिद्वार डिपो एवं देहरादून-देहली डिपो से सम्बन्धित ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेंट एवं ए० टी० आई० कर्मचारियों द्वारा वाहनों में कुल 95 केस बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के 1 अप्रैल 1971 से 15-2-72 तक पकड़े गये। इनमें से 36 मामलों में निर्णय लिया गया है तथा शेष 59 मामलों में कार्यवाही की जा रही है।

2—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में क्या कभी प्रधान प्रबन्धक या सहायक प्रधान प्रबन्धक ने भी कोई केस इस प्रकार बिना टिकट सवारी का पकड़ा ? यदि हां, तो कितने केस पकड़े तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से 15-2-1972 तक देहरादून क्षेत्र के प्रधान प्रबन्धक तथा सहायक प्रधान प्रबन्धक ने कुल 25 केस बिना टिकट सवारी के पकड़े, जिनमें से 13 मामलों में निर्णय लिया जा चुका है तथा शेष 12 मामलों में कार्यवाही की जा रही है।

देहरादून क्षेत्र के परिवहन विभाग में हुये हानि लाभ

3—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून क्षेत्र में राजकीय परिवहन विभाग में सन 1967-68, 68-69, व 69-70 में कितना लाभ या हानि हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज देहरादून क्षेत्र में प्रश्नगत अवधि में निम्नलिखित शुद्ध लाभ हुआ :—

वर्ष	शुद्ध लाभ (ब्याज तथा हेडक्वार्टर्स व्यय घटाने के उपरान्त)
	रु0
1967–68	24,45,172
1968–69	8,06,319
1969–70	8,87,027

आगरा से इरादतनगर तक की सड़क को पक्का कराया जाना

4—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे आगरा से इरादतनगर जाने वाली सड़क को पक्का कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं।

गोरखपुर रीजन में बसों की नीलामी

5—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन के किस किस जिले में वित्तीय वर्ष 70–71 में कितनी-कितनी बसें खराब होने के कारण इनका नीलाम कब-कब किया गया है, और उसके बदले में सम्बन्धित जिलों को कितनी-कितनी बसें दी गई हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर रीजन में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तथा गोंडा जिलों को क्रमशः 9, 5, 3 तथा 6 बसों का खराब होने के कारण वित्तीय वर्ष 1970–71 में दिनांक 7 अक्तूबर, 1970 को रीजनल वर्कशाप गोरखपुर में नीलाम किया गया है और उसके बदले में सम्बन्धित जिलों की आवश्यकता अनुसार क्रमशः 10, 18, 16 तथा 12 बसें दी गई हैं।

कानपुर से बेला विधना मार्ग को पेन्ट कराया जाना

6—चौ० रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि कानपुर से बेला-विधूना मार्ग जिसको शिवली तक पेन्ट कर दिया गया है बाकी मार्ग को शिवली से कहिजंरी तथा कहिजंरी से रसूलाबाद तथा बेला और बिधूना तक कब तक पेन्ट कर दिया जायेगा और देर किए जाने का क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, पेन्ट कर दिया गया है। शेष भाग को पेन्ट कराने का प्रस्ताव इस समय धनाभाव के कारण विचाराधीन नहीं हैं ?

7—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

राजकीय परिवहन विभाग की गाड़ियां—बेकार गाड़ियां

8—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस समय प्रदेश राजकीय परिवहन विभाग के पास कितनी गाड़ियां हैं, उनमें से कितनी कार्य कर रही हैं और कितनी वर्कशाप में बेकार खड़ी हैं, और यह बेकार गाड़ियां कब से बेकार खड़ी हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में दिनांक 31 जनवरी, 1972 तक कुल 4771 गाड़ियां थीं। उक्त गाड़ियों में से 3,584 गाड़ियां प्रयोग में थीं। शेष 1,020 गाड़ियां हल्की तथा भारी मरम्मत हेतु वर्कशापों में थीं तथा 167 गाड़ियां जिनका जीवन काल समाप्त हो चुका था तथा मरम्मत के योग्य नहीं थीं नीलाम हेतु खड़ी थी।

मरम्मत हेतु खड़ी गाड़ियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

2 साल से अधिक 54 गाड़ियां	1 साल से अधिक 26 गाड़ियां
6 मास से अधिक 58 गाड़ियां	3 माह से अधिक 64 गाड़ियां
1 माह से अधिक 249 गाड़ियां	1 माह से कम तथा 7 दिन से अधिक 569 गाड़ियां

मिर्जापुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण

9—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के मझवा विकास खंड के अन्तर्गत बरनी कस्बा जमुआ सड़क व कटका कछवा सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक बनवाने का विचार है?

श्री महमूद अली खां—

केवल बरेनी कछवा मार्ग का निर्माण हो रहा है जो मई, 1972 के अन्त तक पूरा हो जावेगा ।

कछवा से जमुआ तथा कटवा-कछवा मार्ग के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

10—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

उद्योग राज्य मंत्री श्री देवकी नन्दन विभव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, 28 तारीख को विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न दिया था और 29 तारीख को यह बताया गया कि विभव जी को भेज दिया गया है । श्रीमन्, इसको भेजे गये आज 12 दिन हो गये हैं । अगर माननीय मंत्री जी उत्तर न दें तो क्या उस पर निर्णय नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इतनी जल्दी जवाब कैसे दिया जा सकता है । यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और इसमें हर पहलू को देखना पड़ता है । इसमें कुछ समय लगता है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, अगर वे जवाब नहीं देंगे तो क्या कार्यवाही नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने यह कैसे कल्पना कर ली है कि जवाब नहीं देंगे ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, 10 दिन से अधिक हो गये हैं । अब तक तो यदि अल्पसूचित प्रश्न भी दे देते तो भी उत्तर आ जाता?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जांच कर लेंगे तभी तो बतलायेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप उद्योग मंत्री को कब तक पूछते रहेंगे जब उनके पास नोटिस चला गया । विश्वनाथ कपूर जी ने जो नोटिस दिया उस पर आपने क्या कोई टाइम मुकर्रर किया कि फलां तिथि तक जवाब दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने स्मरण दिलाया है, हम उनको स्मरण करायेंगे कि वे कब तक जवाब देंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या विशेषाधिकार के प्रश्न पर भी उन्हें स्मरण कराने की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई चीज विशेषाधिकार से संबंधित हो तो कभी-कभी अधिक समय लग जाता है । हम भी कभी कभी अपनी व्यवस्था सुरक्षित कर देते हैं माननीय जायसवाल और माननीय मंजूर अहमद ने कई मामले उठाये थे । तो इसमें बहुत अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। जब उत्तर आ जायगा, हम अपनी व्यवस्था दे देंगे ।

बलिया जिले में शहरी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, १९५६ के अनुसार कृषि क्षेत्रों के परिच्छेदन के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

जिस दिन राजस्व विधेयक पेश होने को था उस दिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि वे आज यहां नहीं रहेंगे । उनकी इस संबंध में चिट्ठी भी आयी है । इसको मैंने पहले रख दिया था, लेकिन अब मैं इसको स्थगित कर देता हूं ।

मेरठ मेडिकल कालेज की डिग्री को इन्डियन मेडिकल कौंसिल की मान्यता न मिलने से छात्रों में असंतोष के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ में छात्रों का शिक्षण कार्य अगस्त, 1966 से प्रारम्भ हुआ और यह कालेज नवम्बर, 1967 में मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया ।

इस कालेज की प्रथम एम0बी0बी0एस0 (फर्स्ट प्रोफेशनल) परीक्षा दिसम्बर, 1967 में हुयी थी और उस समय मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया के पूर्णकालिक इन्स्पेक्टर डा0 बी0सी0 बोस ने कालेज का निरीक्षण किया था । कौंसिल के इंस्पेक्टरों द्वारा कालेज का दुबारा निरीक्षण दिसम्बर, 1970 में फाइनल एम0बी0बी0एस0 की परीक्षा के समय किया गया । निरीक्षण के बाद कौंसिल के निरीक्षकों ने कालेज की एम0बी0बी0एस0 डिग्री को दो वर्ष के लिये अन्तरिम रूप से मान्यता दिये जाने की संस्तुति की थी ।

दिसम्बर, 1970 की निरीक्षण रिपोर्ट में मेडिकल कौंसिल के इंस्पेक्टरों ने इस कालेज में स्टाफ, भवन तथा कुछ अन्य सुविधाओं की कमियों का उल्लेख किया था यद्यपि विभिन्न विभागों के निरीक्षण के बाद इंस्पेक्टरों की सम्मति थी कि उन विभागों में छात्रों द्वारा दिये गये उत्तर अपेक्षित स्तर के तथा संतोषजनक थे । मेडिकल कौंसिल के इंस्पेक्टरों द्वारा उल्लिखित कमियों को दूर करने के लिये शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया तथा मेरठ विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया गया और कौंसिल से अनुरोध किया गया है कि वे मेरठ विश्वविद्यालय की एम0बी0बी0एस0 डिग्री को शीघ्र मान्यता प्रदान करें ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

सन् 67 में कौंसिल ने इंस्पेक्शन किया फिर 70 में भी किया । उसके बाद कौन सी कमियां रह गईं । पांच सालों में कमियां पूरी नहीं कर पाये। आपने उन कमियों को दूर करने का क्या क्या प्रयास किया ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

सन् 67 में माननीय अध्यक्ष जी प्रारम्भ था । 70 में दोबारा उन लोगों ने इन्सपेक्शन किया और जिन कमियों की तरफ इंगित किया था वे बहुत सी पूरी कर दी गई हैं । जो सूचना मिली वहां से और मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया से वह दे दी गई है । उनको लिख दिया गया है कि हमारी इस डिग्री को मान्यता प्रदान करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं जानना चाहता हूं कि इन कमियों को किस वर्ष पूरा किया और यह लिखते हैं कि कौंसिल से अनुरोध किया गया है । आपने कौंसिल से कब अनुरोध किया कि अब शर्तें पूरी हो गई ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी निश्चित तिथि की सूचना नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जिस चीज को इन्होंने स्वयं लिखा उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह जानकारी बचा रहे हैं । तारीख होगी 72 की । आपको यह पता नहीं है कि कब अवगत कराया

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

और हमने कब करके पूरा किया । यह गवर्नमेंट की ढिलाई इनएफिशिएंसी है । इससे प्रकट होता है इसीलिये बताते नहीं हैं । श्रीमन्, आप पूछें कि इतना सब करने में क्या कठिनाई हुई ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

निश्चित तिथि के बारे में कहा है । वैसे सन् 71 में लिखा गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जो भवन या स्टाफ की कमियां बताई गई थीं उन सारी कमियों को दूर करके कौंसिल में मान्यता प्रदान करने के लिये लिखा या बगैर कमियों को पूरा किये हुए ही लिखा था ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

काफी कमियां पूरी कर दी गई हैं । जो बाकी हैं उनको पूरा किया जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि डिग्री न मिलने से ऐसा तो नहीं होगा कि किसी विद्यार्थी का यह पांच साल का किया हुआ कोर्स रद्द चला जाय या उसको नुक्सान हो ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

नहीं ऐसा हरगिज नहीं होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का विशेषतया माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं तो ऐसा हम लोगों के मन में असर पड़ रहा है जैसा लगता है कि इसको यकीन ही न किया जाय क्योंकि छोटी-छोटी बातें जो पूछी जाती हैं उनसे भी बचते हैं, और ऐसी कोशिश की जाती है । मैंने सवाल किया था कि जो कमियां बताई गई हैं इन्सपेक्टर के जरिये से उनको पूरा कर दिया गया है या बगैर उनको पूरा किये ही सप्लाई किया । उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है । दूसरा यह है कि कौन-कौन कमियां इंगित की गई थीं और किन-किन कमियों को पूरा करके आपने अप्लाई किया है । इस सारे मामले का साफ जवाब आना चाहिये । हर तरफ यह कोशिश होती है कि उन्हें बचाया जाय, दाद दी जाय या बचाया जाय । मुख्य मंत्री तो इस विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं । वे भी कृपया देख लिया करें । ऐसी चीजें स्टेटमेंट में क्यों आती हैं । मन ऐसा बन रहा है कि सदन में इसको कोई यकीन नहीं करेगा ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय सदस्य का क्या आशय है । मैं समझ नहीं पाया । यह हो सकता है कि वह तिथि अगर नहीं मिले तो माननीय सदस्य यदि और कुछ पूछना चाहते हैं तो वे पूछें । मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

श्री मोहनलाल कपूर—

उपाध्यक्ष जी, हमारा कहना यह है कि मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायें । कहा गया कि स्टाफ नहीं है, भवन नहीं है, कई चीजों को पूरा नहीं किया गया है । लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी । इसलिये यह दी जा रही है । 71 में पत्र भेजा था परन्तु यह पता नहीं कब भेजा था । मैं पूछना चाहता हूं कि इस पर प्रभावी कार्यवाही क्या की है ? यह मान्यता नहीं मिली है । इस वक्त भी नहीं मिली है । इस पर कोई प्रभावी कदम कौंसिल से उठाय ह । मान्यता इन बच्चों को नहीं मिलगी, एम० बी० बी० एस० की डिग्री नहीं

मिलेगी । तो मैं मंत्री जी से पूछा चाहता हूं कि आप इस संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं जिससे एक महीने के अन्दर जो प्री-मेडिकल टेस्ट हैं उससे पहले एम०बी०बी०एस० की मान्यता मिल जाय?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

यह केवल औपचारिकता की बात है । जिन कमियों की तरफ कहा गया था उनको काफी मात्रा में पूरा कर दिया गया है, कुछ को पूरा किया जा रहा है । यह एक कंटीनुअस प्रोसेस है । इसलिये माननीय सदस्य की यह शंका निर्मूल है । उनकी डिग्री की मान्यता वही होगी जो अन्य मेडिकल कालेजेज की एम०बी० बी०एस० डिग्री की होती है ।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७२

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)--

मान्यवर, मैं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मैं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 98–101 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक तो श्री राम गोपाल संड की है जो मुरादनगर, मेरठ में परम्परागत होने वाले सन्त मेले में कुछ लोगों द्वारा हस्तक्षेप और अधिकारियों द्वारा दफा 107/117 सी०आर० पी०सी० के प्रयोग से संबंधित है । यह प्रशासनिक मामला है, इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, यह बहुत आवश्यक है । कई वर्षों से मेला लगता चला आ रहा है । अगर इस साल मेला न होगा तो लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी । वहां बड़ा आतंक छाया हुआ है । इसे आप स्टेटमेंट के लिये स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कैसे इसको स्वीकार कर लें जब वहां 107/117 की कार्यवाही चल रही है । जो स्थिति है उसमें यह वक्तव्य के लिये स्वीकार नहीं किया जा सकता । धर्म का इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता और इस दिशा में हमें यह सतत प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि स्थिति पैदा न हो ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, यह संत लोगों का मेला हर साल लगता है और यह लोग अहिंसा के पुजारी होते हैं । उनसे कोई खतरा होना ही नहीं चाहिये । खतरा तो दूसरे लोगों से

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

हो सकता है जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । यह जो एकतरफा कार्यवाही हुई है वह गलत है । चूंकि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिये वक्तव्य के लिये मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है और तनाव का सामना किया जा सके वह कार्यवाही वहां हो रही है । तो इस पर क्या वक्तव्य दिलवाया जाय ।

दूसरा श्री हुकुम सिंह परिहार का है जो आगरा जिले में डाकुओं द्वारा उपद्रव के कारण भयावह स्थिति से संबंधित है । यह कोई घटित घटना नहीं है उन्होंने इसमें सामान्य चर्चा मांगी है, इसलिये यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

तीसरा श्री नित्यानन्द स्वामी का है जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम अन्तरिम राहत के फलस्वरूप उनके द्वारा हड़ताल का आव्हान से संबंधित है । वैसे यह अन्तरिम राहत की बात है और कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लेते हैं । आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें क्योंकि वक्तव्य के अन्तर्गत जितनी सूचनायें चाहते हैं, नहीं मिल पाती हैं ।

चौथा सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, वंशीधर पांडेय और सुरेन्द्र विक्रम की ओर से कहा गया है कि राजकीय रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की नोटिस दी है । यह आवश्यक नहीं है इसलिये स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

रोडवेज कर्मचारियों ने एक नोटिस दे दी है कि 7 तारीख से हड़ताल पर जायेंगे । प्रदेश का सारा यातायात ठप्प हो जायगा और माननीय मंत्री ने वक्तव्य के लिये 10 तारीख रखी है । अगर 7 तारीख से पहले करा दें तो हो सकता है कि हड़ताल न हो ।

श्री उपाध्यक्ष---

हमारे चाहने की बात नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

रोडवेज कर्मचारियों के बारे में 301 में मैंने नोटिस दी है । मैंने उसमें कहा है कि कल कल्पनाथ सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया था और आपने यह कहा था कि यह कोई घटित घटना नहीं है जो अभी हाल ही में घटी हो । तो मैंने उसमें लिखा है कि उन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया, यह एक घटना है, अनशन किया, यह भी एक घटना है, आन्दोलन किया, यह भी एक घटना है, प्रदर्शन किया यह भी एक घटना है और जब हड़ताल हो जायगी क्या तभी आप समझते हैं कि घटना घटेगी ? तो घटनायें तो सब हैं । अविलम्बनीय भी है । इसलिये अगर इसको आपने स्थगित कर दिया तो 7 तारीख से हड़ताल हो जायेगी, सारे प्रदेश में यातायात ठप्प हो जायेगा । लोक महत्व का इसलिये है कि तमाम सफर करने वाले यात्रियों का प्रश्न है । इसलिये अविलम्बनीय है, लोक महत्व का भी है और सुनिश्चित भी है और घटना घटी भी है । इसलिये जो 10 तारीख को आपने वक्तव्य के लिये रखा है उसके बजाय आप कल इसके ऊपर चर्चा करा दें । एक बड़ी चर्चा हो जाय ढाई घंटे की । कल्पनाथ सिंह जी नें कल कहा था, कपूर साहब भी कह रहे हैं । हमारा निवेदन तो यह है कि आप इसे स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 301 की सूचना को तो मैं स्वीकार नहीं करता । अब आप कहते हैं कि 10 तारीख के बजाय 7 को वक्तव्य हो जाय....

श्री विश्वनाथ कपूर--

परिवहन मंत्री को कल चर्चा कराने में कौन सी कठिनाई है?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

6 तारीख को करा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब प्रश्न यह है कि अगर हड़ताल हो जाय और उस पर बहस न हो सके तो कोई ऐसी पाबन्दी ले कर नहीं चलना चाहिये कि हर चीज जिसमें हड़ताल संभव हो उसको उससे पहले ही हम विचार करें क्योंकि शासन को भी प्रशासनिक उत्तरदारित्व का निर्वहन करना ही होता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

वक्तव्य के बजाय चर्चा करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो हो गया । वक्तव्य के लिये स्वीकार हो चुका । आप लोग सुन भी चुके। उसको आपने भी स्वीकार किया । वह तो 10 के लिये है । लेकिन मैं देखूंगा, अगर संभव हो सकेगा तो पहले करा दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (गोरखपुर)--

आप अभी देखेंगे । 7 तारीख से हड़ताल है और 5 तारीख को आप देखेंगे । इससे पहले भी देख चुके हैं कि इस प्रदेश में मोटर का एक भी चक्का रोडवेज कर्मचारियों ने नहीं घूमने दिया, सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया । इसके बावजूद भी अगर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है तो हम लोगों के सामने कौन-सा मार्ग रह जाता है । उस कुर्सी से सरकार के प्रशासनिक दृष्टिकोण का क्या मतलब ? आप मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये आज सदस्यों में यह भावना बनती जा रही है कि अब प्रशासनिक दृष्टिकोण का असर शनै-शनैः अपनी परिधि बढाता चला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने को जरा सही कीजिये । मुझसे कोण से मतलब नहीं है । 10 तारीख के लिये मैंने स्वीकार किया है । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि मैंने स्वीकार नहीं किया है । अब नियम की स्थिति को देखते हुये जो उचित समय सरकार चाहती है वह ले लेती है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, यह सवाल सरकार के सामने नहीं आपके सामने है । आप स्थिति को देख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं जवाब नहीं दे रहा हूं । सरकार को इसका जवाब देना है । इस के सम्बन्ध में सामग्री जुटानी पड़ती है और तभी वे वक्तव्य तैयार करके देते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

तो इसको सरकार के ही मुखारबिन्द से आने दीजिये आप अपने मुखश्री से न कहें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने 10 तारीख रख दी है और आप फिर हमारे निर्णय को बदलवाना चाहते हैं कि जल्दी हो जाय । एक तिथि निश्चित हो गई उस समय तक सरकार सभी सामग्री तैयार कर लेगी और वक्तव्य देगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

आपने मान्यवर, 10 तारीख के लिये स्वीकार किया । जिस समय स्वीकार किया उस समय परिस्थिति दूसरी थी । 7 तारीख से हड़ताल की बात नहीं पैदा हुई थी । अब भिन्न परिस्थिति पैदा हो गई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोई माननीय सदस्य किसी घटना के सम्बन्ध में सवाल करें और जिस समय तक उसका उत्तर दिया जाने लगे तो उस बीच में परिस्थितियां बदल जाएं तो बिलकुल उसी तिथि और समय तक का जवाब देने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, जब यह पता चल जाय कि 7 तारीख से हड़ताल की नोटिस दे दी गई है और अभी समय है तो उसको करने का प्रबन्ध करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

हमने सारी स्थिति को देखकर किया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, जिस समय सवाल मंजूर किया गया था उस समय स्थिति दूसरी थी और अब स्थिति दूसरी है । आप कृपया इसको मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उपयुक्त नहीं है । नियमानुसार काम करने का हम सबको अधिकार है । मैंने उसको सरकार के पास भेज दिया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, इसका बहुत महत्व है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं ही प्रश्न के लिये तैयार नहीं हैं और ऐसी स्थिति में कोई चीज पूछते तो आप अपना ही नुकसान न करेंगे ।

इस प्रकार की चीज तो दोनों ही तरफ से हो सकती है । मान लीजिये कि आपने कोई नोटिस दे दी परन्तु आप तैयार नहीं हैं प्रश्न करन के लिये और वह कहते हे कि हम तो इसको अभी लेंगे । तो इस प्रकार का खतरा तो हो ही सकता है । प्रारम्भिक तैयारी तो करने का अवसर दिया हो जाना चाहिये । मैंने १० तारीख लिख दिया है । अगर वह पहले चाहेंगे तो मैं किसी प्रकार की रुकावट नहीं बनूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ठीक है तो फिर उनको स्ट्राइक करने दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आप ज्योतिषी भी हो गये हैं । आपको कैसे मालूम कि यह प्रश्न करने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम यह है कि जिस तारीख को यह लिया जाय तो क्या यह सम्भव हो सकता है कि जब भी सदस्य चाहें उसी समय ले लिया जाय । इससे सारी व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी । मान लीजिये कि हर एक चीज के लिये यही बात लागू होने लगे तो यहां का काम कैसे चल सकता है ? मान लीजिये कि जब बयान दिया जाने वाला है और आप कहने लगे कि हमको बयान नहीं चाहिये । कोई चीज है तो उसके लिये आप लिख कर भेज सकते हैं । सरकार की तरफ

से हो सकता था कि आगे ले लिया जाय । मुझे क्या आपत्ति होगी अगर वह तयार हो जाते कि इसी समय जवाब देंगे ? लेकिन एक विधि या नियम है । उसके हिसाब से काम होना चाहिये । इसीलिये कार्यसूची रक्खी जाती है । यदि कार्य सूची न हो तो क्या विधान सभा नहीं चल सकती है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

किसी विषय पर मान्यवर की राय मुख्तलिफ हो सकती है । सरकारी पक्ष की कुछ हो सकती है और विपक्ष की कुछ हो सकती है । लेकिन यदि हमारी राय ली जाय तो यह मामला कार्य-स्थगन का है । इस पर डिसकशन होना चाहिये । मान लीजिये नोटिस हड़ताल की आई है । यातायात का गहरा रिश्ता आदमी की रोजमर्रा की जिन्दगी से होता है । बसें चलना बन्द हो जावेंगी तो सरकारी खजाने का नुकसान होगा, यात्रियों को असुविधा होगी और शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न भी सरकार के सामने आ जावेगा । तो यह प्रश्न ऐसा था जिसको आप कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करते और सरकार से चर्चा करवाते, तो शायद कोई रास्ता निकलता, जिससे हड़ताल की नौबत नहीं आती, लेकिन 10 तारीख को ऐसा करने से कोई नतीजा नहीं निकलता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

10 तारीख को पूर्व सूचना पर रक्खा गया था । यह सूचना सरकार को भेज दी है । तो अगर आप इसको पहले करने की अपेक्षा मुझसे करेंगे कि मैं आग्रह सरकार से करूं, तो यह मर्यादा से उचित नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह सरकार का मामला नहीं है, सदन का मामला था । आप यहां की राय लेते और हाउस चाहता तो कार्य-स्थगन हो जाता ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर राय लेकर कार्य-स्थगन करना होता तो करता । लेकिन इसके पूर्व सरकार को कहा है और आज आप चाहते हैं कि समय में अन्तर हो जाय, तो मुख्य मंत्री जी बोलें ।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, सदन का यह अधिकार है ही कि इस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि हड़ताल की नोटिस आयी है । यह बात हुई है और उसके लिये सदन को चिन्तित होना चाहिए । स्वाभाविक भी है, पर आपने उसे हमारे पास भेज रक्खा है और 10 तारीख रक्खी है । अब मालूम होता है कि सदन की राय है कि 10 से पहले चर्चा हो जाय ताकि हड़ताल वगैरह की नौबत न आए, और आय तो उसके पहले आपको मालूम रहे । यह होता है कि जब असेम्बली का अधिवेशन चलता है तो सभी लोगों की मुनासिब और गैर-मुनासिब मांगें पेश होती है । इसका अनुभव मान्यवर आपको भी है, आप इन कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, और हमको भी है । लोग समझते हैं कि सदन का दबाव पड़ेगा । कभी-कभी चर्चा के कारण सरकार जो काम करना चाहती है उसमें दिक्कत होती है । उन लोगों से बातचीत चल रही है । मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि कैसे अभी कुछ दिन पहले सारी बातें 13, 14 को कैजुअल लीव लेने पर तय हुई थीं लेकिन उनको मान लेने के बाद पुरानी मांगों के अतिरिक्त दूसरी मांग पेश कर दी हैं। रोडवेज की जो रिकग्नाइज्ड यूनियन है उसकी दूसरी राय है और जो अनरिकग्नाइज्ड यूनियन है उसकी दूसरी राय है । किसी तरह से प्रेशर डाल रहे हैं । जो पहले मांगें थी उनको स्वीकार कर चुके हैं लेकिन उनको बदलाने की कोशिश कर रहे हैं । नोटिस आ गई है, यह सही है कि अगर हड़ताल होती है तो जन-जीवन अस्त व्यस्त होता है लेकिन सरकार को भी एक सीमा तक ही जाना चाहिये । अगर हर मांग-हर एक की मान ली जाय तो कोई भी सरकार चल नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सकती है। इस विषय पर बात चल रही है। तो मुझे इसके लिये मौका दें, ऐसी मेरी सदन से प्रार्थना है। यदि हम देखेंगे कि चर्चा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है तो कल चर्चा कर लेंगे। आप से निवेदन कर लेंगे कि आप समय दें कि चर्चा हो जाय। सरकार को कोई दिक्कत होगी तो हम सदन में पेश करेंगे। इसलिये कल के लिये मसले को टाल दें, कल फैसला कर लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने चर्चा की बात स्वीकार कर ली है। कृपया वक्तव्य के बजाय चर्चा करवा दें। कल कर दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने तो कल तक के लिये मोहलत मांगी है कि इस विषय पर कल विचार कर लिया जाय कि चर्चा कल हो या 10 तारीख को इस पर कल फैसला कर लीजिये।

1972-73 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इधर कई दिनों से विरोधी पक्ष के भाषण सुनने के पश्चात् मुझे बड़ी निराशा हुई। मान्यवर, मुझे यह विश्वास था कि कम से कम श्री जायसवाल और माधो बाबू (चौधरी साहब तो अभी नहीं बोले) से इतनी आशा जरूर रखी गयी थी कि हमारी जो उपलब्धियां हैं, उनको ईमानदारी से एकबाल करेंगे तो हमें भी यह कहने का मौका मिल जाता कि हमारे प्रति उनकी कुछ न कुछ हमदर्दी है, कि जिन नीतियों में उनका भी विश्वास है और वे 10/15 वर्ष पहले से ही सारे उत्तर प्रदेश और भारत वर्ष के लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा करना चाहते थे और समाजवाद लाना चाहते थे, उन्हीं नीतियों को अपना कर हम उस स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे निराशा हुई कि जब हम इन प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते हैं और कुछ किया भी है, तो फिर उन बातों की आलोचना करना कोई ठीक बात नहीं और यह बहुत बड़ी इनजस्टिश होगी उन लोगों के साथ जो कि गरीबों और किसानों के स्तर को ऊंचा करने के लिये उस समजवाद के कार्यक्रम को पूरा करने में लगे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजा-महाराजाओं के प्रीवी पर्सेज खत्म किये...

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

आप अपने सूबे की बात करें।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं चौधरी साहब का आदर करता हूं और इसलिये कुछ कहना नहीं चाहता। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और बजट में इन नीतियों का उल्लेख हुआ है। लेकिन मुझे दुख है कि लोग हमारी नीतियों को इस सदन के बाहर तो मानते हैं किन्तु यहां, मान्यवर, उन लोगों पर इम्प्रेशन डालने के लिये कि यह सरकार भ्रष्ट सरकार है, उस नीतियों का विरोध करते हैं। मान्यवर, यह मैं कभी नहीं कहता कि हममें कोई कमी नहीं है; हमने जिन नीतियों को अपनाया है, उनमें कोई खामियां नहीं है; हमारी सरकारी मशीनरी प्रदेश को स्वस्थ प्रशासन रही है। लेकिन मैं इतना जरुरत आज कहन चाहता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जो आपने किया है, हम उससे बहुत ज्यादा आगे है और हमारी उपलब्धियां इस लायक हैं कि हम यह कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है इस सम्बन्ध में।

---

†4 अप्रैल, 1972 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, ये लोग इन चीजों को जिस नुक्ते-नजर से देख रहे हैं, वह गलत है और मेरा तो खयाल है, जैसाकि गोबेल ने कहा है—

"Repeat a lie hundred times, a lie becomes truth. Truth, if not repeated becomes a lie.'

अर्थात् एक झूठ को 100 बार रिपीट किया जाय तो सच हो जाती है। एक सच को न कहा जाय तो वह झूठ हो जाती है।

कल श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी जी ने दल बदल आदि की बहुत सी बातें कहीं, लेकिन मैंने उस समय, जब चौधरी चरण सिंह जी दल से अलग हुए, मैंने उनके लिये कभी इस दल-बदल शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने यही कहा कि कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ही ऐसी थीं। आज वे लोग जो पैसे पर बिकते रहे, वे जब कहते हैं कि हम खरीदार हैं तो सुनकर ताज्जुब होता है। इस राज्य सभा के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें लैप्सेस न हों, गड़बड़ी न हुई हों। हमारी पार्टी ने तो इसके लिये एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी नियुक्त कर दी है। हमारे में अगर कोई गलती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम से ज्यादा विरोधी पक्ष ने अनुशासन भंग करके ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। डा० लोहिया जब जिन्दा थे तो वे कहा करते थे कि राज्य सभा और विधान परिषद् के लिये ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिये जो इलेक्शन के माध्यम से चुन कर नहीं आ सकते।

(इस समय 12 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगबीर सिंह पीठासीन हुए।)

मुझे याद है एक बार डा० लोहिया साहब भी यह चाहते थे कि उनकी पार्टी की तरफ से टिकट वी० आर० मोहन को दिया जाय, लेकिन किसी वजह से वह नहीं दिलवा पाये थे। तो जब 10–12 साल पहले डा० लोहिया उनको टिकट दिलवाना चाहते थे, तो आज हमने अगर उनका समर्थन कर दिया तो कौन सी बात हो गयी। हमने उनको टिकट नहीं दिया, केवल समर्थन ही दिया। मगर ओबराय जैसे लोगों को जिस पार्टी ने अपना टिकट दिया, वह पाप नहीं है? (व्यवधान)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, क्या यह उचित होगा कि किसी का नाम लेकर यहां पर डिस्कशन हो, और अगर ऐसा होगा तो हमारे दल की तरफ से भी उसका जवाब दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यहस सारे सदन को मालूम है कि श्री वी० आर० मोहन हमारी असेम्बली के रिप्रेजेन्टेटिव होकर गये और वहां जाकर उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली। वहां ऐतराज भी एक सज्जन ने किया। वे वहां जाकर अंग्रेजी में शपथ लें जब कि यहां की भाषा हिन्दी है। यही सब देखकर मैं कहता हूं कि आपने अनेक कारणों से प्रेरित होकर उनको टिकट दिया।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया नाम न लें तो अच्छा है, अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इसी पर एक दिन डिस्कशन करा दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

पान्डेय जी शायद खुद वी० आर० मोहन की उम्मीदवारी को पसन्द नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं, जिससे कि लामुहाला उनके बारे में सदन में चर्चा हो जाय।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

ओबराय तो हमारे पुराने मेम्बर हैं वह बहुत दिनों से हमारे साथ रहे है, वह होटल ईमानदारी से चलाते हैं। वह किसी को शराब नहीं पिलाते है, किसी का गला नहीं काटते हैं, किसी की खुशामद नहीं करते है।

श्री राजमंगल पांडेय—

मेरा कोई इरादा आक्षेप करने का नहीं है। उनकी पार्टी के श्री श्रीकृष्ण बाजपेई की तरफ से यह कहा गया, तो उसके संदर्भ में मैंने यह उत्तर दिया। मुझे परिस्थितिवश यह कहने के लिये वाध्य होना पड़ा। इसलिये यदि कोई ऐसा हमारा इरादा है तो मैं चौधरी साहब से माफी चाहूंगा।

मान्यवर, मैंने इस सदन में कई दफा पहले भी कहा है, केवल इसी देश में नहीं, इसी प्रान्त में नहीं, यदि सारी दुनियां में व्याप्त हिंसा और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का हम तुलनात्मक विवेचन करें, तो हम पाएंगे कि सारे विश्व में इनकी एक आनुपातिक ढंग से वृद्धि हुई है और अपेक्षाकृत हमारे देश में कम हुई है। चाहे आप अमेरिका को देखें, या इंगलैंड को देखें जो सबसे बड़ा डैमोक्रेटिक देश माना जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे ज्यादा कायदे कानून का मानने वाला है। वहां पर इधर १० वर्षों में हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ा है। हिन्दुस्तान में और इस प्रान्त में भी ये बढ़ी हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि इसका मूल कारण क्या है और उनका निर्णय कैसे किया जाय, तथा कौन से उपाय करके उन दोनों चीजों को समाप्त किया जा सकता है—इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा है।

अभी इसी हाउस में इस गम्भीर विषय के संम्बन्ध में मैंने कहा था कि सब बैठकर इस पर विचार करें और एक सब कमेटी बना दी जाय जो इन सारे कारणों की जांच करे और उनके निवारण के उपाय बतावे। यदि हम ऐसा कर सकें, तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसका श्रेय विरोधी दलों को भी प्राप्त होगा। उन्हीं के सदस्यों की समिति बना दी जाय, यह भी अच्छा होगा। आज विरोधी भाइयों की हर चीज की आलोचना करने की आदत पड़ गई है। यदि विरोधी पक्ष के नेताओं से कह दिया जाय कि वे उत्तर प्रदेश का बजट बना दें और जो सीमा है उसके अन्दर का बजट बना दें, जिसे हम पेश करें, तो क्या विरोध पक्ष उसका विरोधी नहीं करेगा, वह उसे डिसकश नहीं करेगा? वह अवश्य करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि वह न करे। वह तो श्रीमन्, विरोधी पक्ष की कुर्सी पर बैठने का नतीजा है कि हमारी उपलब्धियों और हमारी अच्छी नीतियों की भी आलोचना की जाय, केवल इसलिये की जाय कि वह विरोध पक्ष में बैठे हैं।

श्री रियासत हुसैन साहब नें राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कई अच्छी और प्रगतिशील बातों का उल्लेख किया है—जैसे हमने बिजली, एजूकेशन, सड़क की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, पुल और पुलियां बनायी जावेंगी और हमने 10 निगम बनाए हैं। कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनके बारे में निश्चय तो पूर्व की सरकारों ने ही कर लिया था कि इस तरह से उत्तर प्रदेश की हालत को ठीक किया जाय। लेकिन जब उनको शुरू करने की बात मैंने सोची तो हमारे ऊपर लांछन लगाये जाते हैं तरह-तरह के। जो चीज आपकी दी हुई थी, आपके दिमाग की उपज थी, जिन्हें आप कार्यान्वित नहीं कर सके, उन्हीं को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं और उस दिशा में ईमानदारी से सोच रहे हैं तो आप दूसरी नजरों से क्यों देखते हैं?

ट्रांसपोर्ट के बारे में तरह-तरह की यहां चर्चाएं होती थीं, शिकायतें होती थीं। उन्हीं का निवारण करने के लिये परिवहन निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। निगम बनने से उस पर मिनिस्टर का प्रभाव कम हो जाता है, वह नियमानुसार अपने विभाग का संचालन कर सकता है, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है, उसकी एफीशिएन्सी को बढ़ा सकता है। किन्तु अब यह कहा जाता है कि जिन लोगों को मंत्रि-परिषद् में नहीं ले सकें हैं उनको कुछ देने का इन्तजाम किया जा रहा है। इस पर तो मुझे अपने बचपन में सुनी एक कहानी याद आती

है। एक गदहा था और उसका मालिक एक धोबी था। एक बार धोबी उस गदहे को लेकर बाहर निकला। तो पहले धोबी ने लड़के को बिठाया। तो लोगों ने कहा कि लड़का बड़ा नालायक है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। लड़का उतर गया। बाप बैठ गया। तो लोगों ने कहा कि बाप बड़ा नालायक है, बुड्ढा गदहे पर बैठा हुआ है और लड़का पैदल चल रहा है। तब दोनों गदहे पर बैठ गये। तो लोगों ने कहा कि दोनों बड़े जालिम हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कहानी में वह घोड़ा था लेकिन ऐसा अवमूल्यन हुआ है कि वह गधा हो गया।

श्री राजमंगल पांडेय—

जायसवाल जी की नजर में हम गधा हैं, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा नहीं। यह तो उपलब्धियों से पता चल जायगा। जब दोनों उतर गये तो लोगों नें कहा कि बड़े बेवकूफ हैं, सवारी होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। तो उन्होंने परेशान हो कर गदहे को . . .

श्री अधिष्ठाता—

गधे को घोड़ा कह दें तो क्या परेशानी है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

घोड़ा ही मान लें। उसको नदी में फेंक दिया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बड़े बेवकूफ हैं नदी में फेंक दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तो अपनी अपनी पसन्द है।

श्री राजमंगल पांडेय—

हर कोई जो उधर बैठता है तो उसको खामियां नजर आती हैं, वही जब इधर बैठता है तो सोचने का तरीका बदल जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आप घोड़े वाले हैं या गधे वाले?

श्री अधिष्ठाता—

आप जारी रखें।

श्री राजमंगल पांडेय—

आज विश्व के इतिहास में दो चीजों का सृजन हो रहा है, हिंसा अनैतिकता की प्रवृत्ति। कुछ लोगों का कहना है कि साइन्स ने मैटीरियलिज्म दिया, जो कि हमारा कभी उद्देश्य नहीं था। आज अनैतिकता, विश्वास की कमी, अपने कर्मों के बारे में न सोचना, भौतिकता इसका बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारी ब्युरोक्रेसी है, खास कर हमारे प्रदेश की, अपनी लायलटीज सरकार को न देकर विशेष व्यक्तियों को दे रही है। जो भी मुख्य मंत्री होता है, हर अधिकारी मुख्य मंत्री के नजदीक आ कर अपना गोल बनाता है। इसका नतीजा यह होता है कि सरकारों के बदलने के साथ-साथ, उनके कार्य करने की क्षमता इतनी कम होने लगी है, तो अगर सेक्रेटरी समझता है कि इस मंत्री से विवाद है तो उस फाइल को तब तक दबा कर रखेगा जब तक कि वह परिवर्तित न हो जाय। 1967 से लेकर 1971 तक जो प्रदेश में सरकारें बनती और बिगड़ती रहीं, इसका बहुत बड़ा कारण रहा है क्योंकि कोई स्टेबिल सरकार नहीं रही इसलिये नौकरशाही को बढ़ावा मिला। अब एक स्टेबिल गवर्नमेन्ट है। अगर सही मानी में विरोधी पक्ष देखे तो सारी कमियों के बावजूद, हमारी उपलब्धियां ऐसी हैं जिन पर फक्र भी हो सकता है। लेकिन हमारी क्षमता के हिसाब से अवश्य नहीं है। लेकिन अभी साल भर का ही वक्त हुआ है इसमें क्या कर सकते हैं, यह भी सोचने की बात है।

[श्री राजमंगल पांडेय]

दूसरे ताशकन्त समझौते की बहुत बड़ी बात की गयी। यहां तक कहा गया कि ताशकन्द समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री जी के दस्तखत भी नहीं हुए। इसको मान भी लें, लेकिन ताशकन्द समझौते की वजह से पाकिस्तान की लड़ाई में हमें कामयाबी हासिल हुई। ताशकन्द समझौते में पाकिस्तान ने जिस चीज का एश्योरेन्स दिया था उसको पूरा नहीं किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि इंडिया और रशा का पैक्ट हुआ। रशा ने लड़ाई में हमारी मदद की। हमने दुश्मन को भी दोस्त समझा, किसी के कहने से, यह हमारा भ्रम हो सकता है। यह भूल हो सकती है लेकिन इसमें किसी बदनीयती का सवाल पैदा नहीं होता है कि देश की आजादी को हमने खतरे में डाला हो। जो भूलें हमने की वे भी सबके सामने हैं।

श्री अधिष्ठाता---

अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

*श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। यह जो 60 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया गया है वह गरीबी व अमीरी को बढ़ाने वाला है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाला है, समाजवाद को कोसों दूर करने वाला है। कोरे नारेबाजी से भरा यह बजट है।

हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं लेकिन उन्होंने किसी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। सन् 1947 से हमारा देश आजाद हुआ। केन्द्र तथा प्रदेश में उनकी सरकार रहीं वे बताते कि उनकी सरकारों ने अब तक क्या उपलब्धियां कीं। सन् 1967 का रोना रोया गया कि प्रदेश के अन्दर सरकारें बदलीं और काम करने का मौका नहीं मिला।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय सदस्य को थोड़ा सा भ्रम है। सन् 1947 में जो सरकार रही वह प्योर कांग्रेस की सरकार थी लेकिन आज उसमें विभिन्न प्रकार के लोग सम्मिलित हैं।

श्री मनोहर लाल---

उस समय डेमोक्रेसी जनता की, जनता के लिये तथा जनता के द्वारा थी लेकिन आज डेमोक्रेसी आफ दी चेयर, फार दी चेयर और बाई दी चेयर है। पहले तथा आज के प्रजातंत्र में इतना फर्क है। आज प्रजातंत्र चाहे केन्द्र में हो अथवा प्रदेश में हो वह सब कुर्सी के लिये है। आज आप देखें कि किस तरह से दल बदल कर सरकार बनाई गई है। प्रधान मंत्री कहती हैं कि दल बदल के लिये कानून बनेगा लेकिन दूसरी तरफ पैसा देकर वोट खरीदा जाता है। रूलिंग पार्टीज के कैंडिडेट्स ने आज एक माहोल पैदा कर दिया है कि जो आदमी खड़ा होगा वह वोट खरीद कर जीत सकता है लेकिन ईमानदारी की यह चरम सीमा हो गयी कि पैसा लेकर वोट भी नहीं दिया रूलिंग पार्टी के लोगों ने और आज लाठी लेकर पैसा उनसे वसूल किया जा रहा है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। गवर्नर महोदय ने अपने बजट अभिभाषण में बताया कि 8वीं कक्षा तक की शिक्षा का नेशनलाइजेशन हो जायगा लेकिन जब एजूकेशन सेक्रेटरी तथा डाइरेक्टर आफ एजूकेशन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। पता नहीं कहां तक इस बात में सच्चाई है। हो सकता है कि वाह वाही पाने के लिये कह दिया हो कि 8वीं कक्षा तक की शिक्षा को सरकार अपने हाथ में ले लेगी। यह बिलकुल गलत बात है और हम इसको चैलेंज करना चाहते हैं।

इसके साथ ही साथ यहां पर क्रैश प्रोग्राम की भी बात कही गई है कि इसके द्वारा लोगों को रोजगार दिया जायेगा। अभी तक दो दिन पहले मैंने अखबार में देखा कि सात-आठ साल के बच्चे सीतापुर के अन्दर जिलाधीश के बंगले में बैठे हुये हैं और वे रोजगार मांग रहे हैं। क्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उम्मीद की जा सकती है कि ये सात-आठ साल के बच्चे काम क्या कर पायेंगे ? इसके लिये वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो रोना रोया है वह बिलकुल कोरी कल्पना है। उन सात-आठ साल के बच्चों की फोटो भी अखबार में निकली है। मैं समझता हूं कि यह केवल दिखावा मात्र है और बहकावा देने वाली बात है। इस तरह से वे गांवों के लोगों को इस क्रैश प्रोग्राम के द्वारा रोजगार दिलाना चाहते हैं। जो मस्टर रोल वहां पर बनता है वहां पर वास्तविक रूप में कितने आदमी काम करते हैं। यदि इसे देखा जाय तो मालूम हो जायेगा कि कितना भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मस्टर रोल के अन्दर 100/200 आदमी दिखाये जाते हैं और जब कि काम करने वाले कुल 20/20 ही लोग होते हैं। कोरे नारेबाजी से लोगों को बहकावा देने की बात है। यह बहुत ही गलत है जिसका जवाव जनता ही केवल दे सकती है।

जहां तक बेरोजगारी की बात है हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी यह नारा देती हैं और पार्लियामेंटरी चुनाव के दौरान उन्होंने यह नारा दिया कि हम हिन्दुस्तान से गरीबी को हटायेंगे और समाजवाद लायेंगे किन्तु डेढ़-दो साल का समय हो गया, मैं जानना चाहता हूं कि इस देश से कितनी गरीबी हटाई गई, एक भी जिले का तो नाम बता दें कि वहां पर गरीबी नहीं है और बेरोजगारी भी नहीं है। कहने के लिये तो कह दिया जाता है किन्तु जो किया जाता है वह देश के सामने है। कहीं कोई न तो गरीबी ही हटी न बेरोजगारी ही हटी बल्कि दिनोंदिन बढ़ती ही चली जा रही है।

आज स्कूलों की हालत यह है कि बी० ए० पास करके विद्यार्थी रिक्शा चलाते हैं, चपरासियों की जगह के लिये इधर-उधर भटकते रहते हैं कि कहीं भी कोई नौकरी उन्हें मिल जाय। यही इंजीनियर्स की हालत है। वे लोग डिप्लोमा और डिग्री लिये हुये हैं किन्तु रोजगारी के लिये घूम रहे हैं। इसका केवल एक ही कारण है कि हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी कानपुर विश्वविद्यालय के कनवोकेशन में गये थे और उन्होंने वहां पर कहा था कि शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिये। मैं कहता हूं कि आप तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं अगर आप ही यह कहेंगे कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिये तो वह आमूल परिवर्तन कौन करेगा और कौन उसमें परिवर्तन लायेगा। आपको तो यह कहना चाहिये था कि हम शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन ला रहे हैं ताकि उसमें सुधार हो सके। इसके लिये पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाना चाहिये और उसके सुधार के लिये आपको जल्दी से जल्दी बिल लाना चाहिये। भाषण कर देने और उसे अमल में लाने में फर्क क्यों होता है। इस लिये इस विषय में आपको सोचने की आवश्यकता है।

जहां तक श्रम की बात है, अधिष्ठाता महोदय, चारों तरफ असन्तोष ही असन्तोष फैला हुआ है। कल ही इस सदन में चर्चा हो रही थी कि कानपुर की दो मिलों में 13 हजार श्रमिकों ने हड़ताल की हुई है और वह बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के कर्मचारियों ने 7 तारीख से हड़ताल पर जाने का विचार किया है और आये दिन इसी प्रकार की श्रमिक और मजदूर की आपको धमिकयां मिल रही हैं। किन्तु सरकार ने इस समस्या को जानने की कोशिश नहीं की है कि इन हड़तालों को समाप्त करने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं ? जिलों में जाकर कई प्रकार के वक्तव्य दे दिये जाते हैं कि श्रमिकों के साथ न्याय किया जायेगा और उनकी मांगे पूरी की जायेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक कौन से संशोधन बिल आप लाये हैं जिससे इन श्रमिकों में संतोष पैदा हो सके। मजदूरों की मजदूरी की समस्या भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इससे देश और प्रदेश को नुकसान हो रहा है। खाली कह देने से कि गरीबी हटायेंगे, वह नहीं हट सकती है।

हमारा तो कहना यह है—भारतीय क्रान्ति दल का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे तो सबसे पहले छोटे उद्योग-धंधों की तरफ ध्यान देना होगा। कुछ दिनों पहले लखनऊ में बुनकर भाइयों ने प्रदर्शन किया था और उत्तर प्रदेश के सारे जिलों से बुनकर भाई लखनऊ आये थे और सरकार के सामने उन्होंने अपनी दिक्कतें और परेशानियां

[श्री मनोहर लाल]

रखी थीं, लेकिन उस पर कोई भी आज तक हल नहीं निकला, आश्वासन भले ही दे दिया। वह यहां से निराश होकर लौट गये और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पास किया कि वह आखिरी समय तक लड़ने के लिये तैयार हैं। सरकार यह नहीं कर पायी कि उनको पर्याप्त सूत मिल सके। हमारी सरकार जो अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है वह वास्तव में पूजीपतियों का संरक्षण करती है। वह चाहती है कि बड़े-बड़े मिल-मालिकों को परमिट, लाइसेंस मिलता रहे, उसे छोटे उद्योग-धंधों से कोई मतलब नहीं है। बड़े उद्योगों को ही बढ़ाने के लिये बिल लाये जाते हैं और कुछ किया जाता है। आपने बजट में कौन सी रकम छोटे उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिये रखी है जिससे उनमें काम करने वालों की दशा सुधारी जा सके।

जिस तरह से आज हमारे प्रदेश के ऊपर अत्याचार पुलिस का हो रहा है, मालूम होता है कि सरकार है ही नहीं। कहीं भी चले जाइये हर जगह दफ्तरों में ढिलाई से काम हो रहा है। लोग काम टालने की कोशिश करते हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह कोशिश नहीं करते कि लोगों की सही व्यवस्था हो सके। अधिष्ठाता महोदय, हमें तो यह कहना है कि जो आज सरकार चल रही है और उसके द्वारा जो आई० टी० आईज चल रही है उसकी दशा बड़ी शोचनीय है। करोड़ों की मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, शिक्षा वहां गलत दी जाती है। वहां से जो विद्यार्थी निकलते हैं डिप्लोमा और डिग्री लेकर उनको लेने के लिये कोई तैयार नहीं होता है।

सहकारिता के अन्दर हालत यह है कि सहकारिता विभाग के फर्रुखाबाद में 20–20 कोल्ड स्टोरेज हैं। जब कि वहां आलू रखने के सरकारी रेट 8 रुपया है, वहां स्थानीय संस्थाओं द्वारा 20–22 रुपया क्विटल पर आलू रखा जाता है और बीच का रुपया मैनेजर वसूल कर लेता है और मिल-बांट कर खा जाता है। वहां पर तो 4 साल से मैनेजर ही नहीं है। कोई हैड क्लर्क या सुपरिन्टेन्डेन्ट है वह मैनेजर बना हुआ है और इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है। उसकी जांच होनी चाहिये। सहकारिता इस तरह से गोरखधंधा बना हुआ है। हर सरकारी विभाग की यही हालत है। इस फैले हुए भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिये जिससे स्थिति सामने आये और पता चले कि किस कारण से यह व्याप्त है।

बजट के अन्दर यह देखा है कि उसमें रूरल और अरबन सीलिंग की बात कही गयी है और कहा गया है कि हम उसको बहुत जल्दी ला रहे हैं। यह ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन वह कौन सा दिन आयेगा जब सीलिंग का प्रस्ताव सदन में आयेगा। पता नहीं यह खाली आश्वासन की बात है या कभी वास्तविकता भी होगी। हम चाहते हैं कि इन चीजों की तरफ सरकार ध्यान दे और देखें कि हमें किस तरह से आगे बढ़ने के लिये और समाजवाद लाने के लिये कौन से काम करने हैं। हमें तो यही दिखाई देता है कि वोट पाने की तरफ खास प्रक्रिया रही है और यही प्रयास देखने को मिला है कि हम कैसे मंत्री बने रहें। इसी तरफ ध्यान जाता है। इस लिए सही ढंग से हमें इन सब चीजों पर विचार करना चाहिये तभी वास्तव में समाजवाद आ सकता है और तभी बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने भाषण में राजनैतिक पहलू रखे हैं उस पर विचार व्यक्त न करके केवल इस प्रदेश के आर्थिक पहलुओं पर जो समाधान रखा गया है उस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा क्योंकि राजनीति में हमारा प्रदेश सारे देश से आगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है और हमारे प्रदेश के लिये राजनीति की कोई समस्या नहीं रही है, हमारे प्रदेश की समस्या केवल आर्थिक रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने लिखा है कि नियोजन काल में 2.8 परसेंट प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है और सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस नियोजन काल में पंजाब और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आय में 4 या 5 परसेंट राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय 265 रुपये है जब कि पंजाब और महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति की आय लगभग 500 रुपये के है, 1960–61 के मूल्यों के आधार पर तो इस दृष्टि से हमारे प्रदेश को एक समस्या की तरफ ध्यान देना है कि जो आर्थिक स्टेगनेशन कायम हो गया है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाय और इस प्रदेश के आर्थिक स्टेगनेशन का समाधान किया जाय। वित्त मंत्री जी ने एक नये समाधान के निकालने का प्रयास किया है। वह है केन्द्र इन्स्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के द्वारा अधिक से अधिक पैसा लेकर योजनाओं को कार्यान्वित करना। उन्होंने अपने भाषण में कम मे कम एक दर्जन कारपोरेशन्स की चर्चा की है जो बहुत से पहलुओं पर विचार करने जा रहे हैं और उन पर काम करने जा रहे हैं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसके पृष्ठ 6 पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिक अप) क्षेत्रीय विकास निगम, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, राज्य सीमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश पुल निगम, वाटर सीवेज बोर्ड, उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश खाद्य कारपोरेशन आदि की चर्चा है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ये जो निगम खोले जा रहे हैं उनको केन्द्र से या जहां से फाइनेंस मिलने वाला है, उन्होंने उनके काम के लिये पूरा पैसा दे दिया है। केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक या जनता द्वारा या प्रदेशीय सरकार द्वारा इनके फाइनेंसिंग का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है। यदि आप इनके फाइनेन्सेज प्राप्त नहीं कर सके तो ये सब आपके कारपोरेशंस सादा कागज पर ही धरे रह जायंगे और उनके द्वारा कोई काम नहीं हो सकेगा।

(इस समय 1 बजकर 7 मिनट पर अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये।)

दूसरे इन कारपोरेसन का परसोनल क्या होगा। हमारे प्रदेश में अब तक जितने कारपोरेशन्स बने हैं उनके हैड्स आई०सी० एस०, आई० ए० एस० या पी० सी० एस० अधिकारी रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेरमैन एक आई० सी० एस० हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है लेकिन इस एटीट्यूड पर ध्यान दीजिए कि जब किसी निगम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया जाता है और उसमें घाटा होता है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रख सकते क्योंकि उसकी सर्विसेज इंडियन कांस्टीट्यूशन में सिक्योर रहती हैं और आप उसको और किसी अच्छी जगह पर एप्वाइंटमेंट दे सकते है जिसका मैं एक उदाहरण दूं। आपकी चुर्क और डाला सीमेंट फैक्टरियों में आई० सी० एस० और पी० सी० एस० आफीसर्स बैठे हैं और दोनों जगह घाटा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी 10 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। लेकिन इस तमाम घाटे का जिम्मेदार वह चेयरमैन किसी भी प्रकार से नहीं है। अगर उस आई० सी० एस० आफिसर को आप वहां से हटायेंगे भी तो अपने यहां सेक्रेटेरियट में सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बना कर बैठा देंगे। उस घाटे से उसके कैरियर पर कोई असर होने वाला नहीं है, उसकी तरक्की भले ही हो जाय। इसलिये मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे कारपोरेशन्स का युग तो बना रहे हैं लेकिन इस बात पर भी आपको गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कि कारपोरेशन्स का जिसको आप हेड बनायें उसकी फायदे और घाटे के लिये जिम्मेदारी अवश्य होनी चाहिये। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये कारपोरेशन्स सदा की भांति एक घाटे के सौदे होकर ही रह जायेंगे।

इन्हीं कारपोरेशन्स के सिलसिले में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दिये बिना भी नहीं रह सकता कि उन्होंने ब्रिज बनाने का काम इसी कारपोरेशन को सिपुर्द किया है। पिछले 20–25 साल से गाजीपुर की 14 लाख जनता इसके लिये आन्दोलन कर रही थी, उसका यह एक वैधानिक और मूक आन्दोलन था। गाजीपुर में गंगा पर पुल बनाया जा रहा है, उसको सुन कर वहां की जनता बहुत प्रसन्न हुई और मैं आपके माध्यम

[श्री कृष्णानन्द राय]

से अपनी तरफ से वहां की 14 लाख जनता की ओर से, गाजीपुर जिले के प्रतिनिधियों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि आपने गंगा पर वहांपुल बनाने का संकेत दिया है तो सर्वेडिबीजन को भी आप तुरन्त खोल दीजिये। आपने यह भी कहा है कि इसके लिये किसी बैंक से डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की गयी है। लेकिन अगर आपको यह रुपया नहीं मिला या और कोई कठिनाई पैदा हो गयी तो बड़ी भारी गड़बड़ हो सकती है। वह इसी प्रकार से होगा कि एक भूखे आदमी को कह दिया जाय कि तुमको खाना दिया जायगा और फिर खाना न दिया जाय तो अभी तो एक शांतिपूर्ण आन्दोलन चल रहा था, वह अशान्तिपूर्ण आन्दोलन का रूप ले सकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे सोचते हैं और सोचने का प्रयास भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि वे उत्तर प्रदेश में प्लानिंग को रिवेटलाइज करने के लिये प्रदेश में प्लानिंग इन्स्टीट्यूट खोल रहे हैं। आपका यह सुन्दर विचार है और ईश्वर करे आपका यह प्लानिंग इन्स्टीट्यूट सफल हो। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि आप प्लानिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की प्लानिंग अब लखनऊ और कानपुर में नहीं की जा सकती। आज वह समय आ गया है जब साहसपूर्ण ढंग से आपको यह फैसला करना होगा कि उत्तर प्रदेश की प्लानिंग रीजनल आधार पर होगी और प्लानिंग इन्स्टीट्यूट एक सेन्ट्रल बाडी न होकर एक रीजनल बाडी भी होगा।

हमारे उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की बड़ी चर्चा है। दिल्ली में कान्फ्रेन्स हुई, कानपुर में कान्फ्रेन्स हुई और माननीय मुख्य मंत्री ने दिल्ली और कानपुर की कान्फ्रेन्सेज को अटेण्ड किया। मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का जो नारा है वह एक भ्रामक नारा है और उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। जो नारा पिछड़ेपन का लखनऊ, कानपुर से दिया जाता है वह एक भ्रामक और गलत नारा है। जब तक इस तरह से पिछड़ा प्रदेश कह कर आप समाधान करने का प्रयत्न करेंगे प्रदेश का समाधान नहीं होगा। यह केवल एक नारा ही हो सकता है। प्रदेश के पिछड़े इलाकों के पिछड़ेपन को दूर किया जाय या यह एक प्योर मैथमेटिक्स की बात है। प्रति व्यक्ति आय 1960–61 के मूल्य के आधार पर 265 रुपया प्रदेश की थी और करेन्ट मूल्य के हिसाब से वह 500 रुपया है जब कि पंजाब की 800 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। 500 रुपया यहां का औसत है और पश्चिमी इलाके की 400 रुपया है, पूर्व में यह केवल 222 रुपया है और बुन्देलखंड में 208 है, पहाड़ के इलाके में वह केवल 212–214 रुपया ही है। जो उत्तर प्रदेश के 5 रीजन हैं उनकी यह हालत है। अगर आप जरा भी ध्यान दें तो जहां की आय 222 है वहां की भी 400 हो जाय। अगर आप रीजनल तरीके पर ध्यान देंगे तो यह आय शूट कर के 400–500 तक पहुंच सकती है और प्रदेश का औसत शूट कर के पंजाब के बराबर पहुंच सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि प्रदेशके पिछड़ेपन को दूर करना है तो प्रदेश के जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनके पिछड़ेपन को आप दूर कर दें तो सारा पिछड़ापन यहां का दूर हो जायगा। मैं उत्तर प्रदेश को इस तरह से विश्रंखल करने की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि यहां के जो अलग-अलग रीजन्स है उन की अलग-अलग प्रोबलम्स हैं, आप श्रीमन् ,बुन्देलखंड क रहने वाले है, हमीरपुर और वहां के अन्य इलाकों में वहां की जमीन चिल्ला-चिल्ला कर कहती है कि उस ऊबड़ खाबड़ जमीन की सैकड़ों वर्ष से जुताई नहीं हुई है, लखनऊ और कानपुर के लोगों ने वहां के लिये कोई प्लानिंग नही की है, वहां की ऊबड़-खाबड़ जमीन आज डाकुओं का बसेरा बनी हुई है, अगर उसे बुलडोजर से समतल बना दिया जाय और उसे खेती के योग्य बना दें तो वह सारा क्षेत्र विकसित और हरा भरा हो सकता है।

हमारे पूर्वी जिलों की जमीन समतल तो जरूर है लेकिन वहां पर बहुत घनी आबादी है। देवरिया में प्रति वर्गमील पर 11 सौ, 12 सौ आदमी बसत ह, इसी तरह स गाजीपुर में भी

800 आदमी बसते हैं और कहीं कहीं तो 12–13 सौ आदमी प्रति वगमील रहते हैं। जब कि सारे देश का प्रति वर्गमील का औसत तीन चार सौ का ही आता है। पूर्वी जिलों का सवाल यही है कि वहां के इस आबादी के भार को कैसे कम किया जाय। आज आबादी को कम करने का कोई चारा नहीं है। आज तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि पहले पूर्व के लोग बर्मा में, सिंगापुर में और अफ़्रीका तक में जाकर अपनी रोटी कमाते थे, आज उनको इन देशों से धकेला जा रहा है और वह बेचारे अपने घरों को मजबूरन लौट रहे हैं। यहां तक कि यह बड़े खेद की बात है कि आज वह बम्बई, कलकत्ता और बंगाल से भी ठेले जा रहे हैं। जो सारी दुनिया में जाकर अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते थे आज पूर्व के अंचलों की घनी आबादी में लौट कर गरीबी की जिन्दगी गुजार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपदों की समस्या है। आज .6 एकड़ खेती पर प्रति व्यक्ति अपनी जिन्दगी बसर कर रहा है, उसको आप कैसे रोजी देंगे, कैसे उसको आप एम्प्लायमेंट देंगे? क्या चारा हो सकता है?

आप प्रदेश को इन्डस्ट्रियलाइज करें। पूर्वांचल के विकास का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप उसका औद्योगीकरण करें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लखनऊ से या कानपुर की इन्डस्ट्रियल डायरेक्टोरेट से औद्योगीकरण कर सकते हैं। चल कर पता लगा लें कि पूर्व में जो 3–4 जिले हैं जैसे, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, उनको यहां से कोई रा-मेटीरियल दिया जाता है। कानपुर में डायरेक्टोरेट में बैठकर यह बांट दिया जाता है। वहां से उत्तर प्रदेश का रा-मैटीरियल नेपाल और तिब्बत चला जाता है और यहां तक कि चीन में भी चला जाता है। जी० सी० शीट्स पकड़ी गयीं, लोहा पकड़ा गया है। फर्जी फैक्ट्रियां खुली हुयी हैं जहां पर सारा का सारा रा-मैटीरियल समाप्त होता चला जा रहा है। लेकिन पूर्वी जिलों के लोगों को नहीं मिल रहा है। यदि फुल फ्लैज्ड रीजनल प्लानिंग बोर्ड्स स्थापित हो जायं और उनको पूरी पावर दे दी जायं और रा-मैटीरियल का आप ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन करा दें तो प्रदेश में विकास हो सकता है। क्या आपके नैनीताल या अल्मोड़ा, जो पहाड़ी क्षेत्र में है, कोई आदमी कानपुर आकर एक रत्ती की चीज पा सकता है? जी० सी० शीट्स का कानपुर से नेपाल और तिब्बत में व्यापार किया जाता है।

अभी हाल में पूर्व से बहुत से जुलाहे आये थे। श्रीमन्, वहां एक बैल्ट है जिसमें बनारस गोरखपुर, मऊ, देवरिया आदि हैं जहां लाखों, हजारों जुलाहे रोजी कमा रहे हैं। लड़ाई में उन्हें कुछ फायदा हुआ। लकिन आज उनको सूत नहीं मिल रहा है, उनका एक्सप्लायटेशन हो रहा है। पावर लूम्स के लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। यहां पर बैठकर आपकी डायरेक्टोरेट निकम्मेपन से काम कर रही है। जब तक आप रीजनल प्लानिंग बोर्ड बनाकर उनको फुल फलैज्ड पावर नहीं देंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता है।

इन शब्दों क साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री और सरकार को बधाई देता हूं। आर्थिक टैक्सेशन का पोरेशन्स के माध्यम से और सैन्ट्रल फाइनेन्शियल इन्सटीट्युशन्स से एक नये तरीके का प्रयोग जो वे करने जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि व इसमें सफल हों।

श्री निहालसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस समाजवादी बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समाजवादी बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो रखा है, उसको पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या उसी की इन्तजारी में हम लोग या सारी जनता बेसब्री से इन्तजार कर रहे थे कि समाजवाद आयेगा और हमारी गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन इसको देखने से बिल्कुल निराशा हो हुई। जैसे एक बिल्कुल पुरानी बैलगाड़ी की कच्ची रोड पर अपनी लीक से जाती थी, वैसे ही वह अब भी चल रही है। इसमें कोई नई बात देखने को नहीं मिली हैं। वही पुरानी बातें इसमें हैं।

[श्री निहाला सिंह]

अब कुछ बातें कह करके इनके सारे विभागों के बारे में 2–2 शब्द कहना चाहता हूं। सबसे बुनियादी चीज शिक्षा है जिसमें जब तक हमारे शिक्षित नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं बढ़ेगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा।

शिक्षा के बारे में मैंने देखा कि कोई बात आपने नहीं लिखी। प्राइमरी शिक्षा तक की बिल्डिंग गिर गई हैं, पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई स्कूलों की हालत बड़ी खराब चल रही है। चारों तरफ उपद्रव, चारों तरफ हड़ताल सारी बातें देखकर बहुत बड़ी निराशा होती है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। मैं आपको एक बात बतलाऊं कि मिर्जापुर में चुनार-राबर्ट सगंज रेलवे लाईन बनी, उसका उद्घाटन करने नेहरू जी आये थे। उन्होंने वहां यह भाषण किया था कि हमें कोई बी०ए० और एम०ए० नहीं चाहिये। हमें तो इंजीनियर और ओवरसियर चाहिये। सारे देश के लोगों का झुकाव इंजीनियरिंग और ओवरसियरी की तरफ झुक गया। जितने इंजीनियर और ओवरसियर ओवरसियरी पढ़कर निकले वे अब मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको रोजी नहीं मिल रही है। वे बेकार हैं मेरे कहने का मतलब है कि प्लानिंग देश की ठीक ढंग से नहीं की जाती है। वहां जो मुंह से निकला कि आशा लगाकर सारा देश उस पर दौड़ पड़ा और लोग बेकार हो जाते हैं। आज देश को डाक्टरों की जरूरत है। तो क्यों नहीं बनाये। क्यों नहीं डाक्टरी के नियमों में नरमी की जाती जिससे डाक्टर अधिक से अधिक तैयार हो जायं। लेकिन वे प्लानिंग अनाप-शनाप बनाते हैं। जिससे बेकार ज्यादा हो जाते हैं और काम वालों की कमी रह जाती है।

शिक्षा के बारे में इस बात के साथ-साथ मैं आपसे यह निवेदन करूं कि अभी तक समाजवाद-समाजवाद चारों तरफ हल्ला मचा। लेकिन समाजवाद क्या है। हमारी समझ में से तो अब समाजवाद का नाम न लिया जाता तो समाजवाद शब्द को लज्जा न होती। अब तो उस शब्द को भी लज्जित होना पड़ रहा है। जिस तरह से हम समाजवाद का नारा दे रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं और उससे इस तरह से वोट प्राप्त किया करते हैं। हम समाजवाद क्या ले आये या ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले शिक्षा को ही देख लें। गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिये व्यवस्था दूसरी है और अमीरों के बच्चों को पढ़ने के लिये दूसरी है। अमीरों के लड़के देहरादून जाते हैं और गरीबों के बच्चे पेड़ के नीचे और झोपड़ियों में पढ़ते हैं। इस विषमता को दूर करने के लिये आपने कौन से कदम उठाये हैं। कोई कदम नहीं उठाया है।

अब इसके बाद मैं दूसरे विषय पर कहूंगा। शिक्षा के साथ-साथ कृषि का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर कृषि प्रधान देश में कृषि अगर उन्नतिशील न हुई तो हम शिक्षा अपने बच्चों को दे ही कैसे सकते हैं। जब तक वह अपने साधनों के विषय में निश्चित नहीं हो पायेगा तब तक वह शिक्षा प्राप्त करने स्कूल कैसे जायेगा। तो हमें कृषि की तरक्की पर भी सोचना है। कृषि की तरक्की तभी हो सकती है जब पानी का साधन हो। जिससे खेतों के लिये सिंचाई उपलब्ध हो सके। खाद प्राप्त हो सके। इन सब बातों के साथ-साथ आजकल की मशीनरी का भी उपलब्ध होना आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि पच्चीस साल आजाद हुए हो गये लेकिन अभी तक सिंचाई की व्यवस्था पूरी नहीं कर पाये। अब आप जरा सोचें कि जिन देशों में जिन किसानों को अब तक पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध नहीं हो पाया, अब तक व्यवस्था नहीं हो सकी, पच्चीस साल के बाद भी तो उनकी क्या दशा होगी। कितनी बाढ़ आई, कितना सूखा पड़ा। इस बीच में उन बेचारों की क्या दशा होती होगी और जिनको ये साधन प्राप्त हो गये वे उनसे कितने आगे निकल गये। तो इन बातों को सोचकर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सारी मदों में कटौती करके आप सिंचाई के साधनों को जल्द से जल्द पूरा कर दें। यह बुनियाद है आप के देश और प्रदेश के लिये।

एक बात मैं और कहूं कि किसान कर्ज लेकर, लोन लेकर ट्रैक्टर खरीद रहा है। दूसरी तरफ किसानों पर इतने टक्स लादे जा रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह खर्च किसान

कब तक बरदाश्त करता चला जायगा। आज ट्रैक्टर के दाम बढ़ गये, पम्पिंग सेट पर टैक्स लग गया, बिजली पर टैक्स बढ़ गया और मशीनी चीजों पर दाम बढ़ गये, खाद पर बढ़ गये, लगान एक तरफ सवा छः एकड़ तक माफ किया लेकिन दूसरी तरफ कृषि आयकर आ रहा है। इस चीज को देखकर जरा आप सोचें कि किसान की क्या हालत है। किसान के बल पर ही हम दुनिया के अन्य देशों से ललकार कर हाथ मिलाते हैं कि हम आत्म-निर्भर हैं। हमें आपके गल्ले की जरूरत नहीं है। देश की खाद्य समस्या अपने बल पर ही पूरा कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के साथ आप क्या कर रहे हैं। आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों से जिनके ऊपर पचासों लाख रुपये टैक्स के बकाया हैं, वसूल करने के लिये कोई कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर किसान के ऊपर 2 रुपया भी बकाया है खाद का, या किसी अन्य चीज का तो आप तुरन्त वारन्ट लेकर हवालात में बन्द करवा देते हो। जिसके बल पर सारा राष्ट्र नाज करता है, आपका यह उसके साथ व्यवहार कहां तक उचित है।

अब मैं जरा सिंचाई के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। हमारा एरिया नलकूप का ऐरिया है। लेकिन हमारे यहां नलकूप पूरे नहीं हो पाये। हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे जिले के ही सिंचाई मन्त्री हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? सभी जिलों में एक-एक सिंचाई सलाहकार समिति है। हमारे जिले की सलाहकार समिति को उन्होंने तोड़ दिया। पता नहीं और जिलों की समितियों को तोड़ा या नहीं और उन्होंने इसलिये तोड़ा ताकि वह अपने आदमियों को ओबालाइज कर सकें और नियमानुसार जो ट्यूबवेल्स सलाहकार समिति ने स्वीकृत किये थे, उन्होंने उनको पूरा नहीं किया और अपने-अपने आदमियों को दे दिया। यह भ्रष्टाचार है सिंचाई मन्त्री का जो हमारे बनारस जिले के ही रहने वाले हैं।

जरा बिजली की ओर भी आप देख लें। बिजली सिंचाई के लिये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार खेती के लिये सिंचाई की जरूरत होती है उसी प्रकार सिंचाई के लिये बिजली की भी जरूरत होती है। बिजली में भी कितना भ्रष्टाचार होता है, वह भी आप देख लें। या तो सरकार जानबूझकर उधर निगाह नहीं ले जा रही है, अन्यथा यह सरकार अयोग्य है ही। पहले हमारे जो हाइडिल मिनिस्टर थे मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे यहां एक लाइन इन्सपेक्टर है। आप जरा उनके कमरे पर चुपके से जाकर जरा नुमाइश देख लें। उनके हैंगर पर सैकड़ों सूट दिखाई देते हैं। लेकिन जब हमारे हाइडिल मिनिस्टर ही भ्रष्टाचारी हैं तो कैसे दूसरे भ्रष्टाचारी के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते। बिजली के बारे में भी इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि हमारे किसानों को परेशान किया जा रहा है। मशीनें बन्द हैं, लेकिन मीटर चल रहा है, और कोई भी सुनने वाला नहीं है, किससे कहा जाय। मैं तो एक विधायक हूं और मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। आखिर कार मुझे दीवानी कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और आज तक 5 साल हो गये निपटारा नहीं हो सका। मैंने अपने वर्तमान मुख्य मन्त्री जी से भी प्रार्थना की थी, लेकिन कौन सुनता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार तरक्की किया है उतना शायद न कभी किसी सरकार में था और न आइन्दा होगा। हां, इतना जरूर होगा कि आप समाजवाद नहीं ला सके हैं, असमानता के स्तर को दूर नहीं कर सकें हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर तरक्की किया है।

सिंचाई के बाद मैं पुलिस विभाग लेता हूं। पुलिस का विभाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पर गरीबों की रक्षा की जिम्मेदारी है। मैं दो-तीन दृष्टान्त बनारस के दे दूं जहां के हमारे मुख्य मन्त्री हैं। तहसील ज्ञानपुर में गोपीगंज में दो पार्टियों के बीच तकरार हुई। पुलिस ने 107/117 का मुकदमा चलाया। एक पक्ष ने जो दूसरे पक्ष पर जो कमजोर पड़ता था उसको हैरेस करने के लिये एक 4 साल के बच्चे का नाम लिखा दिया और उस छोटे लड़के को भी कोर्ट में बुलाया गया। परन्तु उसके पिता ने उसकी जमानत लेने से इंकार कर दिया कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तब मजिस्ट्रेट ने तुरन्त उसको बरी किया कि 4 साल के लड़के के ऊपर 107/117 क्यों चले, क्या सरकार को इसका पता नहीं होगा।

[श्री निहाला सिंह]

मैं दूसरा दृष्टान्त देता हूं। एस० डी० आई० हैं बनारस के श्री शमशेर सिंह। उनका चिलबिला गांव है। उसके दो पुरवा हैं चिलबला और खरगनपुर। प्राइमरी स्कूल चिलबिला में है और रहते हैं खरगनपुर में। उनकी 4 साल की एक लड़की है जो अन्य दूसरे लड़कों के साथ स्कूल चली गई। थोड़ी देर के बाद 12 बजने पर जब लड़के अपने घर जाने लगे तो लड़की का पता नहीं। बच्चे चुराने वाला गिरोह उस लड़की को चुरा ले गया। थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। थानेदार ने डाट कर एस० डी० आई० को निकाल दिया। लाचार हो कर माननीय पंडित बंशीधर ने और मैंने दोनों ने अपने दस्तखत से एक दरख्वास्त मन्त्री जी को दी कि आप इसकी जांच सी० आई० डी० से करवा दें। लेकिन सी० आई० डी० में न देकर एस० आई० एस० में वह दिया गया। जो एक लड़की का पता न लगा सके उसे थानेदार बनकर रहने का क्या हक है? पुलिस वहां एक काम जरूर कर रही है कि अपने पुराने डकैतों को तो संरक्षण देती है और उनसे पैसा लेती है। और अपनी इज्जत बचाने के लिये उनके द्वारा नवयुवकों को बुलाकर किसी न किसी बहाने से पकड़ कर जेल में बन्द कर देते हैं और कहते हैं कि एक गिरोहबन्दी कानून है, डाका पड़ने जा रहा था। इससे तो क्रिमिनल्स बढ़ेंगे। जब बेकसूर लड़का जेल चला जायगा तो नाजायज काम करने की आदत हो ही जायगी। कभी इसकी जांच कराई गई कि उन पुराने डकैतों को संरक्षण देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि सरकार जिस तरीके पर चल रही है सम्भल जाय नहीं तो यह बात सही है कि अभी आप बहुमत में हैं, सरकार आपके हाथ में है, लेकिन जैसा कि हल्ला है अगर कहीं मिड टर्म एलेक्शन हो गया तो जनता शायद फिर आपको वोट नहीं देगी क्योंकि वह सोच रही है कि समाजवाद दिल्ली से चला लखनऊ तक पहुंचा और अब शायद हमारे गांव में आ जाय। लेकिन उसको भ्रम है। यह समाजवाद तो है नहीं, यह तो जादूवाद है। एक जादूगर आता है और अपने थैले से एक खपड़ा निकाल कर रुपया बना देता है। लेकिन खेल दिखाने के बाद जब अपना थैला लपेट कर चल देता है तो वह फिर खपड़े का खपड़ा। हमारी श्रीमती इन्दिरा गांधी की वाणी में जादू है। वह भाषण में सबको सुखी बना देती हैं लेकिन ज्यों ही भाषण दे कर मीटिंग से गयीं तो आप वैसे के वैसे। लेकिन अब जनता अधिक इन्तजार नहीं करेगी। हम भी जनता के बीच में रहते हैं। अब यह चीजे ज्यादा दिन टलने वाली नहीं है। अब तो वह समय भी नजदीक आता जा रहा है कि जब समाजवाद के नाम पर वोट लेने की बात खत्म हो जायगी।

यह कहा गया कि हम बेकारों को रोजी देंगे। जितने दर्शक हमारे यहां रोज आते हैं शायद उनमें ज्यादा तादाद उन्हीं की है जो यह पता लगाने आते हैं कि बेकारी कब दूर होगी। इसके लिये आपने क्रैश प्रोग्राम चलाया, यानी सड़कों पर मिट्टी डालने का, तालाब खोदने का, नाली खोदने का। लेकिन यह बी०ए० एम० ए० पास बेकार फावड़ा लेकर मिट्टी खोदन तो जायेंगे नहीं। बेकारी तो दूर करनी थी शिक्षितों की। मजदूर तो बेकार हो नहीं सकता है क्योंकि उसके पास तो काम इतना है कि अगर वह काम करना चाहे तो वह लगा ही रहेगा लेकिन जो लोग शिक्षित है उनमें बेकारी बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त है। मैं आपको बताये देता हूं कि यही शिक्षित वर्ग जिसको आप इस समय बर्गला रहे हैं किसी दिन रेवोल्यूशन कर देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस तरीके से चलें कि इस वर्ग को राहत मिल सके। मुझ को तो यह मालूम हो रहा है कि मेरे जीवन में तो समाजवाद आने वाला नहीं है लेकिन शायद मेरे नाती-पोतों के जमाने में समाजवाद आ सके।

श्री रमापति त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में 1972-73 के बजट पर सामान्य चर्चा के समय मुझको बोलने का आपने अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, आज यह बजट ऐसे अवसर पर प्रस्तुत किया गया है जबकि अपने महान देश को एक महान उपलब्धि प्राप्त हुई है। प्राग ऐतिहासिक काल में जिस प्रकार से समुद्र गुप्त के

काल में हमारे देश की प्रतिष्ठा को चार चांद लगे थे उसी प्रकार से आज वह अवसर हमारे देश को प्राप्त हुआ है। आज भारतवर्ष का सिर ऊंचा हुआ है। हमारे देश को आज इतनी बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई है जिसके कारण हम प्रेरित होकर समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में लग सकेंगे। इस महान प्रेरणा को प्रस्फुटित करने का श्रेय हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को है अतः श्रीमती इन्दिरा गांधी आज के युग की एक महान व्यक्तित्व की प्रतीक ही नहीं अपितु वह स्वयं में एक विचार दर्शन है जिसने इस देश की मान्यताओं को ऊंचा उठाया है। इन मान्यताओं के बाद जो बजट आया है वह हमको समाजवादी लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा।

एक सदस्य—

मैं जानना चाहता हूं कि वह दर्शन किस प्रकार से हो सकता है ?

श्री रमापति त्रिपाठी—

उन्होंने हमको एक ऐसी दिशा व प्रेरणा दी है, आगे बढ़ाया है, जन समुदाय की स्वतंत्रता की वह प्रतीक है इसीलिये वह एक विचार दर्शन हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां समाजवादी परिवर्तन का शुभारम्भ हो रहा है। जो पुरानी सरकारें इस प्रदेश पर शासन करती रही हैं उनसे हमारा प्रदेश पिछड़ा ही है और इसका कारण वे सरकारें ही रही हैं। अब जो 72–73 का बजट प्रस्तुत किया गया है जिसे हमारे वित्त मन्त्री ने प्रस्तुत किया है वह इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। उससे हमको जन कल्याणकारी कार्य करने की प्रेरणा मिलती है पहले के विभागीय बजट से यह बजट भिन्न है। हमारे वित्त मन्त्री ने निगमों, कारपोरेशन्स की स्थापना करने का इसमें संकेत दिया है। हमको जो-जो अच्छी बातें जहां से मिल सकती थीं उनको हमारे वित्त मन्त्री ने लेने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है परन्तु उसके बाद भी हम कृषि में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये, यह प्रदेश उतना कृषि का उत्पादन नहीं कर पाया लेकिन आज हमारे बढ़ते हुए चरण कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के प्रेरक हैं। कृषि का उत्पादन बिजली और सिंचाई की सुविधाओं का विकास करके की गई है। बिजली में हमारे वित्त मन्त्री जी ने मिनिमम गारेंटी को समाप्त करके उन्मुक्त हृदय से सहायता दी है। अब किसान अपने नलकूप और पम्पिंग सेट्स निर्विघ्न लगा सकते हैं। अब उनको वही खर्च देना पड़ेगा जो वे खर्च करते हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में समाजवाद की मान्यतायें हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम जितना अधिक कृषि पर खर्च करेंगे, जितनी ही सहूलियतें किसानों को देंगे, समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में समुचित योगदान अत्यन्त आवश्यक है। विरोधी पक्ष खुद बहुत समय तक शासन में रहा है और उसी के समय में निजी ट्यूबवेल पर मिनिमम गारन्टी लगाई गई थी जो प्रत्येक किसान को वर्ष में 120 प्रति हार्स पावर के अनुसार जमा करना पड़ता था। लेकिन वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि किसान उतना ही पैसा देंगे जितनी कि बिजली वह खर्च करेंगे। यही समाजवादी लक्ष्य की सही दिशा है।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

बिजली का रेट क्या होता है, यह भी इनको मालूम नहीं है।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

3 पैसा प्रति यूनिट रेट बढ़ा दिया गया है।

श्री निहाला सिंह—

बिजली का रेट बढ़ाकर सामने से न पकड़ कर पीछे से नाक पकड़ी है।

श्री रमापति त्रिपाठी—

विश्व के कृषि प्रधान देश ने आज अपनी तरक्की इन्हीं मान्यताओं पर किया है जैसा कि उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। किसान केवल खेती पर निर्भर रहकर अपेक्षित तरक्की नहीं कर सकता इसलिये बजट में दूसरे तरीकों को भी अपनाया गया है और वह स्तुत्य हैं। सहकारी संघों के माध्यम से समुचित ऋण प्रदान कर किसानों को गाय, भैंस, खरीदने का प्रबन्ध किया जा रहा है, जिससे वह दूध का व्यापार करके अपनी तरक्की कर सके। इसलिये इस प्रस्तुत बजट में छोटे किसानों पर अधिक ध्यान दिया गया है। वह अपने छोटे-छोटे कृषि क्षेत्रों पर काम करते हुए श्वेत क्रांति की ओर भी बढ़ सकें। आज किसान क्रैश क्राप आलू की वृहत् खेती कर रहा है, चाहे वह फर्रुखाबाद जिला हो या इलाहाबाद। उनके लिये सहकारी संघ कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। और सरकारी नियन्त्रण में उनको रखकर किसानों से वही मूल्य लिया जावेगा जो उचित होगा।

प्रस्तुत बजट में वित्त मन्त्री ने प्राइमरी विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल जो जिला परिषद् के क्षेत्राधिकार में हैं और जिन्हें स्थानीय राजनीति चाहे वह क्षेत्र समिति की हो या जिला परिषद् की हो, बुरी तरह प्रभावित किया है, का राष्ट्रीयकरण की ओर संकेत किया है। यह सरकारी नियन्त्रण स्तुत्य है। वित्त मन्त्री जी का यह कदम प्रशंसनीय है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है और समय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राइमरी शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा को अपने हाथ में लेकर वित्त मन्त्री जी ने समाजवाद की ओर कदम बढ़ाया है क्योंकि बगैर उसके विद्यार्थियों को शिक्षा का उचित और समुचित प्रबन्ध करना आज के वातावरण में कठिन हो गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो समाजवादी बजट प्रस्तुत करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर हुआ है, इस 1972–73 के बजट का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और अभिनन्दन करता हूं।

*श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस 1972–73 के बजट का विरोध और नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं केवल विरोधी दल का नेता होने के कारण इस बजट का विरोध नहीं कर रहा हूं, अपितु जिस नाटकीय ढंग से वित्त मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है, और सरकारी पक्ष के लोगों ने जिस ढंग से इसकी वकालत की है, इस कारण मैं इसका विरोध कर रहा हूं। यह नितान्त प्रेरणा शून्य और अत्यन्त भ्रामक बजट है, यह अमीरों को अमीर और गरीबों को तबाही में झोंकने वाला बजट है। मान्यवर, इस बजट में जो काम नहीं करना चाहिये थे, इनकी बहुत जोर-शोर से घोषणा की गयी है। जितनी भी घोषणायें की गयी हैं, वे पूरी नहीं होंगी। यह 60 करोड़ के घाटे के बजट की घोषणा की गयी है। अगर घाटे का बजट प्रस्तुत होता है तो निश्चित है कि टैक्स लगेंगे। इन टैक्सों की वसूली की जो बात कही गयी है, उसका व्यापक प्रभाव मध्यम वर्ग और किसानों के ऊपर पड़ेगा जिससे मान्यवर, महंगाई बढ़ेगी और मुद्रास्फीति होगी और सामान्य नागरिक का जीवन तबाह होगा। मैं इस बजट का समर्थन करता अगर इसमें विकास की ओर बढ़ने की बात की घोषणा की जाती, मैं इसका समर्थन करता अगर इसमें गरीबी की खाई पाटने और गरीब आदमियों की आमदनी बढ़ाने की घोषणा की जाती गरीबों की आमदनी धीरे-धीरे बढ़ाकर अमीरों के समकक्ष करने का प्रयास किये जाने की घोषणा की जाती। अगर इन बातों की घोषणा करते, अगर आपकी नियत साफ थी और गरीबी दूर करना चाहते तो निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिये थी कि हम (यदि आप हर आदमी के काम देने के मौलिक अधिकार को मानते हैं) हर बेरोजगार आदमी को बेकारी-भत्ता देंगे। यदि ऐसा करते तो हम आज इस बजट का समर्थन करते। कोरे आश्वासनों को और गरीबों को गरीब और अमीरों को और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अमीर बनाने वाले बजट की वकालत केवल सरकारी पक्ष के लोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमेशा किसानों के बीच रहता है और सन् 1947 से लेकर अब तक देख रहा है कि गरीबों की कोई तरक्की नहीं हो पायी है, वह इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता और न समर्थन कर सकता है।

मान्यवर, किसानों के लिये बड़ा रोना हो गया है इसमें। महात्मा गांधी कहते थे कि यदि देश की तरक्की करना चाहते हैं तो देहात में रहने वाले 85 प्रतिशत लोगों की तरक्की करें। लेकिन आज लोग देहात से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। यह इसका प्रतीक है कि देहात की आज ठीक ढंग से तरक्की नहीं हो रही है। आज किसानों की रीढ़ टूटती जा रही है। उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिये गये हैं। आज किसान की वकालत की जा रही है। लेकिन उसको पानी महंगा मिलता है, खाद महंगी मिलती है और पम्पिंग सेट महंगे मिलते हैं। उसके जीवन की सारी आवश्यक चीजों के भाव आज आसमान छू रहे हैं। सस्ती वे चीजें हैं जिनको वह बेंचता है। कैसे किसान की तरक्की होगी। आज किसान देश की रीढ़ है। अगर उसकी दशा और बिगड़ेगी तो देश आर्थिक स्थिति के चौराहे पर जाकर उलट जायेगा। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की या चीन की लड़ाई में किसने भाग लिया। किसान के बेटे ने भाग लिया। लेकिन यह किसान का बेटा आज इस चौराहे पर अंधकारमय भविष्य के साथ खड़ा है। रिक्शा चलाने के लिये उनको मजबूर होना पड़ता है। मगर कोटा परमिट बड़े बड़े आदमियों को ही मिलते हैं। गरीबों के पल्ले तो केवल कोरे भाषण पड़ते हैं। आप कोरे भाषण द्वारा गरीबों का उद्धार नहीं कर सकते, उससे प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। यदि आप वास्तव में प्रदेश की तरक्की चाहते हैं तो आपको किसान को सस्ता पानी, सस्ता बीज, सस्ती बिजली, कपड़ा और लोहा देना पड़ेगा। तभी किसान की हालत सम्भलेगी और जब उसकी हालत सम्भलेगी तभी वह अपनी जरूरत की तमाम चीजों को खरीदेंगे, जब वह जरूरत की तमाम चीजों को खरीदेगा तो फिर कल कारखाने बढ़ेंगे और जब कल कारखाने बढ़ेंगे तो उससे प्रदेश की तरक्की होगी। उससे लोगों को काम मिलेगा। बेरोजगारी दूर होगी। इसलिये आर्थिक नियोजन के विकास की धारा जो गलत दिशा में बह रही है उसे आप सही दिशा प्रदान कीजिये। आज भाषणों की जरूरत नहीं है। जब से समाजवाद की गूंज उठी है, तब से कमर तोड़ टैक्स बढ़े हैं।

मान्यवर, हरिजनों के बारे में बड़ा रोना रोया जाता है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर यह सरकार हरिजनों का नाम ही लेना छोड़ दे तो उनका वास्तव में कुछ भला हो सकता है। नाम के लिये 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन है, मगर किसी विभाग में उनकी संख्या 2-3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। आज हरिजन छात्र कोरी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। गांव में जिस प्रकार से उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है वह किसी से छिपी नहीं है। मगर यह सरकार चुप है। गांव समाज की जमीन जो सत्तारूढ़ दल से संबंध रखते हैं उन्हीं को भले ही मिली हो, मगर किसी हरिजन भूमिहीन को जमीन नहीं मिली है। यह सरकार केवल समाजवादी भाषण ही उनको सुना देती है और उसी से समझती है सारी समस्यायें हल हो गयीं। आज इस सरकार को इस बात के लिये घमण्ड है कि उसने समाजवादी भाषण सुना कर चुनाव जीते हैं। मगर चुनाव जीतना ही मंजिल पर पहुंचना नहीं होता, मंजिल पूरी करने के लिये भूमिहीनों को जमीन देना होगी, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, किसान को पानी, बीज, बिजली आदि देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस जनता ने समाजवादी भाषण सुनकर आपको यहां भेजा है वही जनता आप को उखाड़ भी फेंकेगी और वह विस्फोट जल्द होने वाला है और उससे बहुत जल्दी सत्यानाश होगा।

मान्यवर, आज किसानों पर इतना अधिक टैक्स लगाने के बाद भी यह सरकार ग्राम विकास शुल्क के नाम पर 10 करोड़ रुपया और वसूल करने जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी आंकड़ों के जाल बिछाने में बड़े माहिर हैं। जब मैं पढ़ता था और तिवारी जी विरोध पक्ष में लाल टोपी पहन कर बैठते थे, उस समय मैंने देखा है वे इसमें बड़े माहिर हैं। मैं सोचता था वे अवश्य कोई क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे, मगर आज उनके मुंह में मंत्री का पद ठूंस दिया गया

[श्री राम सागर]

है और अब वे दूसरा भाषण देने लगे। आप कहते हैं आमदनी जनता की बढ़ गई है। यह बात गलत है। आपके कागज में बढ़ी होगी। जखीरेबाजों और कोटा परमिट वालों की बढ़ी होगी, चोरबाजारियों और पूंजीपतियों की बढ़ी होगी। लेकिन आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है। वह केवल तबाह हो रहा है। उसकी बढ़े तो हम जानें की आमदनी बढ़ी है। कागज में आमदनी बढ़ जाने से, पूंजीपतियों की तरक्की हो जाने से आमदनी बढ़ी हुई नहीं मानी जाती है। यदि पूंजीपतियों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों और कोटा परमिट वालों की आमदनी बढ़ाकर आप यह दिखाना चाहते हैं कि सामान्य जनता की आमदनी बढ़ी है, तो यह उनके साथ विश्वासघात होगा। उन लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं है, बल्कि घटी है। माननीय मंत्री जी ने आमदनी बढ़ने की बात कही है, लेकिन यह नहीं कहा है कि लोगों पर 20 सालों में कितने टैक्स बढ़े हैं, कितने टैक्स लगे हैं। सन् 1947 में जो 4 करोड़ की हमारे प्रदेश में वित्तीय कर की आमदनी थी वह बढ़कर सन् 1971 में 50 करोड़ हो गई है। जहां प्रति व्यक्ति सन् 1947 में 50 पैसा टैक्स था, अब वह बढ़कर 10 रुपया हो गया है। 1950 में जहां हमारे प्रदेश की आमदनी 249 रु० 62 पैसे थे, वह अब सरकार के आंकड़ों के ही अनुसार 246 रुपया हो गई है। आप देखें सामान्य जनता की आमदनी घटी ही है। बढ़ी होगी जिसकी उसकी आमदनी बढ़ी है, उसकी आमदनी बढ़ने से सामान्य नागरिक का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। जिसके वोटों से आप यहां चुनकर आए हैं, उसकी आमदनी बढ़ेगी तब आमदनी बढ़ना कहा जाएगा। आमदनी किसी की बढ़े और आप सब जनता की आमदनी बढ़ी कहें तो यह ठीक नहीं होगा। यदि आप साधारण जनता की आमदनी बढ़ी दिखा दें तो हम आपकी तारीफ करेंगे और आपके बजट का समर्थन करेंगे।

आपके प्रशासन का खर्च नित्य प्रति बढ़ रहा है और साथ ही प्रशासन में जोरों का भ्रष्टाचार व्याप्त है। करों की जांच के लिए और कर प्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए एक जांच समिति बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दिया है और उस रिपोर्ट को पढ़ने से हरएक का दिल दहल उठता है। उसने बताया है, आज देश की सरकार या प्रदेश की सरकार, उनकी जितनी योजनाएं चल रही हैं उनसे ज्यादा अर्थात् ड्योढ़े रुपयों से काले धन की योजना चल रही है। काले धन की एक समानान्तर सरकार आज चल रही है। उस पर कोई रोक-टोक नहीं है। अभी पिछले सालों में 60 करोड़ रुपये का काला धन पकड़ा गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है—यह काला धन कैसे खर्च होता है—सत्तारूढ़ दल को चन्दा देने में और जखीरेबाजी में खर्च होता है। जब यह सब होगा तो सामान्य नागरिक का जीवन-स्तर कैसे ऊपर उठ सकता है। काले धन की सरकार को आपको रोकना होगा, लेकिन मैं जानता हूं आप रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि यदि आप इसे रोकेंगे तो आप को चन्दे में बड़ी बड़ी धनराशि नहीं मिल पाएगी, जब धन नहीं मिलेगा तो आप किराये के टट्टुओं को नहीं रख पाएंगे और जब आप किराये के टट्टू नहीं रखेंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पायेंगे। इसलिए चुनाव जीतने के लिए, जनता के ईमान और उसके बोल खरीदने के लिए आप इसको रोकना नहीं चाहेंगे।

भ्रष्टाचार की यह हालत है, शासन में अक्षमता की यह हालत है कि जितना रुपया बजट में निर्धारित होता है, वह खर्च नहीं हो पाता है। भारत सरकार के लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दी है, कोई विभाग नहीं बचा है, जिसकी छीछालेदर न की गई हो। आज सत्तारूढ़ दल में सामान्य कार्यकर्ता से लेकर मंत्री लोग तक दोनों हाथ धन बटोरने में लगे हुए हैं। इस सरकार में ऐसे-ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने एक लाख 40 हजार में 20 बीघा जमीन 6 महीने में खरीदी है। इस तरह से कैसे गरीबी दूर हो सकती है?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय सदस्य साधारण भ्रष्टाचार की बात न कहकर एक स्पेसीफिक बात एक मंत्री के बारे में कह रहे हैं, तो यदि माननीय सदस्य के पास कोई स्पष्ट सूचना हो तो वे उन मंत्री जी का नाम बता दें।

श्री रामसागर—

इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, इस तरह की चर्चाएं आए दिन हुआ करती हैं। मैं नाम भी बताला सकता हूं। हमारे तिवारी जी के पास वित्त विभाग के साथ-साथ हाइडिल विभाग भी है। हाइडिल डिपार्टमेंट में 2 साल में एक लाइन-इन्सपेक्टर के पास दो लाख रुपये का बैंक बैलेंस हो सकता है। इस तरह से तमाम अनाप-शनाप खर्चे होते हैं।

अलीगढ़ जिले की मेरे पास एक शिकायत आयी है कि वहां जरौली क्षेत्र में लाइनमैन वीरपाल सिंह। वह 18 वर्ष से जरौली में काम कर रहे हैं। 18 बार उनका ट्रांसफर हुआ और अठारहों बार रोक दिया गया। लाइन बनाये हुए हैं वहां से लेकर लखनऊ तक उसके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लोग बताते हैं कि उसका बैंक बैलेंस दो लाख रुपये है। किसानों से सीधा बात नहीं करता है। अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार रहेगा तो प्रदेश कैसे तरक्की कर सकता है। इसलिए वित्त मंत्री से पुनः आग्रह करूंगा कि आप अपने बजट में पुनः इसको गौर से देखें और योजनाओं को इस ढंग से कार्यान्वित करने की कोशिश करें जिससे प्रदेश के आम आदमी का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके। इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—

मान्यवर, प्रस्तुत बजट को मैंने ध्यान से पढ़ा और इस पर हुई बहस पर भी विचार किया। श्रीमन्, कुछ लोग अपने तरीके पर बात करने और काम करने के विशेष आदी हैं। इसीलिए इस बजट को उन्होंने अपने तरीके से देखा और उस पर विचार किया। वास्तव में यह बजट, गरीबी, बेकारी को, असमानता को दूर करके समाजवाद लाने वाला है। मान्यवर, मैं तो उस इलाके से आया हूं जहां पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अभी तक कोई उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। वहां विधायक बदलते रहे हैं। मैं अभी-अभी राजपुर क्षेत्र से आया हूं। यह क्षेत्र कानपुर जिले का मशहूर पिछड़ा क्षेत्र है। यमुना के दक्षिण की ओर बुन्देलखंड स्थित है और उत्तर की तरफ राजपुर, घाटमपुर, भोगनीपुर क्षेत्र स्थित हैं, जहां उसी तरह से गरीबी, बेकारी और पिछड़ापन है जैसे बुन्देलखंड में है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस पिछड़े क्षेत्र को या तो बुन्देलखंड की योजना में शामिल कर लें या उसी प्रकार इसक्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिकता दें। अभी भी, श्रीमन्, कानपुर जिले में इटावा और फतेहपुर जिलों के बीच, यमुना और मुगल रोड के बीच में, लाखों एकड़ भूमि असिंचित पड़ी हुई है और वहां पर जो अमरहट लिफ्ट सिंचाई योजना की बात चल रही थी लेकिन वह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई। अगर वह लिफ्ट सिंचाई योजना कार्यान्वित नहीं होती है तो सरकारी नलकूप लगाये जायं ताकि पैदावार बढ़े और उस क्षेत्र की गरीबी और बेकारी दूर हो।

राजपुर क्षेत्र कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। श्रीमन्, वहां यातायात की कठिनाइयां हैं। सन्दलपुर ब्लाक में पूर्व से पश्चिम तक जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। अपना माल ले जाने के लिये किसानों को कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बैलगाड़ियां तक नहीं जा सकतीं, न कोई दूसरा तरीका वह अख्तियार कर सकते हैं जिससे माल ले जायं। इसलिये रजबहा मरसेन जो भोजनीपुर डिवीजन में है और उसका मायनर गंगासपुर है उसको आम रास्ता घोषित कर पक्का बना दिया जाय। बहुत से यातायात के रास्ते होने चाहिये लेकिन वहां पर उनकी बहुत बड़ी कमी है। इसी तरह से जैसे जमुना का किनारा है उसी तरह सेंगर नदी का किनारा है। वहां 1 लाख एकड़ से ऊपर भूमि बेकार पड़ी रहती है और उस में कोई उत्पादन नहीं होता है। बीज के दाम तक वापस नहीं आते। सिंचाई के लिये कोई साधन नहीं है। लिहाजा सरकार सेंगर नदी के अन्तर्गत लिफ्ट इरीगेशन अथवा नलकूपों की व्यवस्था करे तभी अधिक अन्न उत्पादन हो सकेगा। छोटे-छोटे मार्ग हैं जैसे 5, 6 मील के टुकड़े हैं जैसे सिकन्दरा से बेजामऊ

[श्री राम दुलारे मिश्र]

महरौली से कसोलर, देवीपुर से नरौर, मुंगीसापुर से अकोढ़ी हो कर पुखरायां, देरापुर से सन्दलपुर, हिसांवा, रमा होकर औरैया जाने वाली सड़क को यह मिलाते हैं। काफी अर्सा हुआ आज भी इस क्षेत्र में कोई भी औषधालय नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी शिक्षा का अभाव है। 26 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां हरिजन भाइयों के लिये पानी पीने के लिये कुएं नहीं हैं। कहीं-कहीं बंजारा भाइयों को पानी पीने के लिये दूसरे गांवों को जाना पड़ता है। वहां छोटे उद्योगों का भी कोई प्रसार नहीं है। कई कस्बे ऐसे हैं जहां शुद्ध पेयजल योजना चालू की जाय। वे कस्बे हैं राजपुर, सिकन्दरा, रसधान कोरूं, बरौर, कसोलर ख्वाजाफूल। इससे लोगों को शुद्ध जल मिल सकेगा। बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां अब भी प्राइमरी स्कूल नहीं हैं जैसे हवासपुर, सन्दलपुर खालागांव, अकना, गंगासपुर, डोड़ियापुर, ततारपुर, हैदरपुर, अंडवा तथा तल्दुवापुर। जूनियर हाई स्कूल भी बहुत से स्थानों पर नहीं हैं जैसा जमापुर, बिलामपुर। यह सब पिछड़े इलाके हैं और उधर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता।

पहली पंचवर्षीय योजना से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक इस क्षेत्र में आज तक कोई उल्लेखनीय कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया। अभी क्रैश प्रोग्राम लागू किया गया था। उस क्रैश प्रोग्राम में कोई भी प्रतिनिधि सम्बन्धित कमेटियों में उस क्षेत्र की बात कहने वाला नहीं था। वहां एक इंच सड़क नहीं बनी। त्वरित योजना में यहां एक पैसे का काम नहीं हुआ। मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसे पिछड़े इलाके में बुन्देलखंड योजना की भांति प्राथमिकता देने की कृपा करें ताकि इस क्षेत्र का विकास और निर्माण हो सके।

श्रीमन्, इधर एक बात और सरकार ने की है। बेकारी दूर करने के लिये बहुत सारे उपाय किये गये हैं किन्तु कुछ बंजारे और कंजर जाति के ऐसे लोग हैं जिनको न रहने के लिये मकान है और न उनके रोजगार की ही कोई व्यवस्था है। यह लोग इधर-उधर घूमते फिरते हैं। कोई रहने का इनका ठिकाना नहीं है। इसलिये इन जाति के लोगों को एक जगह पर बसाने के लिये आवास की व्यवस्था की जाय और उनको उद्योग धन्धों में लगाया जाय। इसी तरह से कुछ मल्लाह लोग भी हैं जिनका कि मछली पकड़ने के अलावा और कोई उद्योग नहीं है। अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार उनको किसी अन्य उद्योग में लगाने की व्यवस्था करे और उनकी जीविका की व्यवस्था करे, उन्हें रोजगार दिलावे ताकि वे केवल मछली मारने तक ही सीमित न रहें और वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा सकें।

चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट के बारे में कुछ कहने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, जो बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा यहां पर पेश किया गया है उसमें इस साल के बजट में 60 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। यह इस सरकार की तरक्की हो रही है। प्रत्येक साल करीब 600 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है और उसमें इस साल इनकी सरकार को 60 करोड़ रुपये का घाटा है। पिछली बार भी इन्हीं वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया था और उसमें भी इस सरकार ने 30 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था। अब इस साल इस कांग्रेसी सरकार का समाजवाद इतना बढ़ गया कि इस घाटे की रकम को दूना कर दिया 30 करोड़ से बढ़ाकर 60करोड़ रुपये घाटा दिखा दिया। तो मान्यवर, जो घाटा दिखाया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि इनका घाटा प्रति साल बढ़ता जा रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिये विदेशी शराब की नीलामी से यह सरकार रुपया इकट्ठा करेगी और ग्रामीण विकास निधि के नाम से एक ऐसा टैक्स लगायेगी जो कि किसानों के ऊपर लगेगा और जिससे 10 करोड़ रुपये की इन्हें उपलब्धि हो जायेगी। इस तरह से यह सरकार 10–20 करोड़ रुपया किसानों से वसूल कर लेगी टैक्स के जरिये। किन्तु मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार 40–45

करोड़ रुपये और चुपके-चुपके इस प्रदेश की जनता पर टैक्स लगा कर इस घाटे को पूरा करेगी तो इस बजट को यदि समाजवादी बजट न कह कर टैक्सों और घाटों का बजट कहा जाय तो बहुत अच्छा होगा।

मान्यवर, आज इस प्रदेश में समाजवाद के बारे में और समाज की तरक्की के बारे में जो शोर मचाया जाता है उसके बारे में मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस राज्य में इस प्रदेश और विदेश के प्रत्येक आदमी के ऊपर 274 रुपये का ऋण लाद दिया है चाहे किसी आदमी ने कर्जा लिया हो या न लिया हो किन्तु वह 274 रुपये का कर्जदार है इस सरकार की मेहरबानी से। आज जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 274 रुपये का कर्जा उसी दिन से लद जाता है। यह इस देश की प्रदेश की तरक्की हो रही है और समाजवाद आ रहा है। यदि कोई आदमी आज मरता भी है तो वह मरने वाला आदमी भी 274 रुपये का कर्जदार होकर चला जाता है।

मान्यवर, अगर आप बजट में देखें तो उसमें केवल दो चीजों के बारे में ही कहा गया है—एक तो कारपोरेशन्स और दूसरे बैंकों से कर्जा। बजट भाषण में कहा गया है कि इस प्रदेश में एक दर्जन कारपोरेशन्स बनाये जा रहे हैं जैसे क्षेत्रीय विकास निगम, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, राज्य सीमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश पुल निगम, वाटर सीवेज बोर्ड, उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन, राज्य खाद्य निगम, ट्यूबवेल तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिये माइनर इर्रीगेशन कारपोरेशन, पावर जेनेरेशन कारपोरेशन आदि दर्जनों कारपोरेशन्स बनते जा रहे हैं। इसका यह मतलब है कि सरकारी स्तर पर यह सरकार बिलकुल फेल हो गयी हैं। मंत्रि-मंडल स्तर पर बिलकुल नाकामयाब हो गये हैं और यह सरकार अपनी गलती और नालायकी को छिपाने के लिये ये कारपोरेशंस का एक परदा डालना चाहती है और इस तरह अपनी कमजोरी को छिपाना चाहती है। अगर इनको सारे कारपोरेशन बनाने हैं तो तोड़ दें इस मंत्रि-मंडल को और विभागों को। जो कारपोरेशन का अध्यक्ष होगा वह उस विभाग की व्यवस्था को चलायेगा, फिर इनके मंत्रियों के कुर्सी पर बैठे रहने की कौन सी आवश्यकता है।

अभी तक तो यह कांग्रेस सरकार अमरीका और रूस के कर्जे पर पलती रही और तमाम विदेशों से कर्जा लेकर देश और प्रदेश को गर्त में डाल दिया और आज भी इनकी कर्जा लेने वाली नीति आगे चल रही है। जब इनको बाहर का कोई देश कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है तो अपने में से ही कर्जा लेने की स्कीम बना रहे हैं और वित्त मंत्री ने कहा कि अभी जो सारी स्कीमों को इस साल चलायेंगे उसके लिये पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो उसकी भीख मांगेंगे इन बैंकों से—यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडीकेट बैंक, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक, कैना बैंक, बैंक आफ बड़ौदा आदि दर्जनों से भीख मांगेंगे तो फिर यह 6 अरब रुपया जो प्रदेश की जनता से वसूल होता है वह कहां चला गया? इस प्रकार तो प्रदेश पर और भार बढ़ा देना चाहते हैं। जो हर साल खर्चे के लिये 6 अरब रुपया इकट्ठा होता है उसका क्या होता है। पता नहीं, इस प्रदेश के और देश के ऊपर कितना कर्जा लाद देंगे। यह समाजवादी सरकार नहीं, कर्जा लेने वाली सरकार है। प्रदेश के विकास के नाम पर जनता को धोखा देना चाहती है।

भ्रष्टाचार के बारे में इनके एक मंत्री ने पिछले दिनों 14 फरवरी, 1972 को कानपुर में कहा "दैनिक जागरण" अखबार में छपा है। विभव जी का बयान है। ये उद्योग राज्य मंत्री कानपुर में जाकर क्या कहते हैं? विभव जी ने बताया कि "मंत्रियों एवं अन्य-अन्य प्रतिष्ठित लोगों द्वारा ज्यादातर सिफारिश स्थानान्तरण न किये जाने, अपराध सिद्ध हो जाने पर भी दंड न दिये जाने, अवकाश स्वीकृत या तरक्की किये जाने अथवा किसी स्थान विशेष के लिये ही स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में होती हैं। उन्होंने प्रकट किया कि उनके विभाग के

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

एक अधिकारी का स्थानान्तरण किये जाने के लिये उनक पास 11 सिफारिशें आई थीं और सभी रिफारिशकर्ता राज्य मंत्रि-मंडल के सदस्य थे ।

"एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए श्री विभव ने बताया कि कभी-कभी कैबिनेट स्तर के मंत्रिगण भी बड़ी छोटी-छोटी बातों के लिये सिफारिशें करते हैं । मसलन स्थानान्तरण रोक दिया जाय अथवा दूसरे को हटा कर उनके आदमी को वहां पर नियुक्त कर दिया जाय । श्री विभव ने कहा कि प्रशासन के कार्यों में इस प्रकार से मंत्रियों का हस्तक्षेप अनुचित है ।" तो मान्यवर, इससे अन्दाजा लगा लें कि कौन सा यह प्रशासन है, कौन सी यह व्यवस्था है, कौन सा यह मंत्रियों का स्तर है और यह कौन सा भूत है जो मंत्रियों के ही सर पर चढ़ कर बोल रहा है।

उसी मीटिंग में उद्योग राज्य मंत्री की शिकायत का समर्थन करते हुए उद्योग निदेशक श्री ए० के० शर्मा ने भी अपने कटु अनुभव बतलाये । वह भी मीटिंग में मौजूद थे । श्री ए० के० शर्मा ने अपने कटु अनुभवों पर प्रकाश डालते हुये बताया कि उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी का स्थानान्तरण किया था क्योंकि उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे और राज्य सरकार ने ऐसा करने को कहा था लेकिन इस संबंध में केंद्र के राज्य मंत्री के निजी सचिव ने उद्योग निदेशक को आदेश दिया कि उसका स्थानान्तरण न किया जाय क्योंकि इंसपेक्टर उसके साथ पढ़ा था । भ्रष्टाचार की कब्र की अंतिम सीमा हो गई जहां मंत्री और दिल्ली के मंत्री पहुंच गये हैं ।

इस प्रदेश में अपार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और इस प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चौपट होती चली जा रही है । इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारे गृह उपमंत्री रोजमर्रा विधान सभा में घोषणा करते हैं । हर बात में वे कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूं। उनको बताना चाहता हूं कि तुम्हारे प्रदेश में जनता की सुरक्षा का क्या इन्तजाम है ? आज के स्वतंत्र भारत में छपा है कि 1969 में प्रदेश में 2,577 राहजनी हुयी और 1971 में 5,961, इसी तरह से 1969 में डकैतियां 3,322 और 1971 में 10,078 यानी तिगुनी डकैतियां बढ़ गई, हत्यायें 1969 में 3,284 और 1971 में 3,570; बलवे 1969 में 7,158 तथा 1971 में 14,049 और नकबजनी 1969 में 21,610 तथा 1971 में 60,257, यह इनकी गृह मंत्री की घोषणा का फल है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे प्रदेश में दो घंटे में एक एक आदमी का कत्ल हो जाता है जो किसी वक्त चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन सकता था । इस सरकार का क्या इन्तजाम है। रोजाना 6 डकैतियां होती हैं । जहां तक गरीबी मिटाने का सवाल है जनता की सुरक्षा का यह सवाल है, यह इन्दिरा कांग्रेसी सरकार बिल्कुल असफल हो गई है ।

मैं सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं कि इस सरकार ने चुपके से जो ग्रामीण विकास निधि के नाम का टैक्स लगा दिया है और कहते हैं कि किसानों से 10 करोड़ रुपया वसूल करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह कर अति छोटी जोतों पर नहीं लगाया जायेगा । अभी तक हमारे यहां छोटे और बड़े लोगों को गैर-किसानों को ही लोग जानते थे लेकिन वित्त मंत्री जी ने अति छोटे किसानों का नाम रख दिया । वह कौन सा अति छोटा किसान होगा जिससे यह विकास कर वसूल नहीं करेंगे ? यह नहीं बता रहे हैं । इससे साफ जाहिर है कि छोटे किसानों से भी विकास निधि का 10 करोड़ रुपया वसूल करेंगे।

हमारी सोशलिस्ट पार्टी वह पार्टी है जो 20 साल से लगान माफी की लड़ाई लड़ती चली आ रही है और संविद सरकार ने सवा छः एकड़ लगान माफी की मांग पूरी की ।

श्री रियासत हुसैन—

ये राजनारायण जी की सोशलिस्ट पार्टी में हैं या नाना साहब की पार्टी में हैं ?

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

यह रियासत हुसैन क्या पूछेंगे ? यह तो सोशलिस्ट पार्टी से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में और वहां से इंडीकेट कांग्रेस में चले गये हैं, उनको पूछने का क्या हक है । यह तो दलबदलू हैं । ऐसे लोगों ने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है और जनतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं ।

मैं बता देना चाहता हूं कि यह ग्रामीण विकास निधि का टैक्स अगर सवा छः एकड़ तक जोतों पर लगाया गया तो प्रदेश में हमारी सोशलिस्ट पार्टी गरीब किसानों के लिये सत्याग्रह करेगी और डट कर इस टैक्स का मुकाबला करेगी और हरगिज छोटे किसानों से एक पैसा भी न देने देगी ।

आज समाजवाद की बड़ी चर्चा है । एक गधा था उसे कहीं घास नहीं मिलती थी तथा भूखों मरता था । जिस-जिस खेत में वह जाता था उसकी खूब पिटाई की जाती थी । वेचारा परेशान था उसको एक दिन शेर की खाल कहीं मिल गयी जिसको उसने ओढ़ लिया । अब तो वह खूब खेत चरने लगा और चारों तरफ उसकी जय जयकार शुरू हो गयी, खूब मोटा हो रहा था, एक होशियार किसान ने उसकी दुम को उठा कर देख लिया और उस नकली खाल को निकाल कर फेंक दिया । वह शेर के बजाय गधा था उस गधे की लोगों ने इतनी पिटाई की कि उसकी सारी हड्डी-पसलियों को तोड़ दिया और वह समाप्त हो गया । इसी प्रकार से आज ये इन्दिरा कांग्रेसी लोग समाजवाद की खाल ओढ़ कर आये हैं लेकिन अब वह वक्त जल्दी आने वाला है जब गधे की खाल की तरह जो इन्होंने समाजवाद की खाल ओढ़ रखी है उसको उतार दिया जायगा और इस सरकार तथा इन्दिरा कांग्रेस की क्या दशा होगी, वह समय ही बतायेगा । उसी शेर की खाल ओढ़ने वाले गधे की तरह दुर्दशा होगी ।

कानपुर जिले में डेरापुर एक क्षेत्र है जिसमें केवल अब सात पक्की सड़कें हैं । हमने पिछले दिनों सरकार से यह मांग की थी कि हमारे यहां कहिजरी इलाके में एक सड़क बना दी जाय । कहिजरी के लोगों को जब डेरापुर तहसील जाना पड़ता है तो पहिले 10 मील बस से रसूलाबाद के लिये चलते हैं फिर 10 मील फिर झींझक को लारी से चलते हैं फिर 12 मील रेल से रूरा को जाते हैं फिर 10 मील बस से डेरापुर के लिये जाना पड़ता है, 42 मील का चक्कर है और अगर कजेरी से कानपुर होकर कानपुर तहसील जाया जाय तो 90 मील का चक्कर काटकर जाना पड़ता है लेकिन सीधे-सीधे कजेरी से डेरापुर केवल 16 मील है । सरकार से इस सड़क को बनवाने का निवेदन किया था, मांग की थी लेकिन यह समाजवादी सरकार हमको उत्तर दे रही है कि इस समय हमारे पास पैसा नहीं है । आगे देखिये एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि वह समाजवाद की स्थापना करने जा रही है और दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें करती है । मंत्री लोग अपने घरों और ससुरालों तक सड़क बनवाने में जुटे हैं । पिछड़े इलाकों की तरफ ध्यान नहीं देते ।

मान्यवर, इसी बजट की बात बताऊं । हमारे यहां कंचौसी बाजार एक कस्बा है यहां के लोग सरकार को साल में 1 लाख रुपया टैक्स का देते हैं । वहां पर कोई सड़क नहीं है । आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है । वहां के लोग और व्यापारी कंचौसी बाजार को छोड़ कर दूसरी जगह बस रहे हैं, जा रहे हैं । 1970–71 में यह कंचौसी बाजार से ककोर सड़क हमारे प्रयास से मंजूर हुयी थी, 1971–72 के बजट में थी और 1972–73 के बजट में भी सम्मिलित है । लेकिन अभी तक वह सड़क नहीं बनायी जा रही है । ऐसे बजट में लिखने से क्या फायदा है कि 3–3 बार बजट में आने पर भी कंचौसी बाजार से ककोर स्वीकृत सड़क बनायी नहीं जा रही है । इससे मुझ तकलीफ होती है और गुस्सा आता है, मैं इस निकम्मी सरकार से कह देना चाहता हूं कि अगर कंचौसी बाजार से ककोर स्वीकृत सड़क बनाया जाना शीघ्र शुरू नहीं किया गया तो हम विधान सभा को चलने नहीं देंगे । और इसके लिये झगड़ा खड़ा करेंगे कंचौसी बाजार इलाके के लोगों व इस सड़क के वास्ते किसानों के लिये हम आन्दोलन भी करेंगे । तुरन्त इस सड़क के

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

बनाये जाने की जोरदार मांग करता हूं और कंचौसी बाजार सिवरामपुर होकर रसूलाबाद तक भी सड़क बनायी जानी चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो इस सरकार ने समाजवाद का ढकोसला खड़ा कर रखा है, वह दिन शीघ्र ही आने वाला है जब इसका यह नकली समाजवाद का किला ढह जायगा । समाजवादी पार्टी तो केवल एक सोशलिस्ट पार्टी ही है जो समाजवाद के लिये 40–45 साल से आन्दोलन करती चली आ रही है । यह इन्दिरा कांग्रेस कहां से समाजवादी हो गयी रियासत हुसेन और कमलापति कहां से समाजवादी हो गये । समाजवादी तो हम लोग जिन्होंने उसके लिये जेलें काटी हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस नकली बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री हीरासिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, मैं सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ से आता हूं । इसकी सीमायें दो देशों से मिलती हैं । उत्तर में तिब्बत से और पूर्व में नैपाल से । इसलिये इसका एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है । श्रीमन्, बजट एक आइने के समान है । वह हमें बताता है कि आने वाले वर्ष में सरकार क्या-क्या करने जा रही है । इस दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट का विवेचन करें तो हमें उसमें कई नयी बातों का समावेश दिखायी पड़ेगा । समाजवाद के विषय में इस बजट में क्या है, उसके बारे में बहुत विस्तार से तो जाना नहीं चाहता केवल इतना बता देना चाहता हूं कि इस बजट में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है । सरकार ने आश्वासन दिया है कि आठवीं कक्षा तक की शिक्षा का संचालन सरकार स्वयं करेगी । मैं समझता हूं कि इस सरकार का यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है । इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि वह शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगायेगी । जोतों की हदबन्दी करेगी । बजट में जो यह दो बातें रखी गई हैं मैं समझता हूं कि इससे यह सदन सहमत होगा कि यह एक समाजवादी कदम है । समाजवाद कोई जादू नहीं है । उसका अर्थ यह है कि जो उत्पादन के साधन हैं उन पर समाज का और सरकार का उचित नियंत्रण हो । मैं समझता हूं कि इस ओर इस बजट में संकेत है और इस दिशा में एक प्रेरणा इससे मिलती है । इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । इस बजट में एक और बात है जो पिछले वर्षों के बजट में नहीं थी । सरकार ने इस में आश्वासन दिया है कि हम सीमेंट के लिये और चीनी का प्रबन्ध करने के लिये कारपोरेशन बनायेंगे । यह किसी व्यक्ति विशेष को नौकरी देने के लिये नहीं किया जा रहा है वरन् दक्षता और कार्यक्षमता को सुधारने के लिये इन का गठन किया जा रहा है । इसके लिये भी मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

एक बात यह कही गई है कि जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों का प्रश्न है वहां पर खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण होगा और इस संबंध में औद्योगीकरण की दिशा में प्रभावकारी कदम उठाये जायेंगे । इसके लिये भी वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मैं एक ऐसे जनपद से आता हूं कि जहां के लोगों ने भारत–पाक संघर्ष में सब से अधिक बलिदान किया है । पूरे प्रदेश से 646 व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हुये, उसमें से 70 व्यक्तियों ने केवल हमारे जिले से कुरबानी दी है, वीरगति प्राप्त की है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां के जो सैनिक हैं और जो भूत पूर्व सोल्जर्स या सेवारत सोल्जर्स हैं, उनकी दशा सुधारने के लिये जो प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे हैं उस के लिये भी मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जहां तक हमारे पर्वतीय क्षत्र की आर्थिक स्थिति का सवाल है वह बहुत ही गिरी हुई है और बहुत ही नाजुक है । वैसे तो हमारा पूरा प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है लेकिन उसमें

हमारा पर्वतीय क्षेत्र तो बिलकुल ही पिछड़ा हुआ है और वहां की प्रति व्यक्ति आय सारे प्रदेश में कम है। हमारे पहाड़ में टेहरी जिले की प्रति व्यक्ति आय 129 रुपया वार्षिक है जबकि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की 171 रुपया है। इससे साफ जाहिर है कि कितनी गरीबी और विकट समस्या वहां की है। पिछले 22–23 वर्षों में जो नियोजन किया गया उसमें हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति को दृष्टि में नहीं रखा गया। वहां की समस्याओं का समाधान मैदानी क्षेत्र के हिसाब से ही करने की चेष्टा की गई और मैदानी ढंग से ही नियोजन किया गया। वहां भी कुआं खोदने की ग्रांट दी गई, कोई देखने वाला नहीं था कि ऊंची नीची जमीन में कुएं खुदते हैं या नहीं। सड़क और सिंचाई की गूलों के लिये वहां भी उसी अनुपात से पैसा दिया जाता है जिस तरह से कि मैदानी इलाके में। 20–22 साल में वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कोई बड़ा कार्य नहीं किया गया। सारे पर्वतीय क्षेत्र की आबादी 31 लाख के करीब है उसमें से 2 लाख के करीब व्यक्ति फौज में हैं। और करीब 6–7 लाख आदमियों के लिये ही वहां की जमीन काफी होती है। दस हजार आदमी मुश्किल से वहां पर सिविल सर्विसेज में होंगे। शेष के पास कोई धंधा नहीं है। हमारे पहाड़ की खेती घाटे की खेती है और वहां का एक परिवार जब साल भर तक खेती करता है तो मुश्किल से वह दो तीन मास का भोजन अपने लिये निकाल पाता है।

श्रीमन्, आवश्यकता इस बात की है कि हम पहाड़ के लिये एक ऐसी आर्थिक नीति बनायें कि जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और अगर यह न किया गया तो आने वाले दिनों में पहाड़ के लोग मैदानों में माईग्रेट हो जायेंगे और पहाड़ वीरान मिलेंगे। आज पर्वतीय क्षेत्र में निराशा और असंतोष व्याप्त हैं। वहां पर जो लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं उन्होंने एक आन्दोलन उठाया है, हिल स्टेट का। वह जोर पकड़ेगा जब प्रदेश की सरकार वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कोई काम नहीं करेगी।

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र में जहां तक प्राकृतिक सम्पदा का संबंध है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रश्न है, वह कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उसके उपयोग का है। वह किस प्रकार से किया जाय। पहाड़ के 1/3 हिस्से में जंगल हैं लेकिन देखना यह है कि क्या वहां के जंगलों का उपयोग वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये किया जा रहा है? पहाड़ में जो लकड़ी है, वह हजारों और लाखों मन सहारनपुर की स्टार पेपर मिल को दी जाती है। वह 40 पैसे प्रति घनफुट पर उन्हें वहां मिलती है। अगर हम पहाड़ पर इस लकड़ी को लेना चाहें तो 5 रुपये प्रति घन फुट पर भी नहीं मिल सकती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि उस इंडस्ट्री को नहीं मिलना चाहिये लेकिन उसको पल्प बनाकर देनी चाहिये ताकि हमारे यहां भी उस लकड़ी का उपयोग हो और लकड़ी के द्वारा कुछ लोगों को रोजगार मिले। हमारे बड़े-बड़े मिल मालिक पहाड़ की खनिज सम्पत्ति पर पनपते जा रहे हैं उसके लिये वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है यह एग्रीमेंट हुआ था जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी थे। इसी प्रकार से एक मैंगनेसाइट का कारखाना अल्मोड़ा में चलाने की बात है। बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि वहां पर मैंगनेसाइट का कारखाना खुले। हमारे प्रदेश की सरकार ने इस मांग को स्वीकार तो किया लेकिन सारा का सारा मैंगनेसाइट टाटा के हवाले होने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। यह भी पिछली सरकार का काम है। इस प्रकार के जो कारखाने खुलते हैं, उनको पब्लिक सैक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र में लेने की आवश्यकता है, ताकि उससे प्रदेश की जनता फायदा उठा सके।

इसी प्रकार से जो हमारे जंगलों से लीसा (रेजिन) निकलता है उसका भी उपयोग पहाड़ी लोगों के हित में होना चाहिये क्योंकि उससे वहां पर जो बेकारी है, गरीबी है, कुछ हद तक दूर हो सके। वहां पर छोटे-छोटे रेजिन के प्लांट कुछ लोगों ने लगाये हैं जिनमें 8–8, 10–10 आदमी काम करते हैं। इससे थोड़ी बहुत बरोजगारी तो दूर होगी लेकिन वन विभाग से उनको पर्याप्त लीसा नहीं मिलता है। अगर आप इनको एक वायबिल युनिट

[श्री हीरासिंह बोरा]

बनाना चाहते हैं तो उनके रेजिन का कोटा बढ़ा दिया जाय। वह पहाड़ में ही पैदा होता है लेकिन सारा का सारा जो सामान है, माल है, वह इधर-उधर करके वहां की यूनिटें हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इन फैक्ट्रियो को खोलने से लोगों को लाभ नहीं हो रहा है।

श्रीमन्, आज हमारी भारत सरकार ने जो पर्वतीय इलाके हैं, उनके विकास के लिये और उनके विनियोजन के लिये "हिमालयन सैल" नाम से प्लानिंग कमीशन में एक अलग सैल खोल दिया है ताकि वह सैल पर्वतीय क्षेत्रों में जाय, वहां का अध्ययन करे, वहां की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके तद्नुकूल भारत सरकार और प्रदेश सरकार को बताये कि वहां पर क्या होना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रदेश सरकार को भी चाहिये कि वह भी इसी प्रकार के सैल नियोजन बोर्ड के अन्तर्गत बनाये, जिसका केवल काम यह हो कि वह एक एक्सपर्ट की तरह से पता लगाये कि कौन-कौन से उद्योग पहाड़ पर चल सकते हैं और किन जरियों से वहां की बेरोजगारी और गरीबी को दूर किया जा सकता है। यह इसलिये जरूरी है कि विशेष नियोजन के द्वारा ही वहां विकास कार्यक्रम सफल होगा।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मेरा यह प्रथम भाषण है। इसलिये पांच मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

दो मिनट और ले लें।

श्री हीरासिंह बोरा--

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये एक हिल डेवलपमेन्ट बोर्ड बनाया गया। हिल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन भी बना है। पर्वतीय मंत्रालय की भी चर्चा है। लेकिन श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन् 67 में जब बोर्ड बना था उस समय माननीय चरणसिंह जी मुख्य मंत्री थे तब कांग्रेस जनों ने भी इसका विरोध किया था कि यह केवल परामर्श देने वाला ही बोर्ड है, इसको अधिकार कुछ नहीं है। जब तक बोर्ड को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं मिलते हैं, तब तक यह बोर्ड कोई माने नहीं रखता है। प्रदेश का नेतृत्व भी इस बात को समझता था कि पहाड़ के लिये जो बोर्ड बना है या प्रारम्भ हुआ है वह बोर्ड प्रभावशाली हो। माननीय मुख्य मन्त्री गुप्त जब थे तब भी यह बोर्ड वैसे ही चल रहा था। उसकी मीटिंग वर्ष में एकाध बार हो जाती थी। इससे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को निराशा है। जहां तक पृथक् पर्वतीय मन्त्रालय की चर्चा है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास मन्त्रालय, पर्वतीय विकास निगम और पर्वतीय विकास परिषद् ये एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इनके अलग-अलग कार्य क्या हैं? हमारे पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को भी इसका पता नहीं है। मेरी जानकारी यह है कि केवल पर्वतीय विकास विभाग का जो मन्त्रालय है उस मन्त्री के पास वहां से सम्बन्धित फाइलें ही जाती हैं और वे फाइलें मूलरूप में लौट जाती हैं। इस तरह से केवल फाइल निस्तारण में व्यवधान ही उत्पन्न होगा और कुछ नहीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने पर्वतीय विकास मन्त्रालय बनाना ही है तो वह उस लाइन पर बनाना चाहिये जैसा कि पाटस्कर कमीशन ने आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये अलग मन्त्रालय बनाने की योजना तैयार की थी। ऐसा करने से ही पर्वतीय क्षेत्र की जनता में आशा का संचार होगा। वरना इस प्रकार के मन्त्रालय बना देने से हमारी समस्याएं और आवश्यकतायें हल होने वाली नहीं हैं। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय वित्त मन्त्री जी के बजट भाषण का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त मन्त्री जी के भाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका कृतज्ञ हूं। श्रीमन्, मेरे से पहले अभी एक सदस्य बोले और मुझे उनके विषय में ज्यादा

नहीं कहना लेकिन उन्होंने जो गुप्त जी का जिक्र किया उसके लिय मैं कहना चाहता हूं कि सहारनपुर को लकड़ी दी जा रही है और वह दी है गुप्त जी ने। तो गुप्ता जी आज मुख्य मन्त्री नहीं हैं। आप अपने मुख्य मन्त्री से उसको बदलवा सकते हैं। इसी प्रकार मेरा मतलब यह है कि जब आपकी सरकार अब है तो आपको हक है कि हमने जो गलतियां या गलत काम किये हैं उनको आप सही रूप में परिणत कर सकते हैं।

तो इसमें सरकारी दल के लोगों को पहले मुख्य मन्त्रियों को दोष देना बहुत ही गलत है और प्रजातन्त्र के बिलकुल खिलाफ है।

श्रीमन्, जहां तक बजट का सम्बन्ध है, हमें इस बजट में उन घोषणाओं को मान्यताओं को तथा सिद्धांतों को जो शासक दल ने जनता से किये हैं, कैसे पूरे करने की कोशिश की है, इस दृष्टिकोण से भी बजट देखना चाहिये। हमने इस बजट में देखना चाहा कि उत्तर प्रदेश जो समस्त भारत में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इस सरकार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम इस बजट में क्या किया है। मैंने इस बजट में देखना चाहा कि उत्तर प्रदेश में अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई है, तथा शहर में रहने वालों की जो आमदनी है और गांव में रहने वालों की जो आमदनी है, उस कमी को पूरा करने के लिये तथा उस खाई को पाटने के लिये और उस असमानता को दूर करने के लिये इस समाजवादी सरकार ने इस बजट में क्या रखा है। मैंने इस बजट में यह देखना चाहा कि इस सरकार ने हरिजनों के प्रति या पिछड़े हुए क्षेत्रों के प्रति यह असमानता मिटाने के लिये इस बजट में क्या रखा है। श्रीमन् मैंने इस बजट में यह भी देखना चाहा कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा जमुना का मैदान है जहां घाघरा और काली नदी तथा अन्य नदियां बहती हैं उससे किस तरह से यह सरकार पानी दे सकती है।

मान्यवर, मैं देखना चाहता था कि यह सरकार जिसने असमानताओं को दूर करने की बात कही है, जो कर्मचारी हैं उनमें जो वेतन की असमानता है, उसके लिये क्या किया। मेरा मतलब यह है कि सबसे ज्यादा वेतन कितना हो और सबसे कम कितना हो। यह सरकार उस असमानता को दूर करने जा रही है कि नहीं। यह सरकार जो खाली कर्मचारियों को बरगलाने के लिये वेतन कमीशन बैठा रखा है, केन्द्र के समान अपने कर्मचारियों को भत्ता देती है कि नहीं। इसके अलावा मैं यह भी देखना चाहता था कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा मेरे एक भाई ने अभी कहा था कि गरीबों और अमीरों के लड़कों की जो शिक्षा प्रणाली है वह यह है कि गरीब के लड़के तो म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल में और अमीरों के पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उस असमानता को दूर करने के लिय इस बजट में क्या रखा है ?

साथ ही इस सरकार की औद्योगिक तथा आर्थिक प्रकृति क्या है श्रीमन्, इन सब बातों को जब मैं देखता हूं और हमारे साथी जो उधर शासन में बैठे हुए हैं, उसमें अगर देखें तो इसमें बजट में जो नई मदें हैं 12 करोड़ रुपये की, कोई नई बात इस असमानता को दूर करने के लिये नहीं है। जहां तक बजट का प्रश्न है, वैसे श्रीमन् हमारे वित्त मन्त्री बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, लेकिन वह भी अपनी बात को इस ढंग से रखते हैं कि एक ही बात को बार-बार रखते हैं और जो उनका 34 पृष्ठ का बजट भाषण है, उस भाषण में भी अपनी बात इस लम्बे ढंग से रखी है कि समझ में नहीं आती। हमने, जो विधायक हैं, बराबर अपने मन्त्री लोगों से इस बात का प्रयास किया कि आप ऐसा लिट्रेचर बनायें, ऐसा बजट साहित्य बनायें, जिससे आम विधायकों की समझ में आ सके, लेकिन पहले तो बजट समझ में नहीं आता था और अब वित्त मन्त्री जी का बजट भाषण भी समझ में नहीं आता। हमें समझने में कठिनाई होती है कि कहां क्या है और कौन सी चीज है इस बजट भाषण में पृष्ठ पर्षण ही है। श्रीमन्, इन्होंने कहा कि राज्य की आय हमने बढ़ायी है। श्रीमन्, जितने भी हम यहां बैठे हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के, सब यह जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी भारत में सब प्रान्तों से ज्यादा थी। 1948 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

[श्री इन्द्रमणी]

260 रुपये थी जबकि भारत की औसत आमदनी 248 रुपये थी, यानी 12 रुपये ज्यादा। लेकिन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमारी क्या स्थिति हो गई ? इसकी जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। 1960–61 में उत्तर प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये थी और भारत की 307 रुपये। तो दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हम पीछे रह गये। 19–20 वर्ष में हमने बहुत बड़ी योजनायें बनायीं। किन्तु 68–69 में हमारी आमदनी 248 प्रति व्यक्ति ही रही और भारत की आमदनी 321 रुपये प्रति व्यक्ति हो गयी। 1969–70 में हमारी औसत आमदनी 253 थी और भारत की 319। तो जो वित्त मन्त्री जी ने बताया कि ढाई परसेंट हमारी आमदनी बढ़ी है यह हमारी समझ में नहीं आया। इस साल हमने जितनी कठिनाई गांवों में देखी, चाहे वह बंगला देश के कारण हो, चाहे बाढ़ के कारण हो और चाहे इस साल की वर्षा के कारण हो, उतनी कठिनाई कभी नहीं देखी। लेकिन हमारे वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि हम फिर भी दौड़ में आगे हैं। तो अब तो इनके आंकड़ों में भी हमको भ्रम होने लग गया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि हम पिछड़े क्यों रहे ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की भूमिका में किसी महोदय ने बहुत सुन्दर लिखा है, चूंकि यह सरकार की ओर से है इसलिये मैंने बजाय और किताबों के इसी किताब को लिया क्योंकि अगर और प्रमाण दूंगा तो हमारे सरकारी पक्ष के लोग शायद कहेंगे कि आप इंदिरा जी के खिलाफ कहने लगे। इन सब वर्षों में प्रधान मन्त्री उत्तर प्रदेश के ही रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला इन प्रधान मन्त्रियों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लिखा गया है कि "पर्याप्त विनियोजन का अभाव राज्य की अल्प आर्थिक प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण रहा है। राज्यों की योजनाओं के लिये रखे गये विकास परिव्ययों को देखने से ज्ञात होता है कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना के समय से ही उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय अखिल भारतीय औसत की तुलना में बहुत कम रहा है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता भी देश के औसत की तुलना में बहुत कम रही है। वस्तुतः, वह सभी राज्यों की तुलना में सब से कम रही है। पिछड़े राज्य में विनियोजन की अपर्याप्त का परिणाम यह हुआ कि विकास के लिये जुटाए जा सकने वाले संसाधनों पर भार बढ़ गया है। वर्तमान विनियोजन का स्तर, सेवाओं का ढांचा और उत्पादन का स्तर तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में अपर्याप्त है। अतएव, गरीबी, बेरोजगारी और निम्न उत्पादन व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। जनसंख्या की वृद्धि से पिछड़ी जातियों और भूमिहीन मजदूरों की समस्यायें और कठिन हो गई हैं। विशेष रूप से कष्टकारक रही है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था को केन्द्रीय क्षेत्र में किये जाने वाले विनियो-जनों द्वारा भी यह बढ़ावा नहीं मिला जिसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। लोक सभा में 21 जुलाई, 1969 को दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1968 को केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में किये गये 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के विनियोग में से उत्तर प्रदेश का अंश 125.6 करोड़ रुपये था, जो कि कुल विनियोजन का केवल 4 प्रतिशत था। चतुर्थ योजना की अवधि में भी, केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में 3,150.86 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विनियोजन की धनराशि में से उत्तर प्रदेश का भाग लगभग 39 करोड़ रुपये होता है।" प्रस्तावित धनराशि में उत्तर प्रदेश को 29 करोड़ ही मिला है।

श्रीमन्, वह गलती जो गत तीन योजनाओं में हुई है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को जितना रुपया हमको देना था वह उन्होंने हमको नहीं दिया और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी वही बात हो रही है। तो मान्यवर, एक तो यह बात है कि जो सहायता हमको केन्द्र से मिलनी थी वह नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि हमारी योजना का स्वरूप ठीक नहीं है। हमारे साथी राय साहब ने कहा कि लखनऊ में बैठकर हम गांवों की परिस्थितियों को नहीं जान सकते हैं और उनके बारे में हम योजना बनाने में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। यदि एक डाक्टर एम० बी० बी० एस० पास है वह जब सड़क पर से, बिना रोगी को देखे हुए, टाइफाइड के रोगी को

कुनैन की गोली दे दे तो क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी योजनायें हैं। हमारे अधिकारी योग्य हैं। उनको पहले आप सारे प्रान्त का भ्रमण करवायें और उसको देखने के बाद ही वे योजना बनावें। जब उनको कोई पदार्थ का ज्ञान नहीं है तो जो कागज उनसे कहता है उसको वे करते हैं वह वास्तविकता से परे है। इस लिये योजना का जो स्वरूप है उसके कारण भी हमारी प्रगति नहीं हो सकी है।

इस बजट में हमारे वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिये चालू वर्ष में अधिक धन की व्यवस्था की गई है। आपने यह कहा है कि आठ पर्वतीय जिलों के लिये 19.21 करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है। जो क्षेत्र इतने पिछड़े और उपेक्षित रहे हैं इस धनराशि से आप उनमें क्या विकास कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये आप किस प्रकार से बजट में प्राविधान करते हैं। हरिजनों के विषय में कहा गया कि इस बजट में अधिक किया गया है। ऐसा मालूम होता है, वित्त सचिव के स्मृति-पत्र को देखें तो गत वर्ष क्या हुआ इसका पता चल जाता है। गत वर्ष केन्द्र द्वारा जो धनराशि प्रदान की गई पिछड़े वर्ग और जातियों के उत्थान के लिये उसमें 107 लाख रुपया कमी की गई। गत वर्ष जो उन्होंने धन दिया वह व्यय नहीं हो पाया। स्मृति-पत्र को देखने से पता चलता है अनुसूचित-जातियों के धन में 1 लाख 15 हजार रु0 की कमी हुई है। हरिजन विद्यार्थियों को जो स्कालरशिप प्रदान की जाती थी उसमें कमी कर दी गई है। उनके लिये जो मकान बनाने के लिये सहायता दी जाती थी, उसकी योजना नहीं आई है और साथ ही यह कहते हैं कि हम उनको अधिक धन दे रहे हैं। यह जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिये कहते हैं कि विकास परिषद् बनाये गये हैं। 225 करोड़ की वार्षिक योजना में उनके लिये 25 प्रतिशत भी धन नहीं आया जबकि उनकी जनसंख्या 52 प्रतिशत है। अतः योजनाओं में धन के वितरण का कोई आधार ही नहीं माना गया है कि सरकार को प्राप्तियां 3, 4 जगह से होती हैं लेकिन कैपिटल एक्सपेन्डिचर जहां होता है और जहां प्रान्त का रुपया लगा है, वहां घाटा है, चाहे डल्ला हो या चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री हो। अब घाटे को बचाने के लिये सरकार ने इनको निगम बना दिया है। एक निगम पहाड़ के लिये भी बनाया है। इसमें पांच वर्ष बाद नी कट जावेगी और गम रह जावेगा। वही हाल होगा जो विद्युत पहाड़ के लिये निर्णायक है। उन्होंने विकास परिषद् बनाया है, विकास निगम बनाया है लेकिन इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि योजना का स्वरूप वही है। विकास परिषद् की बैठक हुई थी। लोगों ने कहा कि यह रुपया इस मद से निकाल कर इस मद में व्यय किया जाय। उत्तर दिया गया कि यह तो केन्द्रीय सरकार से निर्धारित है, हम बदल नहीं सकते हैं। तो इनके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं और इनको गालियां देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे वहां का विकास नहीं होगा। मान्यवर, गांव गांव में यह प्रचार कर दिया गया है कि इन्दिरा जी आई हैं और नई रोशनी लाई हैं इन्होंने इसी प्रचार से दो चुनाव बड़े अच्छे ढंग से जीते हैं लेकिन श्रीमन् हमारे यहां पहाड़ में यह हालत है कि इन्दिरा जी आई हैं और अब मिट्टी के तेल की बोतल 9 रुपये की लाई हैं। श्रीमन्, इसको समाजवाद कहा गया है। आज ऐसी हालत है कि गरीब आदमी भूखा मर रहा है।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर चर्चा का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वित्त मन्त्री जी ने एक समाजवादी और प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करके सराहनीय कार्य किया है। बजट आर्थिक स्थिति का सूचकांक होता है जिससे यह पता लगता है कि क्या क्या योजनायें बजट में हैं। हम और प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं। जो योजनायें हैं मैं उनके सम्बन्ध में समीक्षा करूंगा। श्रीमन्, आप अगर बजट को देखें तो पायेंगे कि घाटे का बजट है और पिछले वर्षों में भी बराबर घाटे के बजट रहे हैं लेकिन बाद में सरप्लस हो गये हैं। 1960–61 में घाटे का बजट था लेकिन आखिर में 4.04 करोड़ रुपया बच गया।

[श्री श्रीशचन्द्र]

1965–66 में 4.25 करोड़ बच गया। 1968–69 में 25.86 करोड़ बच गया। 1969–70 में 13 करोड़ रुपया तथा 1970–71 में 48.64 करोड़ रुपया बच गया। इस प्रकार घाटे का बजट आखिर में सरप्लस हो गया। प्रदेश पिछड़ रहा है और रुपया जो दिया जाता है वह भी खर्च नहीं हो पाता है। इससे योजनायें कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है। आवश्यकता इस बात की है कि घाटे के बजट बाद में सरप्लस न हो जाय क्योंकि ऐसा होने पर प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा समाजवाद का लक्ष्य है, तो आवश्यक है कि वित्त मन्त्री जी यह देखें कि हमारे बजट का सही इस्तेमाल हो। दूसरे प्रदेशों की भी मुझे जानकारी है। मद्रास स्टेट का जो बजट है उसमें लैप्सेज 3 से 5 प्रतिशत तक ही होती है।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यहां जो विभागों में लैप्सेज होते हैं, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग का आप देखें, वह ठीक नहीं है। 25, 30, 35 परसेन्ट लैप्सेज होते हैं। ये लैम्सेज प्रदेश के लिये अच्छे नहीं। इसी सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि इस बजट में बड़े-बड़े निगमों की स्थापना की बात है। कोई 11–12 निगमों की बात कही गई है और निगमों के माध्यम से आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करेंगे और समाजवाद के लक्ष्य पर आयेंगे और रोजगार बढ़ेंगें। आय-व्ययक अनुमानों पर जो स्मृतिपत्र है उनके पृष्ठ 2 पर है "सामाजिक विकास सम्बन्धी सेवायें"। इसमें देखने से पता चलेगा कि आमदनी घटी है। तो निगम बनाना ठीक नहीं है। इसी प्रकार से सीमेंट निगम की बात है। इसमें भी आय घट गई है। इसी स्मृतिपत्र के पृष्ठ 3 पर "विकास सम्बन्धी सेवायें के आंकड़ों को देखें। इसमें 20 करोड़ का खर्च बढ़ गया है। इसका मतलब है कि पिलफ्रेज है। इसका इन्तजाम बहुत खराब है और घाटा होता जा रहा है और उम्मीद है कि 20 करोड़ का घाटा रहेगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में ऐसा हो रहा हो, तो निगमों से फायदा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।

मान्यवर, हमारे यहां जो लोग इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, वे ही सबसे ज्यादा दक्ष कहे जाते हैं। उन्हें इंडस्ट्री, मैनेजमेंट और शिक्षा आदि का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। यह बात ठीक नहीं है। जिनकी 20–20 और 25–25 साल की सर्विसेज हो जाती हैं, वे दूसरी सेवाओं के लोग इनके सबआर्डीनेशन में काम करते हैं। इन 27 साल के आई०ए०एस० अधिकारियों को पूरे जिले का प्रशासन सौंप दिया जाता है। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। यहां फर्स्टरेटर सर्विसेज आते हैं और जो सेकन्ड रेटर होते हैं वे एजुकेशन में जाते हैं। जो थर्ड रेटर हैं, वे ही उद्योगों में आ पाते हैं। यही कारण है कि हमारा देश और प्रदेश उद्योग में पीछे होता जा रहा है। अगर देश और प्रदेश की तरक्की करना है तो आज फर्स्ट रेटर को इंडस्ट्रीज में आना होगा। तो हमारी इंडस्ट्रीज पनपेंगी और तभी हमारी आर्थिक उत्थान होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश तरक्की करे और निगम सफल हों तथा हमारे प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन निगमों का प्रशासन जो बड़े-बड़े टेकनिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, उनको सौंपा जाय। इसी बजट के सम्बन्ध में, मैं इक्साइज विभाग के पिलफ्रेज के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। 'व्योरेवार अनुमान और अनुदान 72–73 के पृष्ठ 532 पर कुछ आंकड़े हैं। लेखा संख्या 20 का 1971-72 में 16 करोड़ 83 लाख की आय थी। 1972-73 में 66 लाख की आय घटी है।

लेखा संख्या 10 बी0 सी0 ई0 और एफ में जो 1970-71 के आपके आंकड़े हैं सन् 1972-73 के प्रस्तावित आंकड़े उससे बहुत कम है। इसमें यह पता चलता है कि आय घटी

है जब कि शराब पीने तथा अन्य मादक वस्तुओं के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आय घटने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इनके ठेकों का नीलाम एक जाई करके किया जाता है, अलग अलग एक-एक करके नहीं किया जाता जिसका नतीजा यह होता है कि जो छोटे-छोटे आदमी हैं वे उसको नहीं ले पाते और बड़े-बड़े लोग ही उस ठेके को नीलाम में ले लेते हैं और वे फिर उसको अलग-अलग करके छोटे-छोटे आदमियों के हाथ एक-एक दूकान बेंचते है और उसमें उसका कान्ट्रैक्ट होता है और हिस्सेदारी हो जाता है। इससे एक ओर जहां सरकार की आय कम होती है, वहां दूसरी और इनकम टैक्स और सेलटैक्स में भी काफी सरकार की आय कम होती है क्योंकि इनकम टैक्स की स्लैब प्रणाली के अनुसार अलग अलग बाट ने से टैक्स कम हो जाता है। विभाग यह कहता है कि हम आय बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे इनकम घटती चली जाती है। इस प्रकार अगर अलग-अलग नीलामी हो तो दो करोड़ रुपये सालाना की आय इस मद के बढ़ सकती है। मैं चाहूंगा कि विभाग में जो यह पिलफ्रेज है इस पर ध्यान देने की कृपा करें सबसे बड़ी चिन्तनीय बात तो यह है कि वेयर हाउसेज से नीलाम के मूल्य के बराबर भी शराब नहीं निकलती, जिसका नतीजा यह होता है कि ठेकेदार लोग प्वायजनेस निजी बनाई हुई शराब बेचते हैं जिससे हजारों मनुष्य मर जाते हैं। दिल्ली में सैकड़ों लोग ऐसी शराब पीने के कारण मरे हैं। मैं तो कहूंगा कि यदि कानून में कोई कमी है तो हमारी सरकार को कानून बनाकर उस कमी को दूर करना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जितनी शराब वेयर हाउसेज से सप्लाई ही नही विमुक्त हो इससे आयके आंकड़ों में फर्क पड़ेगा।

अब मैं कुछ निवेदन सरकार की जो श्वेत योजना और हरित क्रांति की योजना है उस सम्बन्ध में करना चाहूंगा। पहले सरकार की ओर से हरित क्रांति का नारा दिया गया। हरित क्रांति अभी 25 फीसदी तक ही पहुंचा है और वह भी उन तक जो बड़े-बड़े लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं। हरित क्रांति अभी गरीब किसान तक नहीं पहुंची है जोकि तमाम ऋण से दबा हुआ पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे कि हरित क्रांति उन गरीब किसानों तक पहुंचे। जब सरकारी नलकूपों द्वारा गरीब किसान को आप पानी देंगे, उन तक शत प्रतिशत योजना पहुंच जायेगी, तभी हम समझेंगे कि आपने कुछ अचीवमेंट किया। यह कहा गया कि इस वर्ष बम्पर क्राप है, पश्चिम में भले ही वह हो, मैं मध्य क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहां बम्पर क्राप नहीं है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हरित क्रांति की वास्तव में जो रूपरेखा है, उसका जो लक्ष्य है, उसे पूरा करने की ओर वे ध्यान दें।

मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बिजली विभाग द्वारा किसानों को बिजली नहीं दी गई। मेरे जिले हरदोई में 300 ट्यूबेलों में से केवल 150 ट्यूबवैल्स ही इन-रजाइज किये गये, 150 की ग्रान्ट्स लैप्स हो गईं। यह पर फार्मेंस है आपके विभाग की जिसपर कि आपके विभागीय अधिकारी कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। श्वेत क्रांति की जो बात है, कहते हैं कि दूध की नदियां बहने वाली हैं। लेकिन असलियत यह है कि जिन गरीब किसानों को गांवों में दूध मिलता था अब इस योजना से गांव से दूध गायब हो गया है। स्वेत क्रांति योजना में एक भी दुग्ध केन्द्र हमारे हरदोई जिले में नहीं है, जिसमें वहां के दूध के बिक्री की कोई योजना हो। आज सारा दूध कहां से लखनऊ में आता है, इन्टीरियर का ही सारा लखनऊ में आता है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार कोई श्वेत-क्रांति होने वाली नहीं है जिसमें सिर्फ शहरों में दूध मिले। श्वेत-क्रांति वह है जिसमें गांव के गरीब किसानों को भी दूध मिले। जहां दुग्ध केन्द्र बनायें जायें, तो उसका दूध पहले उस जिले में अवश्य सप्लाई किया जाय, नहीं तो हम शहरों में तो दूध भर देंगे, लेकिन गांव को दूध से महरूम कर देंगे।

[श्री श्रीशचन्द्र—]

मैं वित्त मन्त्री को उनके समाजवादी बजट के लिए बधाई देता हूं उन्होंने एक लक्ष्य रखा है। जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी शिक्षा को हम नेशनलाइज करने जा रहे हैं। राष्ट्रीयकरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आज शिक्षा जगत में नीचे से लेकर ऊपर तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो शिक्षा विभाग पहले भ्रष्टाचार से अछूता था, अब वहां भी भ्रष्टाचार जोरों का व्याप्त है, विभाग पर नियन्त्रण नहीं है। विभाग में फैली हुई अन्धेरगर्दी और धांधलागर्दी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है, वह अब सब विभागों से ऊपर हो गई है। बड़े-बड़े अफसरों को 58 वर्ष के बाद एक्सटेंशन देने की नीति से मैं कदापि सहमत नहीं हूं। बड़े-बड़े अफसरों को 58 वर्ष के बाद एक्सटेंशन देकर सिर्फ दूसरों को डीमारालाइज किया जाता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि यह मिलना ही है तो यह छोटे वेतन पाने वाले चपरासी और प्राथमिक शिक्षकों को मिलना चाहिए, जिसके पास खाने का नहीं है,। बड़े-बड़े टाप एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों को सिर्फ फेवरटिज्म के बेसिस पर इस प्रकार का एक्सटेंशन मिलता है, इसे मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। मैं वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि शिक्षा पर सिर्फ अधिक धन खर्च करने से काम नहीं चलेगा, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठाना चाहिये। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप सारे कान्वेंट स्कूलों को बन्द कीजिये। बड़े आदमियों और अफसरों के लड़के इसमें फर्क समझते हैं कि वे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। दो प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था से समाजवाद के मार्ग में रोड़ा अटकाया जा रहा है। हम ऐसी योजना बनायें जिससे ऐसे अंग्रजी स्कूल, मिशनरी स्कूल समाप्त हो जायं और सभी को समान शिक्षा का अवसर मिले।

इस बजट में शहरी सम्पति तथा खेती के सीलिंग की, शुगर मिलों के राष्ट्रीयकरण आदि की भी बात कही गई है, ये हमारे सब समाजवादी लक्ष्य हैं और मैं समझता हूं इसमें जो हमारा लक्ष्य है, उसमें अब लैप्सेस नहीं होंगे। यदि इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया तो कोई कारण नहीं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा रहे वह अवश्य आगे बढ़ेगा। इसलिये, अन्त में वित्त मन्त्री महोदय को उनके समाजवादी प्रगतिशील बजट प्रस्तत करने के लिये बधाई देते हुए उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसके लिये बधाई देता हूं कि आपने इस बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का मौका दिया है। यह बजट जैसा इस साल आया है हर साल आता है और यह आशा लेकर आता है और गवर्नमेंट की नीतियां इसमें पेश होती रहती हैं। हमेशा यह कहा जाता है और हम समाजवाद लायेंगे, गरीबी मिटायेंगे, क्राइम्स को घटायेंग ये सारी चीजें बीस साल से देखता आ रहा हूं। ये सारी बातें कहने के बावजूद, न गरीबी मिटा पायेंगे, न भ्रष्टाचार मिटा पायेंगे, न क्राइम को मिटा पायेंगे। पन्त जी के जमान में देखा, सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में देखा इतनी मिनिस्टिरियां देखी लेकिन आज तक कोई देश में कहने को तैयार नहीं हुआ मैंने यह मिटा दिया। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि यह गरीबी और भ्रष्टाचार की तरफ गया, क्राइम बढ़ता चला जाय। उत्तर प्रदेश कभी डेवलप नहीं कर सकता है। इसके कारण हैं। उन कारणों को देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि कभी डेवलप नहीं कर सकता।

आप पंजाब और हरियाणा की मिसाल देते हैं। इतने बड़े प्रदेश का इतना छोटा-सा बजट है और उस पर यह चिल्लायें कि यह प्रगतिशील बजट है, यह लोगों को आसमान में ले जायेंगा, दूध की धारा बहने लगेगी। यह समझे में नहीं आता है। जब तक डिवीजन नहीं, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, डिवीजन होगा। क्या किसी प्रोजेक्ट पर कोई मिनिस्टर गया है, चीफ मिनिस्टर गया है, चीफ इंजीनियर गया है? नहीं गया होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब तक प्रदेश का सुपरविजन अच्छा नहीं होता है, मन्त्री जानकारी नहीं रखते हैं, तब क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हैं। मैं बीस साल से देख रहा हूं। कोई आदमी नहीं कह सकता है कि डेवलपमेंट हो गया है। इसलिये डिवीजन जरूरी है आज पूर्व के लोग चिल्लाते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं और पश्चिम पर आक्षेप किया जाता है कि सम्पन्न हैं। वह मेहनत करते हैं, और वह सिर्फ यह कहते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं। वह काम करते हैं। इसलिय इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो काम करता है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एक हाई कोर्ट है, उसकी बेंच नहीं बन पाई। इन्टरमीडिएट बोर्ड है, वह आज कितना बढ़ चुका है। आज कितनी पापुलेशन बढ़ गयी है, कैसे डेवलपमेंट होगा ?

मैं विभागों के सम्बन्ध में ज्यादा कहना नहीं चाहता। यहां पर कुछ किस्से सुनाये गये। एक इधर से सुनाया गया एक उधर से सुनाया गया। मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। कुछ पठान बैठे थे। पठानों ने खिचड़ी पकाई और खिचड़ी के बीच में घी रख दिया। एक पठान ने कहा कि मेरे जमाने में इस तरह से गल जाती थी और एक उंगली से घी अपनी तरफ कर लिया, दूसरे पठान ने कहा कि मेरे बाप कहते थे कि इस तरह से गल जाती थी और उसने दो उंगली से घी अपनी तरफ खींच लिया। तीसरे पठान ने कहा मेरे जमाने में गदर था और सब अपनी तरफ खींच लिया। मिनिस्टर अपनी तरफ, अपनी सुसराल की तरफ सड़क बनाता है। जो आज तक चल रहा है, गदर है। क्राइम कैसे मिटायेंगे ? यहां के किसी एस० पी० पुलिस मिनिस्टर से पूछा जाय कि कितना क्राइम मिटाया ? क्या क्राइम रुक सकता है ? अंग्रेजों के जमाने में अगर थानेदार क्राइम को रोकता था तो उसको क्रेडिट मिलता था, लेकिन आज उसको कहेंगे कि निकम्मा है। उसको कोई क्रेडिट नहीं है। वह भी दिखाना चाहता है और चोर डकैतों को पकड़ा। आपसे मैं सच कह रहा हूं कि गलत आदमियों को पकड़ा जाता है। जो चोरी व डकैती करते हैं उन्हें थानेदार नहीं पकड़ता क्योंकि उनसे पैसा कमाता है। डिप्टी होम मिनिस्टर बैठे हैं, वह आज सदन में ऐलान कर दें कि जिस थानेदार के थाने के अन्तर्गत चोरी व डकैतियां होंगी वह निकाल दिया जायगा और जिसके थाने में नहीं होंगी उसको प्रोमोशन मिलेगा। आप देखेंगे कि चोरी तथा डकैतियां बन्द हो जायेंगी। लेकिन हो क्या रहा है ? मुख्य मन्त्री जी इन्दिरा जी को खुश करना चाहते हैं और कलेक्टर मुख्य मन्त्री जी को खुश करना चाहता है। यह प्रथा चल गई है कौन किसको ज्यादा खुश करता है और इस प्रकार अपनी कुर्सी बचा सकता है ? इस प्रकार क्राइम खत्म होने वाले नहीं हैं। अदालत में आज खुल्लमखुल्ला रिश्वत ली जाती है। मिनिस्टरों में होड़ हो रही है। वह इतना बड़ा हो गया, उसने इतना कमा लिया मैं भी क्यों न कमाऊं ? पन्त जी के जमाने में यह होड़ नहीं थी। लेकिन आज है। अब कोई यह कहे कि वह बेईमानी को रोक देगा तो नहीं रोक सकेगा। अदालत में जाइये जब तक पैसा खर्च न करिये जजमेंट नहीं मिलता है। किसान की तबाही बराबर आज इसीलिये हो रही है कि बराबर कोर्ट में उसकी तारीखें पड़ती रहती हैं जिससे वह खेती नहीं देख पाता, कोर्ट के वह चक्कर लगाता रहता है। अगर आज किसान का दो महीने के लिये कोर्ट में जाना बन्द कर दिया जाय तो खेती में तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा। उसकी फसल बरबाद होती है कोर्ट में रहने के कारण। ला एण्ड आर्डर न रहने के कारण वह चैन से नहीं रह सकता। सरकार ध्यान दे किस तरह से शांति व्यवस्था कायम कर सकती है।

छोटे उद्योग के बारे में बड़ी डींग मारी जाती है अलीगढ़ में ताले की इंडस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं और मजदूर मारा-मारा फिर रहा है। बड़े उद्योगपति अपने माल को ब्लैक में बेच देते हैं और छोटों पर इतना टैक्स लगता है कि उनका काम ही बन्द हो जाता है। आगरे में जूते की इन्डस्ट्री का हाल देख लीजिये। विद्युत् को ही देख लीजिये। यह उत्तर प्रदेश को ले डूबेगी। इतना भ्रष्टाचार है, इतनी लूट है, झूठ तथा फरेब है कि चिल्लात रहिये कोई उसको रोक नहीं सकता। लाखों रुपये की बिजली चोरी में चली जाती है। लाइन इंस्पेक्टर

[श्री रामप्रसाद देशमुख—]

किसानों को पनपने नहीं देता। निगम बनाइये अथवा बोर्ड बनाइये, उनसे प्रदेश का भला नहीं होगा। जहां नेशनलाइजेशन की बात हुई वहीं पटरा हुआ।

घाटा कैसे पूरा करें। प्राइवेट आदमी तो पैसा कमा लेता है और मालदार हो जाता है। तो ये सभी घाटे होने के तरीके हैं। आज आप जितने भी निगम बनाने जा रहे हैं उनसे कोई फायदा नहीं हो सकता है। जो बोर्ड हैं उनको यदि सरकार अपने हाथ में ले तो जितना करप्शन होता है उनमें, वह 50 प्रतिशत कम हो जायगा। मैंने पहले भी कहा था कि दूसरे मुल्कों में इस तरह की कोई बात नहीं है। वहां पर ऐसे लोगों को रखा ही नहीं जाता है और इस तरह से बेईमानी करने का कोई उन्हें अवसर नहीं होता है।

सहकारिता के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इससे किसान का भला नहीं हो सकता है। वह परेशान हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर कर्ज पर कर्ज लाद दिया जाता है और इसीलिये यह फेल हुई है। यहां पर एक आदमी अपने भाई को नहीं समझता है। सही आदमी को और जरूरत-मन्द आदमी को कर्जा नहीं मिलता है। बईमान लोगों को कर्जा दिया जाता है या वे किसी न, किसी तरीके से कर्जा ले लेते हैं। आज इस प्रदेश में हरिजनों की क्या हालत है। छोटे आदमी गरीब आदमी और हरिजन के पास बिलकुल पैसा नहीं है जो वह सेक्योरिटी के लिये इतना पैस, दे सके। यदि कोई मेरे लिये कहे कि 500 रुपये सेक्योरिटी के दो तो मैं नहीं दे सकता हूं। छोटे लोगों को यह सरकार क्या राहत दे रही है। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गय है। गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है। यहां तो बकरी भी कुत्ता हो जात है। जैसे कोई आदमी बकरी खरीदकर ले जा रहा है और बीच में कुछ लोग मिलते हैं औ उससे पूछते हैं कि यह कुत्ता तुम्हारा है। तो वह आदमी सोचता है कि मेरे हाथ में तो बकर है और यह लोग कुत्ता कह रहे हैं। आगे चलकर भी उसे वैसे ही बकरी को कुत्ता कहा जात है और इस तरह से उसकी बकरी को कुत्ता समझ कर छीन लिया जाता है। इसी तरह से यहां पर गरीब आदमियों को सताया जाता है।

क्रैश प्रोग्राम में इस सरकार ने कुछ सड़कें लीं और मेरे यहां से भी इसी स्कीम के अन्तर्गत दो सड़कें ली गई हैं। जो मस्टर रोल बने होते हैं उसमें दो आदमी काम कर रहे होते हैं और 200 आदमी दिखाये जाते हैं। जैसा कि आज मेरे एक भाई ने कहा कि कल परसों के 'नेशनल हेराल्ड' में कुछ 7–8 साल के बच्चों की फोटो आई है और वे जिलाधीश के बंगल म रोज-गार के लिये बैठे हैं। शायद सभी लोगों ने उस फोटो को देखा होगा। गरीब और अल्प आयु के बच्चे जिनको कि इस उम्र में शिक्षा मिलनी चाहिये थी जो कि कोई काम नहीं कर सकते हैं वे आज मिट्टी डालने का काम करेंगे। यह इस प्रदेश की हालत है।

जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है। किसान को बीज बड़ी मुश्किल से मिलता है, खाद के दाम बहुत बढ़ गये हैं, कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है किन्तु उसके लिये कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसके माल को बेचने के लिये सरकार जो रेट बांधती है वह बहुत कम है यानी 65 से लेकर 71–72 रु० तक है। बेईमान लोग क्या करते हैं कि किसान से उसका माल सस्ते दाम पर ले लेते हैं और उसी को ज्यादा दाम पर बेचते हैं। इस तरह से बड़ लोगों का ही फायदा हर जगह होता है। छोटे लोगों और किसानों की ओर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है।

आवास के लिये रुपया दिया जाता है और हर जिले में आवास व्यवस्था की स्कीम बनाई जा रही है किन्तु फिर भी जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता है और बड़े लोग 2 रुपये गज की जमीन को लेकर 25 रुपये गज की उसे बेचते हैं। तो यह आपका सिर्फ एक ढोग मात्र व्यवस्था ही है। यह सब इस सरकार न बिजनस का एक ढंग बना रखा है।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में कोई आदमी ईमानदार नहीं रह सकता है क्योंकि यह भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ता ही चला जा रहा है। जो लोग नौकरी में हैं और बड़े-बड़े अधिकारी हैं यदि उनकी पिछले दो-तीन साल की आमदनी के आंकड़े देख लिये जांय तो पता चलेगा कि पहले इन अधिकारियों के पास कितना रुपया था और अब कितना उनका बैंक बैलेंस हो गया है। यदि इसकी जांच कर ली जाय तो भ्रष्टाचार रुक सकाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे। आज इनके यहां जो मेरे सामने बिलकुल गरीब थे वह लखपती हो रहे हैं जबकि उनकी आमदनी का कोई सोर्स नहीं था। कैसे ये देश को उन्नति की तरफ ले जायंगे, कैसे देश को आगे बढ़ा सकेंगे, मेरी समझ में नहीं आता।

अब मैं थोड़ा अपने जिले की बात कहूंगा। अलीगढ़ जिले में एक रेलवे क्रांसिग है, उसके कारण मैं समझता हूं कि सैकड़ों आदमी मर चुके होंगे। मैंन प्रदेश को भी लिखा और सेंटर को भी लिखा था लेकिन एक पुल उनसे नहीं बनाया जाता। पास में लड़कियों के कालिज है, अस्पताल है, सारी चीजें हैं और क्रांसिग के कारण ट्रैफिक दो-दो घंटे तक रुका रहता है। वहां लालबहादुर भी हो आये हैं, कुछ किया नहीं जा रहा है, इसलिये पुल बनवा दें तो उसमें हमको लाभ पहुंचेगा।

नगरपालिका के वैद्य जी बैठे हैं। 12 वर्ष से वहां चुनाव नहीं करा रहे हैं। जेल में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दफा 51 का नोटिस दिया था। वैसे मुझे कोई शिकायत नहीं लेकिन एक आदमी जल में जाता ह और प्रोटेक्शन के लिये चला जाता है और किसी तरह से बाहर का आदमी पहुंच जाय और जाकर उसे मारता है, मुर्गा बनाता है, उसको यह कहां तक उचित है। हम भी जेल चले जाते हैं, उनमे से चले जाते हैं तो क्या होगा कि बाहर के आदमी पहुंच कर ऐसे काम करें तो इस गम्भीर मसले को ठीक नहीं कर पाये। मैंने कहा था कि यह चोरी का माल है, कल पकड़ लिया उन्होंने। लेकिन चूंकि अछूतों का मामला है, बाहर जाकर देखें तो काम बन लकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इन चीजों पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है, कितना इन चीजों का असर गवर्नमेंट में पड़ता है, कैसे प्रदेश की गाड़ी चलेगी ? कितने लोग कत्ल हुए हैं। आज मामूली सी बात पर कत्ल हो जाता है। सब में पुलिस का हाथ होता है, सिवाय पुलिस के कोई कत्ल नहीं कराता। आज झूठे मुकदमे कत्ल के चलाये जाते हैं। इसको देखने की बात है।

मेरा सबसे बड़ा कहना यह है कि अगर इस सरकार को अपना समाजवाद लाना है और गरीबी को मिटाना है तो कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ कहने भर से काम चलने वाला नहीं है, उस काम को अहमियत देने की जरूरत है। कलक्टरों को हिदायतें करें कि देखें कि कौन अधिकारी क्या काम कर रहा है। 20–25 साल से यहां अधिकारी कार्य कर रहे हैं, फील्ड पर जाकर नहीं देखते कि हो क्या रहा है, उसका पता ही नहीं है। जब तक यह वातावरण नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज होता क्या है कि मैंने एक शिकायत की, मेरे जिले के दूसरे एल0एल0ए0 जाकर वहां गलत चीज पहुंचा देते हैं। सरकार ने 20 साल से देखा है कि इधर से उधर पहुंच गये और उनको बैठा लिया जाता है। फिर उनकी बात को ही मानते हैं कि यही वास्तव में सही है। उसकी कोई छान-बीन नहीं करते कि वास्तव में सही क्या है। जबतक यह है इनके दिमाग में कि विरोधी दल के लोग तो गलत हैं तो कैसे जनतंत्र आगे बढ़ सकता है। उनको समझना चाहिये कि विरोधी दल भी जनतंत्र के लिय काम कर रहे हैं तभी देश का उत्थान हो सकता है। अगर यही बात रही कि यह विरोधी है, दूसरी पार्टी का है तो उसका नतीजा देश के लिये अच्छा नहीं होगा। उनकी बात भी सुननी चाहिये। इंदिरा जी ने भले ही समाजवाद का नारा लगा दिया कि 3 साल में गरीबी हट जायगी। अगर नारा लगाया है तो सम्पूर्णानन्द जी की मिसाल सामने रखनी चाहिये जिन्होंने कहा था कि मेरा कैंडीडेंट हारा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर तीन साल तक में गरीबी न हटी तो उनका जबाव तलब हो जायेगा।

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

अगर आप इन चीजों को लेकर चलेंगे तो देश का और प्रदेश का भला करेंगे। जातिवाद और पार्टी बन्दी को निबटा कर अगर वे आगे बढ़ेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन अगर वह इसको लेकर चलते हैं कि विरोध करना है और विरोधियों को क्रश करना है और सही बात पर परदा डालेंगे तो फिर जनतंत्र चलने वाला नहीं है। ये चीजें उनके सामने आ जायेंगी, चाहे वे कितना ही घमंड कर लें, इंदिरा जी का नारा लगायें या बंगला देश का नारा लगायें लेकिन इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। बंगला देश की लड़ाई कराके आपने क्या भला किया। लाखों आदमियों को मरवा दिया अब इनका कहना यह है कि बंगला देश की मदद करेंगे। आपके पास अपने देश के लिये पैसा नहीं है उनकी क्या मदद करेंगे। यह तो वही हाल है कि अपने छप्पर के लिये फूस नहीं है लेकिन दूसरे का छप्तर छवायेंगे। खुद गरीब हैं और दूसरों से कहते हैं कि तुम्हारी मदद करेंगे। जब इनकी नाक नीची नहीं हुई जब तिब्बत इनके पास से चला गया, छम्ब पर कब्जा हुआ, चीन ने न जाने कितनी जमीन दबा रखी है। उसका आपने क्या किया। लाखों आदमी इन्होंने कटवा दिये और जान बूझकर ऐसा काम किया और लोगों को गुमराह किया। ये सब चीजें बख्शी नहीं जायेंगी। ये सब मरे हैं इनकी आत्मायें प्रगट होंगी और इनकी खबर लेंगी। मुझे बजट का विरोध नहीं करना है। मैं 20 साल से यही देखता चला आ रहा हूं। अब क्या विरोध करूं। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्राइम किस तरह से रोके जा सकते है और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाया जा सकता है। आज ईमानदारी कहीं नहीं रह गई है। इस लिये जो ईमानदार है उनको मौका दें। सोचें, सुने और देखें कि वास्तविकता क्या है। इन बातों पर अगर आप अमल करेंगें तो देश और प्रदेश का भला होगा। यही मेरे शब्द हैं इन पर ध्यान दिया जाय।

*श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्त मंत्री जी के बजट का मैं समर्थन करता हूं। बजट पर दोनों तरफ से काफी बातें हुई हैं और लोग निराशा के वातावरण में निराश होते चले जा रहे हैं। अगर हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करें तो निराशा आशा में परिणित हो सकती है। राम लाल जी ने भूत की एक कहानी सुनाई। मैं भी एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी कंद मूल फल खोदने चला गया था। उसने बचपन में सुना कि चूतड़ ठंडे होजायं तो आदमी मर जाता है। खोदते-खोदते वह 6—6 फिट नीचे चला गया और उसके चूतड़ ठंडे हो गये। एक राही उधर आ निकल उसने उससे पूछा कि यह रास्ता किधर जाता है। उसने कहा कि जब मैं जिन्दा था तो यह रास्ता इधर जाता था लेकिन अब पता नहीं किधर जाता है। उसने सोचा कि जिन्दा भूत कहां से आया। उसने एक पत्थर उठाया और उसको मारा जिससे वह मर गया। जैसा कि माननीय रामपाल सिंह ने भूत के बारे में कहा। जब जिन्दा भूत बन जाता है तो वह आदमी मारा जाता है। इस लिये निराशा के वातावरण में निराश न होकर आशावान बनना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह अपने ढंग का समाजवादी बजट है। उन्होंने नये तरीके से पेश किया है। इसकी प्रमुख बातों को देखने से पता चलता है कि सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का 951 करोड़ रुपये का बजट था हमारे मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी तथा सरकार के अन्य सदस्यों ने बड़ा जोर लगाया और इस पंचवर्षीय योजना को 1,035 करोड़ का बना दिया। 72—73 के लिये जो उसका प्राविधान 209 करोड़ रुपये का था उसको बढ़ा कर उन्होंने 225 करोड़ कर दिया है।

इस प्रकार से यह स्वाभाविक रूप से समझ में आता है कि समाजवादी कदम उठाया जा रहा है, या नहीं उठाया जा रहा है इस बजट में हरिजनों के लिये भी बहुत सी विशेष बातें रखी

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी है। इसके अलावा विद्युत लाइन बिछाने के लिये 15 प्रतिशत रिटर्न पर बिछाने की शर्त है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखंड आदि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में तो हरिजनों के लिये 8 (आठ) प्रतिशत पर विद्युत लाइन बिछा दी जायगी। क्या इसको समाजवादी बजट नहीं कहा जा सकता ?

इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा का भी प्रान्तीयकरण कर दिया गया है। हमें यहां करीब करीब 25 साल हो गये। यह मांग तभी से बराबर होती चली आ रही थी कि माध्यमिक शिक्षा का निश्चित रूप से प्रान्तीयकरण कर दिया जाय। जिला परिषदों में उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जिला परिषदें इतनी खराब हालत को पहुंच गई है कि जिला नैनीताल में 6 मास से कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। मैंने प्रश्न भी किया था लेकिन आपने श्रीमन् उसको स्वीकार नहीं किया है, वहां भूख हड़ताल होने वाली है और न जाने क्या होने वाला है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मैं उनसे श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह कि उन्होंने अभी कहा है कि वित्त मंत्री जी ने नये तरीके से यह बजट पेश किया है, तो वह यह बता दें कि वह नया तरीका कौन सा है ?

श्री डूंगर सिंह—

हमारे खन्ना जी अब पूछ रहे है, मैंने तो भूत की बात पहले ही सुना दी है, हम तो ठीक ढंग से चले जा रहे हैं उन को भूत सवार हो रहा है तो हम क्या करें। तो अभी मैं जिला परिषदों के बारे में बता रहा था कि उनकी हालत बहुत खराब है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा का प्रान्तीयकरण किया गया है उससे सारे माध्यमिक शिक्षकों को राहत मिलेगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने लोगों को रोजगार देने के लिये और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये जो परिवहन निगम को बनाने की बात कहीं है वह भी स्वागत योग्य है। इस चीज को श्री रियासत हुसैन जी ने भी बहुत अच्छी तरह से रखी है। ट्रकों और बसों के परमिट में किस तरह से भ्रष्टाचार होता था और किस तरह से विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार और तरह-तरह की बुरी बातों में ग्रसित रहते थे उसको दूर करने के लिये फ्री परमिट देने की उत्तम व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको जरा सीमित करके एक व्यक्ति के लिये केवल एक परमिट की ही व्यवस्था करें ताकि अधिक से अधिक लोग रोजगार पा सकें।

ग्रामीण विकास योजना के बारे में हम बहुत सुन चुके हैं और मैं दस साल तक डेवलपमेंट ब्लाक का प्रमुख भी रहा हूं। ग्रामीण विकास शुल्क जो लगाया गया है उसमें शुल्क बांटने का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। यह 60 प्रतिशत जिला परिषदों को न देकर यह क्षेत्र समितियों को दिया जाय। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिला परिषदों को तो करीब-करीब समाप्त ही कर देना चाहिये। यदि समाजवादी दृष्टिकोण को अच्छी तरह से चलाया जाय ग्रामों में तो हमें ग्राम सभाओं और क्षेत्र समितियों को ही दृढ़ करना चाहिये। हम ने कहा भी और हम चाहते हैं कि उनको भी अधिनियम के अन्तर्गत ले जाना चाहिये लेकिन आज तक वह नहीं किया गया। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस ग्रामीण विकास शुल्क को 60 प्रतिशत क्षेत्र समितियों को दिया जाय और 30 प्रतिशत ग्राम सभाओं में और 10 प्रतिशत जिला परिषदों में रखा जाय। मैं चाहता हूं कि जिला परिषदों के मौजूदा रूप को समाप्त किया जाय और सीधे क्षेत्र समितियों और ग्राम सभाओं के द्वारा सारा नियोजन का कार्य चलना चाहिये।

[श्री डूगर सिंह विष्ट]

उधर से कहा जाता है कि यह समाजवाद की जो बाते हैं वे केवल कागजी बातें ही हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों हमने संविधान का 24 वां और 25वां संशोधन विधेयक पारित किया है, बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तमाम रिट वगैरह हुये लेकिन संविधान में संशोधन लाकर हमने राजाओं के प्रीवी परसेज को समाप्त किया और पूरे मुआवजे के कानून को हटा कर अब मनमाना मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में रिट आदि की तमाम बातें खत्म कर दी गई। यह सब बहुत अच्छे लक्षण हैं और अब यह बात साफ आ गई है कि सरकार ने तमाम सार्वजनिक भलाई की चीजों को हस्तगत करने का कार्य किया है। वह उचित रकम देगी, अब मुआवजे का सवाल नहीं है। इस तरह से सरकार बराबर समाजवादी कदम बढ़ा कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है।

श्रीमन्, मैं अब थोड़ा सा शिक्षा की जो बातें हैं, उनमें एक सुझाव देना चाहता हूं। यह बात सही है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रान्तीयकरण कर दिया लेकिन एक आधारभूत सिद्धान्त माननीय मंत्री जी एवं मंत्रि मंडल के सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। अगर समाजवाद को आगे बढ़ाना है तो हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनको निश्चित रूप से समाप्त कर देना पड़ेगा। ये इस प्रकार के स्कूल्स एक विशेष दर्जे के लोगों को पैदा करते हैं और हमारे ऊपर अफसर बैठाने के लिए पैदा करते हैं। इनको तो निश्चित रूप से समाप्त कर देना पड़ेगा, यदि हमें समाजवाद के कदम को आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से विशेष अधिकारों को और राजाओं के मुआजिवे को खत्म कर दिया गया, उसी प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इसको निश्चित रूप से समाप्त करेंगे।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बागबानी का विशेष धन्धा है। मेरी प्रार्थना है कि इस कार्य के लिये एक विशेष रूप से अलग विभाग खोला जाय। इस समय बागबानी के विकास का कार्य कृषि विभाग के अन्तर्गत चलता है और जो विभाग 54 जिलों का कार्य देखता हो, वह 7 जिलों में बागबानी के काम की ओर नहीं देख सकता है। 7 जिलों के बागबानी के विकास का कार्य मैदानी क्षेत्र के 48 जिलों के कार्य से कोई मेल ही नहीं खा सकता है और हमारे जो कृषि के निदेशक हैं, मंत्रालय के अन्य अधिकारी हैं वे इस कार्य की ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं। एक फल उपयोग विभाग रानीखेत में खोला गया है। इसके साथ-साथ हमारे मंत्रि मंडल के स्तर पर निश्चित रूप से एक मंत्री इसके लिये होना चाहिये जो इसको देख सके। इसी प्रकार से सचिव स्तर पर भी एक सचिव बागबानी की देखभाल के लिए रखा जाना चाहिये।

हमारे मंत्री जी ने कहा था कि करोड़ों रुपये का फल समाप्त हो गया है। क्यों इस लिए कि उन फलों के लिए यातायात के साधन नहीं थे, न उन फलों के संरक्षण के लिये कोई प्रबन्ध था। अब इधर सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री और सरकार के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वे पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बागबानी के विकास का ठोस से ठोस कदम उठाने की कृपा करें। यह जो एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन है वह बिल्कुल व्यापारी तरीके से कार्य करता है। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। इसने रामगढ़ में जो फल संरक्षण का काम लिया था सरकार की ओर से, उसमें केवल बड़े-बड़े लोगों से मतलब रखता है। जो फल संरक्षण केन्द्र खोलने का सुझाव दिया गया वह केवल शहरों के नजदीक के स्थान हैं या सड़कों के नजदीक के स्थान हैं लेकिन जहां से सड़क सैकड़ों मील पड़ती है वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं किया है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे स्थानों पर संरक्षण प्लान्ट लगें। मुझे आशा है हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

अब मैं पर्वतीय क्षेत्र की लकड़ी और लीसा की ओर भी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। और माननीय वित्त मंत्री ने उसमें विशेष रूप से अपने बजट भाषण में कहा नहीं है। यह श्रीमन् चार साल से है और उससे भी पहले है। 10 आने घन फुट की लकड़ी

लाखों मन वजन में पहाड़ों से सहारनपुर चली जाय। श्रीमन्, हम तमाम लोग पहाड़ों पर उस लकड़ी की पल्प फैक्ट्री बना सकते हैं। हम लोगों को वहां ऐसी सहूलियतें दी जानी चाहिये और इसी तरह से टरपैन्टाइन फैक्ट्री बरैली में है उसमें भी वर्तमान रेट 147 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से दिया गया है किन्तु जो बाजर में रेट है वह 250 रुपये प्रति क्विन्टल है। हम सब लोग लीसा निकालें। उनको जो 147 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से लीसा दिया जाता है यह श्रीमन् लूट होती हैं। हम चाहते हैं कि अब छोटे टर्पेन्टाइन के सेन्टर बनें और छोटे-छोटे लाइसेन्स उन पहाड़ के लोगों को दिये जांये और जो प्लान की कैपेसिटी है उसके अनुसार लीसा का आवंटन किया जाना चाहिये। स्टार पेपर मिल का जो पल्प है उसको हम पल्प देंगे। यह बन्द न हो। मगर हम यह चाहते है कि वह हमारे थ्रू बने।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा। सूचना निदेशालय की यह किताब मेरे पास है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के उन व्यक्तियों का जीवन चरित्र हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आप देखेगे कि इसमें, मैं एक ही व्यक्ति का नाम लेता हूं—और वे हैं हरि गोविन्द पन्त जी, वे बड़े नामी-धामी रहे हैं। पन्त जी से भी पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आप इसमें अगर हरिगोविन्द पन्त का वर्णन देखेंगे तो वह दो ही लाइन में लिखा गया है कि वे अच्छे कार्यकर्त्ता थे, छः महीने के लिये जेल चले गये थे और मैं समझता हूं इतना निकम्मा और उदासीन यह सूचना निदेशालय रहा है। जिस समय इस पुस्तक को अन्तिम रूप दिया जा रहा था तो इत्तिफाक से मुझे भी उस कमेटी में बुलाया गया था। उसके मिश्रा जी संयोजक थे। मैंने सारी सूची और सब नामों को लिखा, चूंकि मैं भी जेल जाने वालों में से एक था और तमाम अपने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के व्यक्तियों के बारे में जानता था। मैंने उनको बताया लेकिन उनका कोई नाम नहीं है जिनके बारे में मैंने उनको सूचना दी थी। यह बहुत बड़ी इन्सल्ट है उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति। मैं चाहता हूं कि इस इतिहास को पुनः लिखवाने की व्यवस्था की जाय। उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बात आप जानते हैं, श्रीमन् आप हमारे उपाध्यक्ष हैं। आप अध्यापक की हैसियत से भी कार्य कर चुके हैं। यहां भी आप हमारे अध्यापक की तरह से हैं। हम आपकी व्यवस्था और कानून को अध्यापक की तरह से ही मानते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, हम तमाम सब लोगों का है, जो कई वर्षों से खिलवाड़ बन चुका है। सन् 57 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तराखंड विश्वविद्यालय, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के नाम से योजना में थी और उसके बाद तृतीय योजना में भी वह नहीं आया। चतुर्थ योजना चली जा रही है। हमें अनुमान था कि इस वर्तमान अधिवेशन में जो चल रहा है, यह आ जायेगा, लेकिन माननीय सदस्यों के पास नहीं पहुंचा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं—माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं, वे भी सहमत हैं, उसके लिये बाधा कहां है, विधेयक आये और वह पास हो और वह विश्वविद्यालय इसी जुलाई से चालू हो। इतना कहने के बाद मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश हुआ है उसका स्वागत करता हूं और उनको इस सुन्दर बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण के अवसर पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सदन में इस प्रकार की परम्परा बन गई है कि शुरू में सदैव घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाय और वर्ष के अन्त में उसे सरप्लस दिखला दिया जाय। मान्यवर, यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहां अन्डर-डेवलप्ड एकोमानी है और अन्डर डेवलप्ड कन्ट्रीज में घाटे के बजट को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। मान्यवर, यदि पिछले 10 वर्षों से बजट उठाकर देखें तो निश्चित रूप से यह मिलेगा कि शुरू में सदैव घाटा दिखलाया गया है और अन्त में सरप्लस दिखला दिया गया है। मान्यवर, इसका मुख्य कारण क्या हैं, उस पर मुझे विस्तृत रूप से विवेचना

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—]

करूंगा। इसका पहला मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां कोई भी कार्य योजना बद्ध ढंग से नहीं होता। जिन दिनों बजट पर विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, उन दिनों अगर कहीं से पोलिटिकल प्रेशर पड़ा तो उस मद में ज्यादा रुपया रख दिया। इस प्रकार अलग-अलग विभागों के अन्दर एक होड़ सी लग जाती है। हर विभाग यह प्रयास करता है कि बजट में उसे अधिकतम राशि मिल सके। परिणाम स्वरूप बजट के पूर्व कभी भी अच्छी तरह से एस्टीमेट्स और अन्य ढंग से डिपार्टमेन्टल खोजबीन नहीं की जाती जिसका परिणाम यह होता है कि जिन विभागों को अधिक राशि की आवश्यकता होती है उसे कम प्रोबाइड कर दी जाती है और जिन विभागों को कम राशि की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक राशि प्रोवाइड कर दी जाती है।

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री जी अभी सदन में आ गये हैं और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बजट को जिस समय प्रस्तुत किया जाता है उस समय घाटे के बजट की शक्ल म प्रस्तुत किया जाता है और वर्ष के अन्त में सरप्लस की शक्ल में किया जाता है। अन्डर डवलप्ड एकोनामी म यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चिन्ह होते हैं। उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि यदि हम अपने प्रदेश को ऊपर उठाना चाहते हैं तो लगतार व्यय करना पड़ेगा। यदि हम एक्सपेन्डीचर नहीं करेंगे तो हमारे डेवलपमेन्ट के सारे कार्य रुक जायेंगे। मान्यवर, जनता के ऊपर जो कर प्रणाली लगाई जाती है, उसके मैं पक्ष में हूं और मान्यवर मैं इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करुंगा कि क्यों हमें इसका विरोध करना पड़ रहा है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त वर्ष के अन्त में यह भी होता है कि अधिकतर इस प्रकार की राशि हुआ करती है कि जिस विभाग को दे दी जाती है उसके द्वारा उस ढंग से उस विभाग में व्यय नहीं होता तो उस राशि को स्थानान्तरित कर दिया जाता है दूसरे विभागों को। यह हमारे अधिकारों का हनन है। इसके अतिरिक्त बहुत सी इस प्रकार की धनराशि होती है जो 21 मार्च को लैप्स कर दी जाती है। इसका एक उदाहरण मैं बता दूं और जो हमारी एक समस्या है कि यदि किसी क्षेत्र में कोई सड़क स्वीकार हुई या कोई पुल स्वीकार हुआ तो बजट प्रस्तुत होने के पश्चात् उस पर डिटेल्ड इस्टीमेट्स बनाया जाता है, उसमें महीनों लग जाते हैं। उसके पश्चात् उसको डिपार्टमेन्टल एप्रूवल के लिये भेज दिया जाता है, उसमें महीनों लग जाते हैं,। अन्त में उसे फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में सैंक्शन के लिये भेज दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बजट ईअर समाप्त हो जाता है और जिस कार्य के लिये रुपये की आवश्यकता है, मार्च में जाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है। परिणाम यह होता है कि वह धनराशि लैप्स हो जाती है।

मान्यवर, जैसे मैंने आपसे कहा जनता पर कर लगाने के विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन जो हमारे प्रदेश में और देश में जो कर प्रणाली है, जो नीति अपनाई जा रही है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर टैक्स इन्क्वाइरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिक कर लगा कर देश के लिये और प्रदेश के लिये अहित-कर है। इसका मतलब यह है कि अगर अधिक कर लगाया गया तो चोरी करने की प्रवृत्ति में जनता को प्रोत्साहन मिलेगा। मान्यवर, मैं आप के सामने यह बतलाना चाहूंगा कि अभी 3–4 दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बतलाया था कि केवल सेल्स टैक्स में 34 करोड़ रुपया बकाया है। इस प्रकार हम कोआपरेटिव में, अन्य विभागों में जहां जनता को लोन दिया जाता है, यदि उनका बकाया कलेक्ट करें तो मालूम पड़ेगा कि इस प्रकार हमें कर लगाने की आवश्यकता ही कोई न रहेगी। दुर्भाग्य से हमारे यहां जो भी सरकारें आयीं वह इस प्रकार के एरियर्स कलेक्ट करने में सदैव असफल रही है। मैंने कल से प्रयास किया लेकिन मुझे लाइब्रेरी में सफलता नहीं मिली कि हमारे यहां जनता पर ऐसे कितने एरियर्स हैं जो कि अनेक बिभागों द्वारा ऋण की शक्ल में उसको दिया गया है। कोआपरेटिव विभाग द्वारा करोड़ों रुपये का वितरण किया जाता है। इस प्रदेश का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सहकारिता विभाग द्वारा बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा है और ऐसे लोगों को ऋण दिया जा रहा है जो उसको पाने के हकदार नहीं है एवं गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा है। सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस समय हमारे अधिकारियों द्वारा सरकारी व्यय में जितने रुपये का दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी नियंत्रण

करनी चाहिये। जिलास्तर पर हर विधायक अच्छी प्रकार जानता है कि किस प्रकार वहां जीपें भागती फिरती हैं। ऐसा लगता है कि मानों वह पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से चलती हों।

इसके अतिरिक्त अधिकारियों के विन्टर कैम्प्स हुआ करते हैं। ब्रिटिश काल से यह परम्परा चली आ रही है। उसको आज भी हम समाप्त करने में सफल नहीं हो पाये हैं। वह अधिकारी सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे लौट आते हैं। हजारों रुपया उन विन्टर कैम्प्स पर व्यय होता है। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकार जो रुपया का दुरपयोग हो रहा है उसके लिये जांच कमेटी बिठायी जाय और उसमें कटौती की जाय। यदि राज्य सरकार इस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दे तो उसमें 10 परसेन्ट की कटौती की जा सकती है।

जैसा कि मैंने कहा बजट भाषण में दोनों पक्षों का दृष्टिकोण आ जाता है और अगर आप प्रोसीडिंग निकलवा कर देखें तो दोनों का दृष्टिकोण लगभग एक सा होता है। अन्तर केवल इतना होता है कि सरकारी पक्ष के लोग अन्त में समर्थन कर देते हैं और विरोध पक्ष के लोग अन्त में विरोध कर देते हैं। इससे हम किन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं उसकी भावना प्रकट हो जाती है।

जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत करते समय कहा है, सरकार का लक्ष्य है बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को समाप्त करना। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे यह पहले से चली आयी समस्याओं और कठिनाइयों का निवारण हो सके। इन सब बातों के लिये विशेष रूप से तीन बातों की आवश्यकता पड़ती है प्राकृतिक साधन, पूंजी और मानव। प्राकृतिक साधनों की उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। पूंजी भी जहां तक हो सकता है राज्य सरकार जुटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आज का जो व्यक्ति है उसका नैतिक पतन इतना हो चुका है, उसका नेशनल कैरक्टर इतना गिर चुका है कि जितनी भी योजनायें चल रही हैं उनको ठीक शक्ल में जनता के सामने रखने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे यहां शिक्षा पद्धति में इतनी गिरावट आ गयी है कि जो आगे आने वाला जनरेशन हैं जो इस प्रदेश और देश का नेतृत्व करेगा उसके कैरेक्टर का बहुत ह्रास हो गया है।

पांचवें भारतीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके द्वारा भारत के अन्य प्रदेशों और उत्तर प्रदेश में जो अन्तर चला आ रहा है उस पर प्रकाश डालने में मुझे सफलता मिलेगी। 1967-68 में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति 6.36 रुपये उत्तर प्रदेश में वार्षिक व्यय किया गया जबकि अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति 11 रुपये व्यय किया गया।

इन आंकड़ों से हम देख सकते हैं कि शिक्षा पर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे प्रदेश में केवल आधा ही व्यय किया गया है। जिस प्रकार से मैंने शिक्षा पर प्रकाश डाला है उसी प्रकार से मान्यवर, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य की भी स्थिति है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम किसी कार्य को करने में सफल नहीं हो सकते हैं। इसका दृष्टांन्त भौगोलिक दृष्टि से भी आप देख लें। पंजाब से यदि हम बंगाल की ओर चलेंगे तो हम देखते हैं कि उनमें स्वास्थ्य में अन्तर आता जाता है। पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भिन्न मिलता जायगा। उसका मुख्य कारण यह है कि स्वास्थ्य के लिये भौगोलिक स्थिति के साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें हमको मिलनी चाहियें वे नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। यह जो वित्त आयोग की पांचवी रिपोर्ट है। 67. 68 की उसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के ऊपर प्रति व्यक्ति रु० 1.27 पैसे व्यय किये जाते हैं अखिल भारतवर्षीय चिकित्सा पर यह धनराशि है। आप आंकड़ों के द्वारा स्वयं ही समझ सकते हैं कि इस धनराशि के द्वारा क्या हमार प्रदेश की जनता चिकित्सा सुविधायें प्राप्त करने में सफल हो सकती है? कदाचित् नहीं।

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—]

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो जनगणना 1971 में हुई है उसके आधार पर यहां पर शिक्षित वर्ग 21 प्रतिशत और है अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षित वर्ग की प्रतिशत 30 है। यू० पी० में 21 प्रतिशत है। उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने यह प्रतिशत निकाला है इसके माने यह हैं कि अभी भी 80 प्रतिशत हमारे प्रदेश की अनपढ़ है और पिछड़ी हुई है। गत 25 वर्षों में इस सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर उठाने के लिये जो प्रयास किया गया है उस बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। आज जब हमारे प्रदेश में केवल 21 प्रतिशत शिक्षित वर्ग हैं उसी में आप देखें कि जो इन्जीनियर्स हैं, तकनीशियन्स हैं उनमें कितनी अधिक मात्रा में बेरोजगारी फैली हुई है। इस पर अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी प्रकाश डाला जा चुका है। इस सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसके द्वारा 58 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षत्रों में तकनीकी शिक्षा तथा दूसरी प्रकार की शिक्षा के लिये दिया जायगा। इसके द्वारा ग्रामीण अंचलों में उद्योग धन्धों को भी खोलने का प्रयास किया जायगा। इसको केन्द्र सरकार की शिफारिस के लिये भेजा गया है। मेरा यह निश्चित मत है कि यह पूरा बजट वर्ष समाप्त होने पर भी नहीं आ पायेगा केन्द्र इसको मंजूर करके इस वर्ष के अन्त तक भी नहीं भेंज सकेगा। हर वर्ष बजट भाषण में इसी प्रकार की कुछ न कुछ योजनायें केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी जाती रही हैं। लेकिन वे वर्ष के समाप्त होने तक वापस ही नहीं आती हैं। यही हालत इस योजना की भी है। मान्यवर, मैं आपके सामने और इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश में लघु उद्योग धंधों की स्थित है उनसे सम्बन्धित मैं कुछ कहना चाहता हूं। बंगाल के कई उद्योग हमारे यहां गाजियाबाद में आकर स्थापित हुये हैं लेकिन उन लोगों के सामान की बिक्री का बाजार उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि वह दूसरे प्रदेशों में बाजार की खोज करते हैं इस अभाव में लघु उद्योग धंधे कैसे पनप सकते हैं। बंगाल सरकार के द्वारा ऐसी योजना बनाई गई है कि बंगाल में लघु उद्योग धंधे के द्वारा जो लोग माल उत्पादन करेंगे उसका कम से कम 40 प्रतिशत तक वहां के लोगों एवं सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से खरीदना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार के दावे ठीक नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि रचनात्मक कार्य नहीं हो रहा है। लघु उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के विषय में इन आंकड़ों से स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 250 रुपया है जब कि अखिल भारतीय स्तर पर 325 रुपया है। मान्यवर, थोड़ा सा समय और देंगे, क्योंकि अन्य माननीय सदस्यों को 20-25 मिनट दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

15 मिनट खत्म होकर 16 वां मिनट चल रहा हे।

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

मैं आप के माध्यम से बतलाना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने सदैव परिस्थितिवश और राजनैतिक कारण से उत्तर प्रदेश की अवहेलना की है अधिक का तो प्रश्न ही नहीं उठता जिसके कारण प्रदेशीय सरकार वहां से अपने हिस्से का भाग भी पाने में सदैव असमर्थ रही है। मैं एक दो सिद्धांत रखना चाहूंगा। मान्यवर, कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 8 उद्योगों के लिये प्रदेश के अन्दर स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र दिये गये थे। उस पर केन्द्र सरकार ने जो अपना स्टेटमेंन्ट दिया वह यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 8 आवेदन-पत्र आये हैं। लेकिन वह अपूर्ण हैं जिसके कारण उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सके हैं एवं अन्तिम निर्णय का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार उनको पाने में असमर्थ रही है। श्री इन्द्र कुमार गुजराल, केन्द्रीर राज्य मंत्री जी का यह वक्तव्य है कि आवास के लिये केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश को जो रुपया दिया गया था उसका उपयोग नहीं हो पाया और परिणाम स्वरूप लैप्स हो गया है। इसके कारण उत्तर प्रदेश स्वतः पिछड़ता जा रहा है।

बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने दर्जनों निगमों की स्थापना की घोषणा की है। मान्यवर, निगमों की स्थापना बहुत अच्छा विषय है लेकिन दुर्भाग्य से इस बजट भाषण के अन्दर इन निगमों के द्वारा जो निर्णय लिये जायेगें कि उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी, इसकी चर्चा नहीं की गयी है एवं उस धनराशि का कहां से प्रबन्ध किया जायेगा। इससे केवल जनता को गुमराह करना और सदन कोभ्रम में डालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सदन में इस बात को कहना चाहूंगा कि कृषि एवं लघु उद्योग धंधों से ही उत्तर प्रदेश की गरीबी एवं बेरोजगरी कीमतों में वृद्धि सम्बन्धी समस्यायें और पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, जिस पर साधन उपलब्ध करने पर लाखों टन अनाज पैदा किया जा सकता है। इससे भूमिहीन किसानों को भूमि भी उपलब्ध करायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कृषि के ऊपर इस समय सारा बोझ डालने का प्रयास किया जा रहा है वह भी हानिकारक होगा जैसा कि वित्त मंत्री जी ने 10 करोड़ रुपये की धनराशि अतिरिक्त कर के रूप में वसूल करने की योजना बना रक्खी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि वहां के छोटे गरीब कृषक इस स्थिति में नहीं हैं कि टैक्स का अतिरिक्त भार वहन कर सकें। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि मान्यवर फर्टिलाईजर के ऊपर ट्रेक्टर, पम्पिग सेट आदि के ऊपर केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी कर भार लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त बिजली के निजी नल कूपों पर वित्त मंत्री जी ने 3 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त कर भार लगाया है। प्रति हार्स पावर 3 रुपया एक मास में अतिरिक्त कर का बोझ और डाला है। जो मिनिमम गारन्टी इस सरकार की थी वह अब इस शक्ल में उससे भी अधिक हो गयी है।

मान्यवर, इसकी वास्तविकता को बतलाने के लिये कहना चाहूंगा कि इसके संतुलन के लिये कृषि में जिन चीजों का उपयोग होता है, और जिनकी कीमत बढ़ती जा रही है, उसको रोका जाय। और केन्द्रीर सरकार को जो सिफारिश की गयी है, उसमें स्पष्टतः यह बताया गया है कि कृषक को 66 रुपये से लेकर 72 रुपये तक गेंहूं के दाम दिलवाये जायेगें। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से इस विषय में विनम्र निवेदन करूंगा कि उसे 76 रुपयें से लेकर 80 रुपये तक केन्द्र सरकार से मांग निश्चित रूप से करें क्योंकि आज यदि इस संतुलन को नहीं बनाये रखा जायेगा तो जो यह हरित क्रान्ति का नारा है, वह केवल एक स्वप्न बनकर रह जायगा। एफ० सी० आई० कृषक का अनाज खरीदने की व्यवस्था भी पिछले वर्षों में बहुत दुःखद सी रही है जिससे कृषि को नुकसान हुआ है। मान्यवर, गन्ने की समस्या आज प्रदेश के सामने है। पिछले चार वर्षों का बकाया शुगर मिल ओनर्स पर बाकी है। कृषकों की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर गिरती जा रही है। लेकिन आज केन्द्रीय सरकार की असफल एवं पूंजीपति को अपने पक्ष में लेने की नीति के कारण वे 4 रुपये किलो चीनी बेंचने में सफल हो गये हैं किन्तु कृषकों को पिछले 4 साल से बकाया राज्य सरकार ऐसी स्थिति में नहीं दिलवा सकी। चीनी 4 रुपये किलो बिक रही है और गन्ने का मूल्य 11 रुपये क्विटल दिलवाया जा रहा है। यह देश और प्रदेश के लिये शर्म की बात है। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी अधर में लटक रहा है।

श्रीमन्, हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के आज भ्रामक प्रचार किये जा रहे हैं कि हम उनके लिये तरह-तरह की योजनायें बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, एक नयी योजना जिला स्तर पर हरिजनों के आवास की चालू की गई है। हमारे रामपुर जिले के अन्दर इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को दिये गये जिनको वहां के सुपरवाइजर ने किसी से 20 और किसी से 25 रुपये लेकर अपने पास रख लिये। जब मैंने राज्य स्तर से इस विषय में पता लगाया तो मालूम हुआ कि केवल 2 हरिजनों के लिए आवास सम्बन्धी यह सुविधा प्रदान की जावेगी। तो मान्यवर, इस प्रकार के भ्रामक प्रचार

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—]

से कुछ होने वाला नहीं है। जो पिछले 25 वर्षों से लगातार हो रहा है आप उन्हें इस प्रकार की घरेलू सुविधा न देकर यदि शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करें तो उनका अधिक हित होगा। उनके लिये छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की यदि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था हो सके तो उनका अधिक आर्थिक कल्याण होगा। जिससे वह स्वत: इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेंगे।

अन्त में मान्यवर, मैं अपने जिले रामपुर के लिये कुछ मोटी-मोटी बातें कहकर समाप्त करूंगा। मान्यवर, हमारे वित्त मन्त्री, तिवारी जी की रामपुर पर विशेष कृपा रहती है। मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करता हूं कि रामपुर में जो कोठी खास बाग रामपुर नवाब का महल है सरकार के द्वारा इन्हें Reasonable, Compensation देकर ले लेना चाहिये क्योंकि कोठी खास बाग नवाब रामपुर भविष्य में रखने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अत: रुहेलखंड की जो मेडिकल कालेज सम्बन्धी मांग है 500 एकड़ में बनी हुई यह इमारत इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त सिद्ध होगी। रामपुर का मेडिकल कालेज देकर सरकार उपर्युक्त मांग की भी पूर्ति करे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि श्री तिवारी जी कुमायूं विश्वविद्यालय से रामपुर में खुलने वाले मेडिकल कालेज को सरकार द्वारा एफीलिएट करादें जो भौगोलिक दृष्टि से सम्भव भी है जिससे पहाड़ी क्षेत्र भी इसमें भागीदार बन सके। यदि सरकार कोठी खास बाग को इस कार्य हेतु प्राप्त कर सके तो इससे रामपुर, रुहेलखंड एवं पहाड़ी क्षेत्र का बड़ा कल्याण होगा जिसके लिए रामपुर की जनता सरकार एवं वित्त मन्त्री की बड़ी आभारी रहेगी।

इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से इतना और निवेदन करूंगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अन्दर जिन 28 जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित किया था उसमें रामपुर का जिला नहीं शामिल था। उद्योगों की दृष्टि से जिन 36 जिलों को चुना गया उसमें रामपुर जिला नहीं रखा गया जब कि सब स्टेट्स मर्ज हुई थीं उस समय रामपुर के अन्दर उद्योगों का एक जाल बिछा हुआ था। वहां उद्योगों का इतना ह्रास हुआ है कि अब केवल दो उद्योग ही वहां देखने को मिलेंगे। अत: वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। रामपुर से इस प्रकार का पक्षपात एवं अन्याय पूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये इतना समय दिया और आशा है माननीय वित्त मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

पूर्व इसके कि श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र अपना भाषण शुरू करें, मैं नियम 51 की सूचनाएं जो प्राप्त हुई हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। एक सूचना श्री रूपनाथ सिंह यादव की है—इलाहाबाद जिले के थाना सोरांव के अन्तर्गत हरिजनों के साथ अत्याचार के बारे में—इसे मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

एक माननीय सुरेन्द्र विक्रम की है—ग्राम श्योपुर दयोरा, थाना नई बस्ती, जिला बलिया में 136 मकान जल कर भस्म होना—इस पर वे अल्प सूचित प्रश्न कर सकते हैं। उससे अगर स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तो वक्तव्य की मांग वे कर सकते हैं।

एक सर्वश्री रामकुमार दीक्षित, चौ० रामपाल सिंह यादव, हबीब अहमद, उपेन्द्रनाथ दीक्षित, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सुरेन्द्र विक्रम की है—कानपुर के अकबरपुर मोहल्ला बावली में इमाम चबूतरा में ताजिया एवं तुरबत का स्थान पुलिस द्वारा खुदवाया जाना—इस पर आप प्रश्न कर लें।

श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, इस पर वक्तव्य करा दें। वहां पर स्थिति बड़ी विषम हो गयी है। वहां पर आज चेहल्लुम तक नहीं मनाया जा रहा है। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए नहीं तो स्थिति विषम हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो प्रार्थनापत्र दिया है उसमें स्वयं वक्तव्य की मांग नहीं की है। फिर नियमानुसार वक्तव्य कैसे दिलवाया जा सकता है ? आपने तो उसमें स्वयं अन्त में यह लिखा है कि वहां जो कुछ हो रहा है उसकी गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराके, थानेदार और तहसीलदार को निम्नलिखित कर उन्हें दण्डित किया जाय। अब इसमें वक्तव्य की क्या बात है।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

मैंने नियम 51 में स्वीकार करने के लिये दिया था लेकिन उसमें कुछ बातों का जिक्र कर दिया था जो वहां की ग्रीवान्सेज हैं उनका भी जिक्र कर दिया था।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं निवेदन कर रहा हूं आप अपना लोभ संवरण नहीं कर सके। मैं तो समझता था कि आप हैं ही नहीं इस सदन में।

श्री राम कुमार दीक्षित—

मेरी बात आप सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं। अगर इसको हम स्वीकार कर लें तो हर मांग को नियम 56 में स्वीकार करना पड़ेगा। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप इसके लिये कृपया आग्रह ही न करें। क्योंकि जो शब्दावली आपने भेजी है वह मात्र कार्यवाही के लिये पर्याप्त है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, परिस्थिति ऐसी है कि आप को इसको करना ही चाहिये और यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और साम्प्रदायिकता फलने की स्थिति पैदा हो गई है। आपको अधिकार है कि...

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, इस सदन में तो आपका नियन्त्रण होता है साथ ही प्रशासन पर भी आपका नियन्त्रण हो जायगा। यदि आप इसको कृपया स्वीकार कर लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह ठीक है कि प्रस्ताव की शब्दावली ठीक हो लेकिन जिस प्रकार से जज वकील की आशय को समझ कर उसकी भाषा पर ध्यान नहीं देता है, कभी-कभी और उसे स्वीकार कर लेता है उसी तरह से यदि आप समझते हैं कि यह आवश्यक है जनहित में है तो आप इसे स्वीकार कर लें और इस तरह से विरोधी पक्ष के हाथ मजबूत करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

शब्दावली से तो मैं सहमत हूं। श्री त्रिपाठी जी तो एक दक्ष वकील हैं और इस तरह से कहकर अपनी बात रखना चाहते हैं। यह लिखकर दूसरा दें जिस तरह से लिखा जाना चाहिये। तब स्वीकार हो सकता है।

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री रामकिशोर शुक्ल ने इलाहाबाद जिले में गंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य का बन्द रहना विषय पर लिखकर दिया है। यह लोक महत्व का है लेकिन अविलम्बनीय नहीं है इसको सरकार के पास वक्तव्य के लिये भेजता हूं।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

वह पुल आठ साल से बना नहीं है और जनता वहां की भयंकर कष्टों का सामना कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो हर पुल में बिलम्ब होता है। हर सरकारी कार्य में बिलम्ब होता है। आप प्रश्न करें, अल्पसूचित प्रश्न कर दें। यदि आप उससे सन्तुष्ट नहीं होंगे तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री रामकिशोर शुक्ल—

तो आप इसे अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री उपाध्याक्ष—

नहीं, आप फिर से लिखकर दें।

श्री मैनेजर सिंह जी ने बलिया एवं बिहार के बीच स्थायी सीमा निर्धारण के फलस्वरूप भूमि की अदलाबदली से रबी की फसल की कटाई में अशान्ति एवं संघर्ष विषय पर लिख कर सूचना दी है। यह मामला कई दिन से चल रहा है। मैंने भी इसे अखबारों में देखा है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, इतने से काम नहीं चलेगा। बलिया के किसानों को घेर कर फसल लूटी गई और बिहार की पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे मैंने देखा है, नवभारत टाईम्स में भी निकला है।

श्री मैनेजर सिंह—

बलिया के किसानों को लुटवाया गया है, असन्तोष व्याप्त है। इस पर आप सवाल करने का भी मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

यों यह केवल वक्तव्य के लिये है, खैर आप प्रश्न कर लीजियेगा, आवश्यक जो हों।

इस विषय पर श्री शम्भूनाथ चौधरी ने भी दिया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि 200 आदमियों को घेर कर 18 राउन्ड गोलियां चलाई गई हैं।

श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री सूबेदार प्रसाद ने मेरठ जिले के हापुड़नगर में शान्ति व्यवस्था में गिरावट एवं हत्याओं में वृद्धि के विषय पर अपनी सूचना दी है इस पर भी आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अल्पसूचित प्रश्न नहीं। हापुड़ में आतंक मचा हुआ है, अनेक हत्यायें हो चुकी हैं। एक परिवार के एक लड़के की हत्या हुई, दूसरा लड़का गायब है। 29 तारीख से अब तक पता नहीं है। नगर और जिले की पुलिस व्यवस्था नहीं कर रही है। जब तक उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो कैसे हो जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित प्रश्न करें। सीमित महत्व का है। हत्याओं की बात आपने उठायी है लेकिन हापुड़ शहर से सम्बन्धित है।

श्री मोहनलाल कपूर—
पूरे जिले के लिये समझ लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—
हापुड़नगर का है । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें । माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय धूम प्रसाद, माननीय जगदम्बा प्रसाद—फैजाबाद जनपद में बाढ़ राहत कार्य के लिये दी गयी धनराशि अधिकारियों की लापरवाही से वापस होना । इस पर भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—
पूरे जनपद का प्रश्न है । 14 लाख रुपया 30 तारीख को वापस कर दिया । आप वक्तव्य के लिये या कार्यवाही के लिये भेज दें ।

श्री उपाध्यक्ष—
उचित कार्यवाही के लिये भेज दूंगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—
उपाध्यक्ष महोदय, फैजाबाद जनपद....

श्री उपाध्यक्ष—
कार्यवाही के लिये भेज देंगे । जो तिवारी जी का है वही अपका है । जैसा माननीय तिवारीजी ने कहा इसे मैं कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं । अभी दो जिलों का सवाल है, फैजाबाद और गोंडा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—
बहराइच भी है ।

श्री उपाध्यक्ष—
अगर ऐसी सूचनाएं आ जायेंगी कि बाढ़ की राहत की रकम का अच्छी तरह से उपयोगएं नहीं हुआ है, लैप्स कर गयी, ऐसी बात आयेगी तब हो सकता है वह ।

माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय बंशीधर पांडेय—सिंचाई विभाग के टेक्निकल यूनियन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में अनशन । यह सामान्य प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया भी हो रही है । इसे मैं अच्छा नहीं समझता । इस पर पहले, प्रश्न कर लें । अगर सरकार की तरफ से संतोषजनक उत्तर न आये तो इस पर वक्तव्य दिला सकते हैं ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—
उनको मालूम होगा कि आन्दोलन चल रहा है ।

बलिया जिले में शहरी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1956 के अनुसार कृषि क्षेत्रों के परिच्छेदन के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन (क्रमागत)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—
एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । अभी आपने यह विचार व्यक्त किया कि हमें कोई गलत परम्परा, परिपाटी नहीं डालना चाहिये । तो एक चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यद्यपि आप रोज-रोज कहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं । इसमें पांचवां आइटम है—बलिया जिले में शहरी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1956 के अनुसार कृषि क्षेत्रों के परिच्छेदन की कार्यवाही के सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

में राजस्व मन्त्री का केवल वक्तव्य । माननीय राजस्व मन्त्री का वक्तव्य था वह आये नहीं । दूसरे राजस्व मन्त्री बैठे रहे, राज्य मन्त्री, हैं उन्होंने भी वक्तव्य नहीं दिया । आपने यह कह दिया कि यह मन्त्री जी कहीं बाहर गये हैं । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक मसलों पर हमने देखा है यह सरकार यह मन्त्री कितना दुर्लक्ष्य करते हैं जनहित का । कोरम नहीं होता, तीन-तीन, चार-चार बार घंटी बजती है । जब किसी विधेयक को पुरः स्थापित करना होता है तो सम्बन्धित मन्त्री नहीं रहता, दूसरा मन्त्री पुरः स्थापित करता है । तीसरी बात यह आ गयी । इसके बारे में आपसे आज्ञा ली गयी होगी, उस विभाग के मन्त्री को मालूम होगा फिर भी जानबूझ कर मन्त्री सदन की अवहेलना करते हैं । अगर कोई सदस्य बाहर होता है और असेम्बली में आना चाहता है और उसको कोई रोकता है तो आप प्रिविलेज का मोशन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि यह सदन सर्वोपरि है ।

इसी तरह मन्त्रियों के लिये यह सदन सर्वोपरि है । दूसरे काम नवम्बर दो व तीन पर आ सकते हैं । फिर आपने इसको ऐडमिट किया और वह आज नहीं आये । क्या इस तरह से आप उनको क्षमा कर देंगे । उन्होंने आपके आदेश की अवहेलना की और यह हम लोगों के हित में उचित भी नहीं है । इस प्रकार की आप गलत परिपाटी डाल रहे हैं क्योंकि यह बहुत महत्व-पूर्ण बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह परिपाटी नहीं है । इसको इसलिये स्थगित किया कि राजस्व मन्त्री ने कल खड़े हो कर कहा कि वह यहां नहीं रहेंगे इसलिये इसको 7 तारीख को रख दिया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तीन तारीख को नहीं रहेंग यह कहा था । हमको भी कोई उस पर एतराज नहीं था । जब मन्त्री ने सहमति दे दी थी तो एजेंडे पर रखने के लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि हम बाहर जायेंगे । 7 तारीख का हमारा विधेयक रख दिया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तीन मन्त्री हैं । मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा उप मन्त्री । कोई भी स्थिति पर बोल सकता था । इस ढिलाई से व्यवहार करना उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ढिलाई का सवाल नहीं है । आपके समक्ष सदन में मन्त्री जी ने यह कहा कि उनका विधेयक 7 तारीख को लिया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसको फिर एजेंडे पर क्यों रखा गया?

श्री उपाध्यक्ष—

एजेंडे पर रखने के बाद ही किसी चीज को स्थगित किया जा सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मिनिस्टर की सहमति से इसे एजेंडे पर रखा गया । बाद में लिख कर भेज दें कि आज वह कार्य नहीं करेंगे तो उनको क्षमा कर देना कहां तक उचित है?

श्री उपाध्यक्ष—

बगैर कार्यसूची में आये हुए कोई चीज कैसे स्थगित हो सकती है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह स्थिति आज कल देख रहा हूं कि विपक्ष के हित की रक्षा करने वाला आज कल कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब वह स्थगन के लिये कह रहे थे तो आप कह देते कि स्थगित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

राज्य मन्त्री, डिप्टी मिनिस्टर जी हैं वे किस काम के लिये हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग ही प्राय: कहते हैं कि बड़े मन्त्री जवाब दें छोटे मन्त्री न दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब मन्त्री अनुपस्थित हैं तो उप-मन्त्री अथवा राज्य मन्त्री अगर जवाब दें तो किसी को एतराज नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई मन्त्री नहीं है तो उसके न रहने पर प्रतिपक्ष को संतोष नहीं होता है राज्य मन्त्री अथवा उप मन्त्री से।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह भी मन्त्री में आ जाते हैं। राज्य मन्त्री और डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुए थे। तो कोई शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है जब वे वहां पर बैठ हुए हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिये कोई जवाब दिया गया और आप उससे सन्तुष्ट न हों और कहें कि यह जवाब आप को सन्तोषप्रद नहीं है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो मान्यवर, मुझे आप ऐसा कहने के लिये क्षमा करेंगे कि यदि आप इस तरह से उनकी वकालत करने लगेंगे तब तो हमारे लिये कहीं शरण लेने के लिये नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ऐसी स्थिति में कोई यहां पर उपस्थित नहीं रह सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को अपने ऊपर विश्वास नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, जब इस मुद्दे को स्थगित किया गया था, तब वे यहां पर उपस्थित थे। तब उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं कोई परिपाटी नहीं बना रहा हूं.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, हम तो वक्तव्य चाहते हैं यदि राजस्व मन्त्री जी वक्तव्य नहीं दे सकते तो उन्हें क्षमा कर दीजिये.....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मुझे भी एक बात कहने की इजाजत दे दें, मान्यवर....

1972–73 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद—(क्रमागत)

*श्री देवेन्द्रनाथ मिश्र (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया है। किन्तु मुझे दुख है कि अब समय समाप्त हो रहा है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल मुझे सबसे पहले बोलने का अवसर दिया जाय। मान्यवर, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जो कि अभी तक हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मेरा क्षेत्र मनकापुर राजनीतिक पक्ष में काफी चर्चा का विषय रहा है और यहां पर उसके बारे में कुछ न कुछ अनहोनी बातें सब लोग सुनते रहते हैं। इस बार मुझे जनता ने चुन कर भेजा है और एक विशेष परिस्थिति में भेजा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने उस क्षेत्र की समस्याओं को रख सकूं और सदन का ध्यान आकर्षित कर सकूं तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। मेरा क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित है। वहां की जनता को किसी प्रकार से भी अभी तक आजादी का अनुभव नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा हमारा शासन और यह माननीय सदन वहां की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और हमारे वित्त मन्त्री जी वहां की समस्याओं को उठावें और उन पर अधिक से अधिक ध्यान दें। मान्यवर, मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान है वहां पर जहां एक ओर हजारों की संख्या में किसान हैं वहां दूसरी तरफ बड़े-बड़े जमींदार भी हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाना बहुत जरूरी है। भूमिहीन किसानों, हरिजनों, बेरोजगारों और उस क्षेत्र की सड़कों की समस्यायें ऐसी हैं जिसे पर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है। वहां पर अभी तक कोई सिंचाई के लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। किसान के लिये खाद, बिजली, पानी आदि की तरफ भी ध्यान नहीं गया है। मैं बिजली मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए उनसे यह निवेदन करूंगा कि जब चुनाव के दौरान वे वहां पर गये थे तो उन्होंने देखा है कि वहां पर न तो सिंचाई के लिये कोई ट्यूबवेल है, न बिजली है और न ही सड़कें हैं और न कोई ऐसा कार्यक्रम ही वहां के लिये तैयार किया गया है जिससे वहां की जनता का रहन-सहन ही ऊंचा किया जा सके। जो आर्थिक न्याय की घोषणा हुई है, वह उनको प्रदान होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि जब आप मुझे कल बोलने का अवसर देंगे तो मैं विस्तार से वहां की समस्याओं को आपके सामने रखूंगा। आर्थिक न्याय अभी तक हमारे क्षेत्र को नहीं मिला है। अब की बार वहां की जनता ने राजनीतिक न्याय दिया है और मुझे चुन कर भेजा है। अब वहां की जनता आजादी का अनुभव कर रही है जो कि इस प्रदेश की जनता बीसों वर्ष पहले से करती चली आ रही है। अभी हमें सामाजिक क्षेत्र में जनता को यह भी कराना है कि उनको समाज में बराबरी का अवसर मिल रहा है। आपको उस क्षेत्र में नये कानून चलाने हैं, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। अभी हमारे क्षेत्र की जनता इस वक्त बड़ी बेचैन है, क्योंकि जब मैं वहां गया तो लोगों ने पूछा कि आपने सार्वजनिक घोषणा की थी कि सड़कें बनेंगी। मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा। तो हम.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपको कल समय मिलेगा। आप कल जारी रखेंगे।

अब हम कल 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ।
5 अप्रैल, 1972।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

[देखिये नियमावली के नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर]

इलाहाबाद शाखा पर मील 12–2 के सामने ग्राम पूरे जोगई मजरा बंडरो स्थित है। इस स्थान पर एक पैदल पुलिया बनी हुई है लेकिन स्थानीय ग्रामवासी इसी स्थान पर बैलगाड़ी की पुलिया चाहते हैं। इसके लिये मांग पहले भी की जा चुकी है। इस स्थान से ऊपर मील 11–6 एवं नीचे मील 13–2 पर बैलगाड़ी के पुल बने हुए हैं। अतः मील 12–2 पर बलगाड़ी के पुल की मांग उचित नहीं है।

2—लतीफपुर माइनर पर ग्राम सिवाला मजरे लवाना स्थित नहीं है। यह ग्राम रोकइयापुर माइनर पर मील 0–5–220 पर है। इस स्थान पर 3 फीट चौड़ी एक पैदल पुलिया बनी हुई है लेकिन स्थानीय ग्रामवासी इसी स्थान पर बैलगाड़ी का पुल चाहते हैं। इस स्थान पर कोई चालू मार्ग नहीं है तथा इस स्थान से ऊपर मील 0 पर और नीचे 1–0–25 पर बैलगाड़ी के पुल बने हुए हैं। अतः मील 0–5–220 पर पुल बनवाने की मांग उचित नहीं है।

3—मानिकपुर पम्प नहर की मीरिया माइनर पर ग्राम ऊंचा गांव की जनता द्वारा एक पुल के निर्माण की मांग की गई है। इस माइनर को एक कच्ची सड़क पार करती है। यह मांग उचित है। अतः इसक निर्माण के लिय कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

बाढ़ नियंत्रण हेतु प्राप्त धन के व्यय न किये जाने के कारण

वर्ष	आयोजनागत योजनायें		बाढ़ मद योजनायें		धनराशि लाख रुपये में
	योजना में व्यय की कुल निर्धारित सीमा	ओवरहेड चार्जेज निकालकर निर्माण-कार्यों के लिए धन की प्रदिष्टि जो दी गई	निर्माण-कार्यों पर वास्तविक व्यय	बचत	बाकी धन व्यय न होने के कारण
1	2	3	4	5	6
1969–70 ..	130–000	103–725	100–210	3–516	बचत 4 प्रतिशत से कम है। धन की प्रदिष्टियां अनुमानित व्यय के अनुसार की जाती है। वास्तविक व्यय में थोड़ा अन्तर स्वाभाविक है। इस बचत से पूरी योजना काल की केन्द्रीय सहायता में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि निर्धारित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परिव्यय को पूर्ण धनराशि को योजनाकाल में निर्माण-कार्यों पर व्यय कर लिया जायगा।
1970–71 ..	200–000	143–055	137–569	5–486	
1971–72 ..	206–000	166–800	पूरी धनराशि व्यय हो जाने की आशा की जाती है।		

अवैध विधान सभा

आयोजनेतर योजनायें—

1969–70 वर्ष 1969 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत ।	..	40–000	40–120	0–120	अधिक व्यय हुआ है।
1970–71 वर्ष 1970 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत ।	.	130–500	128–413	2–087	बचत 2 प्रतिशत से भी कम है क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु धनराशि प्रदिष्टि अनुमानित लागत के अनुसार की गई थी। वास्तविक व्यय में थोड़ा अन्तर स्वाभाविक है।

केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत छोटे नये नालों के निर्माण तथा पुराने नालों की क्षमता बढ़ाने के कार्य ।	वर्ष 1970–71 प्रदिष्टि 25–0	व्यय 20–046	बचत 4–954	वर्ष 1971–72 प्रदिष्टि 92–450	व्यय पूरी धनराशि	बचत ..	व्यय हो जाने की आशा की जाती है।	वर्ष 1970–71 में इन कार्यों की स्वीकृति माह नवम्बर में हुई थी और कार्यों के निर्माण के लिये केवल 4 माह का समय ही मिल पाया था। इस योजना के अन्तर्गत नये नालों के निर्माण व पुराने नालों को गहरा करने हेतु भूमि की आवश्यकता थी जो कुछ ही स्थानों पर मिल पाई अतः उस वर्ष पूरी धनराशि व्यय न हो पाई।

वर्ष 1971–72 वर्ष 1971 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत ।	..	प्रदिष्टि 273–000	व्यय कुल धनराशि व्यय होने की आशा की जाती है ।	बचत ..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 41 पर)

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद विषय में परीक्षा आयोजित करने तथा उपाधियां प्रदान और सम्प्रदान करने के लिये भूतलक्षी दिनांक 1 जुलाई, 1965 से और राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध लोकहित में, सीमित अवधि के लिये, तात्कालिक प्रभाव से, अपने पास लेने के लिये, और उससे सम्बद्ध या प्रासंगिक विषयों के लिये उपबन्ध बनाने के उद्देश्य से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1956 की धारा 26 का संशोधन

2—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, और 1 जुलाई, 1965 से बढ़ायी गई समझी जाय, अर्थात्:—

"(5) विश्वविद्यालय आयुर्वेद के विषय में शिक्षा देने के लिये शिक्षण विभाग खोल सकता है व पाठ्यक्रम नियत कर सकता है तथा उस विषय में परीक्षायें आयोजित कर सकता है, और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के निमित्त उपाधियां संस्थित कर सकता है तथा ऐसी उपाधियां प्रदान या संप्रदान कर सकता है, चाहे अधिनियमों और अध्यादेशों में तदर्थ उपबन्ध किया गया हो या नहीं, भले ही पूर्ववर्ती उपधाराओं या धारा 4, 6, 28, और 30 में कोई बात उपबंधित हो।"

धारा 44 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(7) जब तक धारा 47—क के उपबन्धों के कारण आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य सरकार में निहित रहे,—

(क) उक्त महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय होगा, और उपधारा (1), उपधारा (3) या उपधारा (6) में दी गई कोई बात उसके संबंध में लागू न होगी,

(ख) उक्त महाविद्यालय का आचार्य कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा, भले ही धारा 22 में कोई बात दी हो।"

4—मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

नई धारा 47—क का बढ़ाया जाना

"47-क—(1) दिनांक 2 मार्च, 1972 से (जिसे इस धारा में निश्चित दिनांक कहा गया है) और तत्पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिये—

राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध अस्थायी रूप से अपने पास लेना

(क) आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जो निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व विश्वविद्यालय का भाग था, का प्रत्येक हास्पिटल, औषधालय, प्रयोगशाला, फार्मेसी, व्याख्यान-कक्ष अथवा संग्रहालय और उससे संबंधित किन्हीं सज्जा, स्टोर्स, औषधि, धनराशियों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के सहित, प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य सरकार को संक्रमित हो जायगा और उसमें निहित हो जायगा, और ऐसी सभी संपत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा जिनके लिये उनका उपयोग निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किया जाता था अथवा जिन प्रयोजनों के हेतु उपयोग के लिये वे अभिप्रेत थीं;

(ख) विश्वविद्यालय की ऐसी समस्त भूमि, भवन, फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्सचर्स और अन्य परिसंपत्तियां जिनका उपयोग उक्त महाविद्यालय के लिये निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता था, उक्त प्रयोजनों के लिये उसी रूप में उपयोग में लायी जाती रहेगीं;

(ग) उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व सेवायोजित विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अधीन सभी आनुशासनिक शक्तियां (जिसके अन्तर्गत सेवा की संविदा को समाप्त अथवा निलम्बित करने की शक्ति भी समझी जायेगी) तथा उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में नये कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति विश्वविद्यालय अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति में निहित होगी ;

(घ) इस धारा के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम में परिवर्धन, संशोधन या लोप कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा कोई परिवर्धन, संशोधन या लोप भूतलक्षी प्रभाव स एसे दिनांक से किया जा सकता है जो निश्चित दिनांक से पूव न होगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिये यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों क संबंध में सेवायोजित विश्वविद्यालय का कर्मचारी था या नहीं, तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निष्पादित प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायगा।"

निरसन 5—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 4, 1972 एतत्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य तथा कारण

सन् 1965–66 में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्तर्गत फैकेल्टी आफ शुद्ध आयुर्वेद एवं सम्बद्ध कालेज तथा अस्पताल की स्थापना की गई थी । उद्देश्य यह था कि प्रदेश में शुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम लागू करने के पूर्व प्रचलित मिश्रित पाठ्यक्रम और शुद्ध आयुर्वेद के पाठ्यक्रम की तुलनात्मक उपयुक्तता को निर्धारित कर लिया जाये । उक्त कालेज तथा अस्पताल का प्रशासन पूर्णरूप से उक्त विश्वविद्यालय को सौंपा गया था तथा उसके अनुरक्षण का शत प्रतिशत व्यय भार शासन ने स्वीकार किया था । उक्त कालेज तथा अस्पताल के प्रशासन के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं । इन शिकायतों के संबंध में आवश्यक जांच की गई और उन कुव्यवस्थाओं को देखते हुये जिनसे इन संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा, यह अनुभव किया गया कि शुद्ध आयुर्वेद कालेज और उससे सम्बद्ध अस्पताल विश्वविद्यालय प्राधिकरण से वापस ले लिया जाये और राज्य सरकार द्वारा चलाया जाये । तदनुसार वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 प्रख्यापित किया गया । उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० 30 एल०ए०—1972 —845 (मेग०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा